खण्ड-230, अंक-4
मंगलवार, 18 वैशाख, शक संवत् 1884
(8 मई, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 230 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	..	..	२४५–२४६
प्रश्नोत्तर	..	..	..	२४६–२६८
प्रश्नों के उत्तर देने में विलम्ब पर आपत्ति		..	..	२६८
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)			..	२६९
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	..	..		२६९
कानपुर एम्प्लायर एसोसियेशन द्वारा मिलों के बूढ़े मजदूरों को नौकरी से अलग करने के नोटिस के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य			..	२६९–२७०
१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)		..	..	२७१–२९४
अनुदान संख्या ४५—वन तथा अनुदान संख्या ५३—वनों पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)	..	..	..	२९५–३२१
कानपुर सहकारी परिषद्, नवाबगंज, कानपुर का गत वर्षों में लाभ-हानि और सरकार द्वारा उसको दिए गये अनुदान के सम्बन्ध में २५ अप्रैल, १९६२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८ के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत विवाद	..	..	..	३२१–३२८
नास्थियां	..	..	..	३२९–३३२

LEGISLATURE LIBRARY
SEP
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ८ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३६३

अच्छैबर सिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिन्हा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बबकन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री

दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री

बद्रीप्रसाद, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम, श्री

रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजतन सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री
रियायत हुसैन, श्री
रघुराजसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, श्री राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री

विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैद्यनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री (उन्नाव)
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)

सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सूरजन, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ८ मई, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

आगरा रोडवेज क्षेत्र के जनरल मैं नेजर की कोठी पर श्री शिवराज सिंह सन्त द्वारा भूख हड़ताल

*१—**श्री भूपसिंह** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि यह सच है कि यू० पी० रोडवेज आगरा के जनरल मैनेजर की कोठी पर तारीख २१ अप्रैल, १९६२ से कोई संत आमरण अनशन कर रहे हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—श्री शिवराज सिंह संत ने जनरल मैनेजर की कोठी के बाहर फुट पाथ पर २०-४-६२ की रात से भूख हड़ताल शुरु की थी और २५-४-६२ को तोड़ दी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

दोहरीघाट नहर से पानी न मिलने के कारण सिंचाई कर में छूट के लिये प्रार्थना-पत्र

*१—**श्री रामसुन्दर** (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा ५ सितम्बर, १९६१ को भेजे गये पत्र के साथ ६५२ किसानों के हस्ताक्षर से कोई प्रार्थना-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें दोहरीघाट नहर की सिंचाई के सम्बन्ध में शिकायत करते हुये सिंचाई कर में छूट की मांग की गई है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—जी हां । इस सम्बन्ध में जांच की गई थी जिससे ज्ञात हुआ कि पानी की कमी से इतना नुकसान नहीं हुआ था कि सिंचाई कर में छूट दी जा सके ।

श्री रामसुन्दर—क्या माननीय सिंचाई मन्त्री जी बतायेंगे कि इन दरख्वास्तों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और उसकी रिपोर्ट के अनुसार कितने का नुकसान हुआ था ?

श्री राममूर्ति—इस किस्म का सवाल पिछली असेम्बली के समय में भी हुआ था और उसका जवाब दिया गया था । सन् १९६१ में जब इस किस्म की रिपोर्ट की गई तो जिलेदार और डी० आर० ओ० व्योरेवार जांच करने के लिये उस क्षेत्र में गये और उनकी रिपोर्ट से साबित हुआ कि फसल में ८ आने भर का नुकसान नहीं हुआ है । इर्रीगेशन मैनुवल के अनुसार जब ८ आने का या इससे ज्यादा नुकसान होता है तभी छूट दी जाती है वरना नहीं दी जाती है, लेकिन उनकी रिपोर्ट से यह साबित हुआ कि छूट देने की चीज नहीं है । जहां पर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था वहां पर छूट दी गई ।

श्री रामसुन्दर—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पत्र में हमने उनसे निवेदन किया था कि छोटे कर्मचारी से जांच न कराकर किसी उच्चाधिकारी से जांच करायें और उसके परिणाम की सूचना हमें भी दे दें, तो क्या यह सही है कि जांच छोटे कर्मचारी से जांच कराई गई और उसके परिणाम की सूचना हमको क्यों नहीं दी गई, इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—चूंकि मौके की जांच एक मुश्किल काम है इसलिये जो इसमें वाकिफयत रखते हैं उन्हीं को जांच करने में सुविधा होती है, लिहाजा जिलेदार के साथ एक बड़ा अफसर डी० आर० ओ० कर दिया गया था जिसका बड़ा स्टेटस होता है । इसके बारे में मैं नहीं जानता कि रामसुन्दर पांडेय जी के लिये कोई जवाब देना था, लेकिन जैसा कि उन्होंने फर्माया कि जवाब नहीं दिया गया तो यह हमारी गलती हो सकती है और इसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं ॥

श्री रामसुन्दर—क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट स्थान पर नहर मुख्य द्वार पर कब टूटी थी और क्या उसके टूटने के कारण ही गर्मी में किसानों को ईख में पानी नहीं मिला और गन्ने की खेती सूख गई ?

श्री राममूर्ति—मैं नहीं कह सकता कि किस तारीख को टूटी लेकिन मुझे मालूम है कि जिस समय नहर टूटी थी उसके एक हफ्ते के अन्दर दोबारा फिर बना दी गई थी और काम चालू हो गया था . और जिन हिस्सों को पानी मिलना था उनको कमोबेश पानी मिला ।

श्री राम सुन्दर—क्या माननीय मन्त्री जी माल विभाग की ओर नजर डालेंगे जहां ६ आने तक के नुकसान पर सरकार छूट दिया करती है, उसी प्रकार से, इस विभाग का जो अंग्रेजी जमाने का पुराना नियम है उसमें रद्दोबदल करने पर विचार करेंगे और जिस प्रकार से ट्यूबवेल में जितना पानी ले उतना कर देना पड़ता है उसी प्रकार का नियम नहर विभाग के लिये भी बनवाने की कृपा करेंगे ताकि किसानों का असंतोष दूर किया जा सके ?

श्री राममूर्ति—मैन्युअल के अन्दर जो कवानीन दिये हुये हैं, मैंने उनका जिक्र किया । इस वक्त यह नहीं कहा जा सकता कि जो सुझाव पांडेय जी ने दिया है उसको माना जायगा या नहीं, लेकिन उस पर विचार जरूर किया जायगा ।

श्री नरसिंह नारायण (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि किसानों ने जो दरख्वास्त दी थी, जिस पर कर को छूट दी गयी, वह कितने एकड़ भूमि से संबंध रखती थी ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास जो रिपोर्ट है . उसमें तो ग्राम गौरन पुर के श्री गंगा और श्री तड़पन का १२ बिस्वा और १० बिस्वा का नुकसान हुआ जिसकी धनराशि १२ रुपया और १० रुपया यानी कुल मिलाकर २२ रूपया हुई ।

दरियाबाद ग्राम की खेती का सिंचन

*२--श्री रामसुन्दर--क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दरियाबाद, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ की खेती का सिंचन सम्प्रति किस प्रकार किया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति--इस ग्राम की खेती का सिंचन सम्प्रति नत्थूपुर रजबहे के मील ४ फर्लांग ६ फुट ६०० के कुलाबा नम्बर २२ बायीं पटरी से होता है।

श्री रामसुन्दर--क्या सिंचाई मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस रजबहे से इस ग्राम के अलावा और ग्रामों की भूमि भी सिंचित होती है।

श्री राममूर्ति--इसमें दूसरा प्रश्न किया गया है। उसके अनुसार मैं यही जबाव दे सकता हूं कि इस गांव के लिये ६/४" का कुलाबा लगाया गया था। कल्टीवेटेड जो एरिया है वह २३६ एकड़ है उसमें से १४२ एकड़ इस कुलाबे से सींचा जा सकता है, लेकिन अब तक जो रकबा सींचा गया है वह ७४ एकड़ ही है।

वाराणसी व गाजीपुर जिलों में गोमती से भूमि-क्षरण

*३--श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर और वाराणसी जिले की जमीन का गोमती नदी द्वारा जोरों पर कटाव जारी है ?

श्री राममूर्ति--कटाव जोरों पर नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव--क्या सरकार बतायेगी कि किस अधिकारी द्वारा जांच करायी गयी और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री राममूर्ति--इसकी जांच के लिये असिस्टेंट इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर मौके पर गये उनकी रिपोर्ट में है कि जिला वाराणसी में १५५.३७ एकड़ भूमि तथा परगना गाजीपुर में ३३४ एकड़ भूमि प्रभावित हुई। जिनके मकानों की ज्यादा क्षति हुई उनको दूसरी जगह बसाने का प्रबन्ध किया गया।

श्री कमलासिंह यादव--यह कटाव कितने दिनों से शुरु हुआ है और सरकार ने इसको रोकने के लिये क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री राममूर्ति--इस वक्त यह तो नहीं बता सकता कि कितने दिनों से शुरू हुआ है, लेकिन रिपोर्ट में यह दिया हुआ है कि जितना रुपया इस पर खर्च होता है उसके अनुपात में फायदा नहीं होता।

दोहरीघाट पम्प नहर टूटने के संबंध में जांच रिपोर्ट

*४--श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि दोहरीघाट पम्प नहर का एक भाग गत ग्रीष्म ऋतु में टूट गया था और उसके कारणों की जांच-पड़ताल हेतु एक कमेटी बनी थी ? क्या उसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई ?

श्री राममूर्ति--जी हां।

*५--श्री झारखंडेराय--यदि हां, तो उस रिपोर्ट की एक प्रति क्या सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--जांच †रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी है।

---

†छापी नहीं गई।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस रिपोर्ट के पेज २ पर जो सीमेंट और बालू के अनुपात का जिक्र है, जिसमें यह कहा गया है कि सीमेंट और बालू का गारा कहीं कहीं १/५ कहीं १/३ और कहीं १/४ के अनुपात में मिला कर, बनाया गया, तो क्या इसकी भी जांच की गयी कि यह गारा ठीक अनुपात में मिलाकर बनाया गया था ? कहीं कमजोर तो नहीं था ?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, सीमेंट की मजबूती तो इसी से साबित होती है कि जब यह दीवार टूटी तो उसका एक एक टुकड़ा बाहर को नहीं गिरा बल्कि कई कई फीट चौड़े पक्खे के पक्खे टूट कर गिरे। इस रिपोर्ट में खासतौर से इस बात पर जोर दिया गया है कि दोहरीघाट कैनाल के पंप आर्चेज के ऊपर बनाये गये हैं, जिनको छोटे आर्चेज से जोड़ा गया है जिनकी वजह से कैनाल की सतह पर थोड़े गड्ढे बन गये हैं। इस तरह करने में ५ लाख रुपये की बचत होती थी। जब पानी चला तो बहाव का थोड़ा वजन पड़ा, लहर उठने लगी और उसकी वजह से यह क्षति हुई। यह मसला रुड़की रिसर्च इंस्टीट्यूट को दे दिया गया था और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि कैनाल की सुरक्षा तभी हो सकती है जब हर हिस्से पर, जहां लोड पड़ता है सीमट कांक्रीट की सतह बना दी जाय। इस स्कीम में एक मील एक फर्लांग में काम हो चुका है। वक्तन-फवक्तन हफ्ता, दस दिन की छुट्टी कर दी जाती है। इस तरह से रफ्ता-रफ्ता काम पूरा करने की कोशिश की जा रही है।

श्री झारखंडेराय---इस रिपोर्ट के पेज दो पर दिया हुआ है कि पहले आर्चेज का फाउंडेशन ३ फीट गहराई में देने का आदेश था, लेकिन बाद में दो और ढाई फीट गहराई पर ही फाउंडेशन दिया गया जिससे ही नहर का एक भाग टूट गया ?

श्री राममूर्ति---इस सम्बन्ध में इस रिपोर्ट में जोर नहीं दिया गया है, बल्कि इस कैनाल को बनाते वक्त इस बात का खयाल रखा गया कि आजमगढ़ जिले की आबादी बहुत घनी है और अगर आर्चेज को इस तरह से नहीं बनाते हैं तो जमीन का काफी हिस्सा उसमें आ जाता है। ऐसी खबर भी सुनने में आयी कि लोग सत्याग्रह करने वाले हैं। यहां तक कि बाबा राघव दास जो उस वक्त जीवित थे, उन्होंने भी इस तरह की सूचना दी कि इस तरह से नहर नहीं बनने दी जायगी और तब गवर्नमेन्ट के इंजीनियर्स ने यह आल्टरनेटिव रास्ता निकाला जिससे कि यह नहर बन जाय।

श्री झारखंडेराय---रिपोर्ट के पेज ५ में इस बात को स्वीकार किया गया है कि जिस हिस्से में नहर की हानि हुई उस हिस्से की जिम्मेदारी एक कंट्रैक्टर पर रही है और यह भी स्वीकार किया गया है--

"It is likely that this contractor did not exercise proper care while laying masonry of the retaining wall at the jointing with the arches of the aqeduct in accordance with the specifications."

इस बात को स्वीकार किया गया है कि सम्भव है कि उसकी लापरवाही रही हो, तो उस कंट्रैक्टर के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति---यह सही है कि माननीय झारखंडेराय जी ने जिस बात को अभी फरमाया, वह इस रिपोर्ट में है और उसके फलस्वरूप उस कंट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। चूंकि काम खत्म हो गया था और बहुत दिनों के बाद यह क्षति हुई तो फिर उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री झारखंडेराय---रिपोर्ट के पेज ५ पर जो आइटम है "नीड फार एडीशनल वर्क" उस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया कि कुछ गड्ढे रह जाने की वजह से लहर उठीं और धक्के लगे जिससे मेहराब टूट गये। तो क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उन गड्ढों को भरने के लिये क्या कार्यवाही की गयी और क्या इस बात की जांच भी कर ली गयी कि मेहराब के अन्दर जो गारा सीमेंट, चूने का तैयार किया गया था वह सही अनुपात में था या नहीं ?

श्री राममूर्ति---जैसा कि अभी जिक्र किया गया, यह क्षति हुई, तो यह मसला रुड़की रिसर्च इंस्टीट्यूट को, जांच के लिये दे दिया गया और उन्होंने अपने तजुर्बे से इस बात की रिपोर्ट दी कि इस तरीके से अब सतह बनायी जायगी कि वजन का लिहाज भी रखना होगा। तो इन सबका खयाल कर लिया गया है।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)---जैसा कि मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि गड्ढे पड़ गये थे, तो क्या वे बतलाने की कृपा करेंगे कि किसकी गलती से वे गड्ढे पड़ गये थे ?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रीपाल सिंह जी को समझने में थोड़ी गलतफहमी मालूम पड़ रही है। मैंने यह नहीं कहा कि गड्ढे पड़ गये थे, बल्कि मैंने यह बतलाया कि कैनाल के जो आर्चेज बनाये गये थे उनके बीच में जो जगह छूट गयी थी उस वक्त इंजीनियरों ने उसे भरना या पाटना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि मजबूती के लिहाज से उससे कोई नुकसान का अन्देशा नहीं था, साथ ही उससे ५ लाख रुपये बचने की भी बात थी।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)---क्या सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नहर टूट गयी उससे कितने रुपये की क्षति हुई और इस नहर के बनवाने में कितना रुपया और व्यय होगा ?

श्री राममूर्ति---इससे ३,४३० रुपये की क्षति हुई। इस समय यह बतलाना मुश्किल है कि इसके बनवाने में कितना खर्च होगा।

श्री नरसिंहनारायण---मंत्री जी ने अभी कहा कि कहीं पर १:५ का अनुपात है, कहीं पर १:३ का अनुपात पर है और कहीं १:२ का अनुपात है जिससे बालू सीमेंट का भाग मिलाकर नहर बनाई गई है, तो कमेटी जो इसकी जांच कर रही है उसने इस मिलावट के बारे में क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, उस नहर की बनावट के अलग-अलग पहलू हैं, जहां डाट बनाने का ताल्लुक था उसमें ज्यादा मजबूती के साथ सीमेंट मिलाकर लगाया गया है और जो दूसरे पहलू थे उनकी मजबूती का भी खयाल करके सीमेंट लगाया गया है।

फूलपुर तथा फतेहपुर माइनर नहरों के बनाने की प्रार्थना

*६---**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शारदा सागर कैनाल की शाखा जो जौनपुर जिले के केराकत माइनर के नाम से जाती है उसमें माऊपुर के पास से जो फत्तेपुर माइनर जिला वाराणसी के परसरा, खालिसपुर, जलालपुर आदि गांव से तथा दूसरी फूलपुर माइनर के नाम से जो करिखिपांव होते हुए फूलपुर को जायगी जो मंजूर भी बहुत पहले से हो चुकी है, उन पर कब से कार्य शुरू होने जा रहा है और दोनों माइनरों पर कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री राममूर्ति---फूलपुर तथा फत्तेपुर माइनरों का निर्माण शारदा सिस्टम में अधिक पानी प्राप्त होने पर ही सम्भव हो सकता है। शारदा सिस्टम की क्षमता का इस समय पूर्ण उपयोग किया जा चुका है। इसको बढ़ाने का मामला सरकार के विचाराधीन है। इन माइनरों पर क्रमशः २६,७०० तथा १६,४०० रुपये खर्च होने की सम्भावना है।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि यह बाराणसी का वह उत्तरी भाग है जहां पर सरकार ने सिंचाई के लिये नहरों की व्यवस्था की है? यदि हां, तो सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए मंत्री जी अगले वर्ष में इन दोनों माइनरों को बनाने की आज्ञा देंगे ?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं एक बात का और जिक्र कर दूं कि शुरू में यह प्रस्ताव किया गया कि तराई क्षेत्र में गोमती पर एक रिजरवायर बनाया जाय, लेकिन बाद में जब सर्वे कराया गया तो पता लगा कि जो जंगलात बीच में पड़ेंगे और काटे जायेंगे उनकी कीमत बहुत ज्यादा है और रिजरवायर में जो पानी इकट्ठा होगा उसकी कीमत को देखते हुए उस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया और उसी के फलस्वरूप यह माईनर्स भी बनने से रह गईं, लेकिन जब पानी की बढ़ोत्तरी होगी तो यह भी जरूर बन जायंगी।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पानी की बढ़ोत्तरी कब तक हो जाने की सम्भावना है?

श्री राममूर्ति---आये दिन सर्वे होते रहते हैं, नई नई स्कीमें निकल रही हैं. जैसे जैसे पानी और धन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा इनको बना दिया जायगा।

फूलपुर तहसील में सिंचाई--साधनों की कमी

*७---श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)---क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत फूलपुर तहसील के गनवारा, कोरांघाटमपुर, मोलनापुर, रुपाईपुर तथा मित्तूपुर हंडिया, मलेपुर, नद्रेसर, बलईपुर, महम्मदपुर, आदि गांवों की भूमि को सिंचन करने के लिये सरकार के सम्मुख कौन-कौन सी योजनायें विचाराधीन हैं?

श्री राममूर्ति---प्रश्न में दिये गये गांवों की भूमि के सिंचन के लिये इस समय सरकार के सम्मुख कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

*८---श्री दौलतलाल---क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त तहसील के अन्य भागों की सिंचाई के लिये शारदा नहर से कब तक पानी मिलने की सम्भावना है?

श्री राममूर्ति---शारदा सागर योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत निर्मित फूलपुर, आजमगढ़, लालगंज तथा ठेकमा रजबहे सिंचाई के लिये फूलपुर तहसील से निकलेंगे और उसकी स्थिति इस प्रकार है:---

ठेकमा रजबहा : इसके द्वारा फूलपुर तहसील में अगस्त, १९६० से सिंचाई की जा रही है।

फूलपुर तथा लालगंज रजबहे : इनका निर्माण-कार्य मार्च, १९६३ तक पूर्ण होने की आशा है जिसके बाद पानी दिया जा सकेगा।

आजमगढ़ रजबहा : फूलपुर तहसील में इस रजबहे द्वारा अप्रैल, १९६२ के प्रथम सप्ताह से पानी चलाया जा रहा है।

श्री दौलतलाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि कोई योजना विचाराधीन नहीं है उनकी वर्तमान सिंचाई व्यवस्था क्या है?

श्री राममूर्ति---श्रीमन्, मेरे पास जो इत्तला थी वह तो मैंने पढ़ दी।

श्री रामसुन्दर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों में सिंचाई के लिये कोई योजना विचाराधीन नहीं है, क्या वह कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में कोई योजना वहां की सिंचाई की लिये बनाई जाय?

श्री राममूर्ति---उत्तर प्रदेश के जिन गांवों में सिंचाई की सुविधा अभी प्राप्त नहीं है या बिलकुल प्राप्त नहीं है वहां सिंचाई विभाग के द्वारा सारे प्रदेश में शनैः-शनैः सर्वे होता चला जा रहा है और जैसे-जैसे धन मिलता जा रहा है और अवकाश मिलता है उसके लिहाज से काम बनाया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं एक दिन वह आयेगा जब इन गांव के अन्दर पानी दिया जायगा।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—अभी मंत्री जी ने कहा जैसे जैसे हमारे पास साधन आते जायेंगे वैसे वैसे उन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था होगी। तो मैं पूछना चाहता हूं उनकी जो योजना चल रही है उसमें निश्चित रूप से बता सकते हैं कि कितने वर्षों के अन्दर सारे प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था मुकम्मिल हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी कहते हैं ज्यों-ज्यों रुपया मिलता जायगा सर्वे होता जायगा और काम करते रहेंगे। मंत्री जी कोई समय निश्चित कर सकते हैं ?

श्री राममूर्ति—अब मेरे अन्दर यह ताकत नहीं है, न आगे का ज्ञान है कि मैं समय निश्चित कर सकूं।

राज्य की बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर व्यय

*९—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में बाढ़ रोकने के लिये मुख्य-मुख्य योजनायें क्या हैं और इनमें से कौन-कौन योजना पूरी हो चुकी हैं और बाकी योजनायें कब तक पूरी होने की आशा है ?

श्री राममूर्ति—वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३२९–३३० पर)

*१०—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ नियंत्रण योजनायें कब से लागू की गई हैं और अब तक इन पर कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

श्री राममूर्ति—बाढ़ नियंत्रण योजनायें १९५४–५५ से आरम्भ की गईं और इन पर फरवरी, १९६२ के अन्त तक ११,०७,११,८९५ रुपये व्यय हो चुके हैं।

*११—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में कितना धन केन्द्रीय सरकार से मिला है ?

श्री राममूर्ति—८० लाख २० जार रुपया ऋण के रूप में।

श्री भीखालाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो ११ करोड़ से ऊपर रुपया बाढ़ नियंत्रण योजनाओं में खर्च हुआ है इसमें से कितना केन्द्रीय सरकार ने दिया है ऋण के रूप और कितना अनुदान के रूप में ?

श्री राममूर्ति—सारा रुपया केन्द्रीय सरकार के जरिये आया है और इस सब रुपये पर सूद लिया जाता है।

श्री भीखालाल—मंत्री जी बतायेंगे कि जो सूची दी हुई है इसके आइटम ११ में लिखा हुआ है कि ४ हजार गांवों को पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में, ऊंचा करने की योजना चल रही है। तो क्या प्रदेश के मध्यवर्ती जिलों में भी सर्वेक्षण करा के देखेंगे कि किन-किन गांवों की सतह ऊंची करने की आवश्यकता है ? और अगर ऐसा नहीं किया गया तो पुनः सर्वेक्षण कराने का विचार है ?

श्री राममूर्ति—फ्लड बोर्ड द्वारा इस प्रदेश का एक मास्टर प्लान बनाया गया है जिसकी लागत करीब ६७ करोड़ रुपये होगी और इस तीसरी योजना में भी हमारे लिये ५ करोड़ ७५ लाख रुपये केन्द्रीय सरकार से मिले हैं उस धन के अन्दर जो काम किये जा सकते हैं उनका ब्योरा दिया गया है। बड़ी ऐग्जास्टिव लिस्ट है। और मैं क्या कह सकता हूं।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बाढ़ नियंत्रण के लिये जो मास्टर प्लान ६७ करोड़ रुपये का बनाया गया है यह कितने सालों में पूरा होने वाला है ?

श्री राममूर्ति---अब इसका एक ही जवाब है जैसे-जैसे धन उपलब्ध होगा काम किया जायगा ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मास्टर प्लान के अन्तर्गत जलालपुर के उन गांवों के लिये, जहां बाढ़ से लोग पीड़ित रहते हैं, क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---आपके पास मंत्री जी, मास्टर प्लान की डिटेल्स हैं ?

श्री राममूर्ति---इतने ब्योरे के साथ मेरे पास डिटेल्स नहीं हैं ।

श्री नरसिंहनारायण---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गंडक की बाढ़ से जो पानी रोहिन और राप्ती में आकर गोरखपुर जिले को बरबाद करता है इसके बारे में कोई जिक्र इस योजना में है ?

श्री अध्यक्ष---मास्टर प्लान के डिटेल्स नहीं हैं ।

श्री केसरीप्रसाद (जिला जौनपुर)---मास्टर प्लान के अन्दर कौन-कौन से जिले आते हैं ?

श्री राममूर्ति---मास्टर प्लान के अन्दर ६० तो शहर ऐसे हैं जिनको बचाया जाय। सरेदस्त मैं यह नहीं बतला सकता कि ऐसे कितने जिले हैं जहां जहां फ्लड की कार्यवाही हो रही है । लेकिन जहां यह समझा जायगा कि फ्लड से जमीन को बचाया जाय और लोगों की जान व माल को बचाया जाय वहां काम जरूर किया जायगा ।

श्री रामसुन्दर---प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण कार्यवाहियां इस वक्त कहां-कहां की जा रही हैं ?

श्री राममूर्ति---इसके लिये तो अगर अलग से प्रश्न कर लिया जाय तो अच्छा है । माननीय सदस्य मुझको अगर मौका दें तो मैं उनको एक दो दिन के अन्दर इसकी मालूमात करके बतला सकता हूं और अगर मेरे कमरे में आने की कृपा करें तो और जल्दी बतला सकता हूं ।

श्री झारखंडेराय---पूरे बाढ़ नियंत्रण के व्यय-भार में रेलवे का भी हिस्सा है या बिलकुल नहीं ?

श्री राममूर्ति---यह निश्चय हुआ था कि सुरेमनपुर में आधा हिस्सा रेलवे भी देगी, लेकिन इसके अलावा इस योजना के अन्दर रेलवे का कोई भार नहीं है ।

श्री भीखालाल---जो मास्टर प्लान मंजूर हुआ है क्या उसकी एक प्रति छपवा कर, हर माननीय सदस्य के पास उसकी जानकारी के लिये भिजवाने की कृपा माननीय मंत्री करेंगे ?

श्री राममूर्ति---मेरा खयाल यह है कि पिछली विधान सभा में इस प्रकार की एक प्रतिलिपि इस सदन की मेज पर रखी गयी थी, लेकिन मैं आगे भी जो मास्टर प्लान की जो कापियां हैं उन्हें माननीय सदस्यों की मेज पर या उनके यहां पहुंचाने की कोशिश करूंगा ।

कुंवर श्रीपाल---६० शहरों में बतलाया गया कि मास्टर प्लान चलाया जायगा तो उनमें क्या जौनपुर भी है ?

श्री राममूर्ति---माननीय सदस्य के इतमीनान के लिये बतला दूं कि जौनपुर भी है ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---क्या जितना धन पिछले साल केन्द्रीय सरकार से मिला था वह पूरा का पूरा खर्च नहीं किया जा सका ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति---जितना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में धन मिला था वह सब खर्च हो गया और जो हिस्सा उसका तीसरी योजना में आया है उसके ७०,७५ लाख रुपये में से २५ लाख रुपया अब दिया जा रहा है ।

श्री मैनेजर (जिला बलिया)---सुरेमनपुर में रेलवे के अन्तर्गत जो हिस्सा निर्माण होने वाला था वह क्या इस साल होगा ?

श्री राममूर्ति---सुरेमनपुर स्थान पर बाढ़ से बचाने के लिये और क्षति से बचाने के लिये जो योजना बन रही थी उसमें रेलवे का भी आधा हिस्सा है । लेकिन उसमें कहां तक काम हुआ है उसे मैं नहीं बतला सकता ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---जो बाढ़ के सम्बन्ध में मास्टर प्लान बनेगा उस पर कितना सरकारी व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति---इसके आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)---इस मास्टर प्लान में गुर्रा और राप्ती से कटते हुये गांवों को बचाने के लिये भी कोई योजना है ?

श्री राममूर्ति---इन गांवों को ऊंचा करने की योजना है ।

गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र में बस स्टेशनों पर विश्रामालयों की कमी

*१२---**श्री कल्पनार्थसिंह**---क्या परिवहन मंत्री नीचे लिखी सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि---

(अ) गोरखपुर रीजन में कितने बस स्टेशनों पर ड्राइवरों, कन्डक्टरों या अन्य कर्मचारियों को, जो ट्राफिक ड्यूटी में हैं, ड्यूटी के समय विश्रामालयों की सुविधा प्राप्त है ?

(ब) ऐसे कर्मचारियों (मिनिस्टीरियल स्टाफ एवं ट्रैफिक) की संख्या कितनी है ?

(स) क्या उन बस स्टेशनों पर जहां कर्मचारी विश्रामालय की सुविधा से बंचित हैं वहा जनता के लिये कोई विश्रामालय हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(द) क्या मंत्री जी कोई इस प्रकार का आश्वासन देने का कष्ट करेंगे कि जहां-जहां रनिंग स्टाफ रुकता है वहां उनके लिये एवं प्रत्येक बस स्टेशन जहां कम से कम २०० यात्री के आने-जाने का औसत पड़ता है वहां यात्रियों के लिये भी विश्राम कक्ष बनाये जायेंगे ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल)---(अ) २३ बस स्टेशनों पर ।

(ब) जिन बस स्टेशनों पर विश्रामालय की सुविधा प्राप्त है वहां के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

(१) मिनिस्टीरियल	२४७
(२) ट्रैफिक	७२८

(स) १५ ऐसे बस स्टेशन हैं जहां कर्मचारियों के लिये विश्रामालय की सुविधा प्राप्त नहीं है, परन्तु जनता के लिये है । बाकी जगहों पर विश्रामालय के लिये अभी तक साधन नहीं हैं ।

(द) जैसे-जैसे भूमि तथा धन का प्रावधान हो सकेगा इस काम को पूरा करने की कोशिश की जायेगी ।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने बस स्टेशन हैं जहां ड्राइवर और कंडक्टर रहते हैं, लेकिन वहां विश्रामालय की सुविधा नहीं है ?

श्री गनेशीलाल—जैसा कि उत्तर में बताया, अबतक २३ बस स्टेशनों पर सुविधा है, बाकी पर अभी नहीं है ।

श्री काशीनाथ—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । जितने भी उत्तर मंत्रियों की तरफ से दिये जा रहे हैं उनमें अधिकतर मैंने देखा कि जवाब यह आता है कि जैसे-जैसे साधन मिलेंगे वैसे-वैसे कार्यवाही होगी । तो उत्तर प्रदेश की जो विकास संबंधी योजना सुनियोजित ढंग से चल रही है उसमें आप मंत्रियों को इस तरह का उत्तर देने की इजाजत देंगे कि जैसे-जैसे साधन उपलब्ध होते जायेंगे वैसे वैसे हम करेंगे ? मैं समझता हूं कि इसमें समय की पाबन्दी होनी चाहिये । बिना समय की पाबन्दी के.....

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये । परिवहन के संबंध में जब बजट आये तब आप उसके ऊपर टीका कर लीजियेगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह—मैंने यह प्रश्न किया था कि कितने ऐसे बस स्टेशन हैं जहां ड्राइवर और कंडक्टर तो रहते हैं लेकिन उनको विश्रामालय की सुविधा प्राप्त नहीं है । मैं निश्चित संख्या जानना चाहता हूं ।

श्री गनेशीलाल—६२ बस स्टेशन ऐसे हैं जहां पर अभी तक सुविधा नहीं हो पायी है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि जहां ड्राइवरों और कंडक्टरों को इस समय विश्रामगृहों की सुविधा प्राप्त है उनमें उनको कौन-कौन-सी सुविधा दी जाती है ?

श्री गनेशीलाल—रेस्ट हाउसेज हैं, उनमें उनको रहने की सुविधा दी जाती है ।

श्री केसरीप्रसाद—क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ६२ स्थानों पर विश्रामालय की सुविधा नहीं है वहां पर यह सुविधा वे कबतक दे सकेंगे ?

श्री गनेशीलाल—श्रीमन्, इस समय-समय निश्चित करना तो कठिन है ।

श्री रामसुन्दर—जिन ६२ स्थानों पर अभी तक रहने की सुविधा नहीं है क्या उसके एवज में वहां के ड्राइवरों और कंडक्टरों को कोई किराया दिया जाता है ?

श्री गनेशी लाल—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन विश्रामगृहों में सुविधा प्राप्त हैं उनकी इमारत सरकारी है या गैर सरकारी ?

श्री गनेशीलाल—श्रीमन्, ८ स्थानों पर सरकार की परमानेंट इमारतें हैं, बाकी तीन स्थानों पर टीन के शेड बने हुये हैं और कुछ में बस स्टेशन्स किराये के मकानों में भी हैं ।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्न के (द) अंश में जो आश्वासन मांगा गया है और इसके उत्तर में बताया गया है कि ज्यों-ज्यों साधन मुहैया होंगे इसका इंतजाम किया जायगा, तो क्या विभाग ने इस उद्देश्य को स्वीकार कर लिया है और इन चीजों की पूर्ति की जायगी ?

श्री गनेशीलाल—जरूर की जायगी ।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि भूमि प्राप्त करने के लिये कौन से उपाय काम में लाये जा रहे हैं ?

श्री गनेशीलाल—श्रीमन्, इसके लिये प्राइवेट निगोशियेशन्स भी किये जाते हैं और अक्वीजीशन भी किया जाता है।

लहरा, जिला एटा में गंगा से भूमि-क्षरण

*१३—श्री बेदराम (जिला एटा) तथा श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६१ में जिला एटा में लहरा मुकाम पर जहां गंगा जी ने कटाव किया था उसका सर्वेक्षण कराया गया था? यदि हां, तो सर्वेक्षण की क्या रिपोर्ट है?

*१४—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में गंगा जी के कटाव से २ हजार बीघा भूमि तथा दो गांव १९६१ में बह गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है जिससे भविष्य में इस स्थान पर कटाव न हो?

श्री राममूर्ति—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—(श्री हिम्मतसिंह जी के प्रश्न करने के लिये खड़े होने पर) यह १४ दिन के बाद फिर आ जायगा उस समय प्रश्न कीजिये।

कानपुर जिलान्तर्गत ग्राम चुनाव में रोडवेज मोटर ठेलों के प्रयोग में अनियमितता

*१५—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत चुनाव में जिला कानपुर के आर० टी० ओ० ने चुनाव कार्य हेतु कितने मोटर ठेलों को चुनाव कार्य करने का आदेश दिया था?

श्री गनेशीलाल—सूचना इकट्ठी की जा रही है।

*१६—श्री शिवनाथसिंह—क्या यह सच है कि जिस जगह जाने के लिये उन ठेलों को प्रथम आदेश दिया गया था बाद में वह आदेश रद्द किये गये जिसके कारण एक और ठेला मालिकों को अचानक दूसरे जिलों में जाना पड़ा और दूसरी ओर से बहुत से ठेलों को मुक्त कर देने के कारण चुनाव कार्य में बाधा पड़ी तथा बाकी तौर से सरकार द्वारा सामान भरे हुये अनेक ठेलों को भी हस्तगत करना पड़ा?

श्री गनेशीलाल—सूचना इकट्ठी की जा रही है।

*१७—श्री शिवनाथसिंह—क्या सच यह है कि उक्त सब अनियमिततायें कार्यालय के कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कारण हुईं? यदि हां, तो सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री गनेशीलाल—सूचना इकट्ठी की जा रही है।

श्री नरसिंहनारायण—श्रीमन्, इस प्रकार से मंत्री जी कहते हैं कि सूचना इकट्ठी की जा रही है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दीजिये। प्रश्न के लिये १५ दिन पहले ही ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि सूचना इकट्ठी की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—देखिये नियम यह है कि उनको १४ दिन के अन्दर प्रश्न की सूची में रख देना चाहिये। अगर नहीं कर पाते तो फिर प्रश्न १४ दिन के अन्दर आ जायगा। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है।

श्री रामसुन्दर—श्रीमन्, जो हमारी नियमावली है उसमें एक मर्तबा मंत्री जी को समय दिया जा सकता है, लेकिन यह तो तीसरी बार हुआ है।

श्री अध्यक्ष—मैं मंत्रि-मंडल से यह कहना चाहूंगा कि अगर दूसरी मर्तबा भी सूचना इकट्ठी न हो पाए तो मुझे सूचना दे दें और उसका कारण बता दें ताकि मुझे मालूम रहे ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—श्रीमन्, अगर हम सूचना इकट्ठी नहीं कर पाते तो हमें पोस्पोनमेंट मिलता है ।

पोस्पोनमेंट अगर एक मर्तबे मिल जाय और उस वक्त भी पूरी सूचना न मिल पाए, क्योंकि बहुत से सवालात ऐसे होते हैं कि जिनमें बहुत सा काम होता है और उतना टाइम मयस्सर नहीं होता, तो वैसी सूरत में हम इन्टेरिम रिप्लाई दे सकते हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष—तो मैंने तो सिर्फ यह निवेदन किया कि मुझे सूचना मिल जाया करे कि क्यों नहीं उत्तर दिया जा सकता ।

गाजीपुर जिले में घरम्मपुर–नरायनपुर गंगा बांध टूट जाना

*१८—**श्री रामसुन्दर शास्त्री** (जिला गाजीपुर)—क्या सिंचाई मंत्री को यह पता है कि गाजीपुर जिले में घरम्मपुर से नरायनपुर तक गंगा नदी के किनारे-किनारे बाढ़ से गांवों की हिफाजत के लिये जो बांध बनाया गया था इस समय वह टूटी हुई अवस्था में है ? क्या सरकार आगामी बरसात से पहले इस बांध को बनवाने को सोच रही है ?

श्री राममूर्ति—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मोरटी ग्राम की कृषि भूमि सींचने के लिये नालियों को बढ़ाना

*१९—**श्री तेजसिंह** (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मेरठ, तहसील गाजियाबाद के मोरटी गांव की सिंचाई के लिये कितनी-कितनी भूमि गाजियाबाद ग्रुप के ३० तथा २१ नलकूप पर लगी हुई है ? क्या यह सच है कि पक्की नालियां न होने के कारण मोरटी के ज्यादा हिस्से में पानी नहीं पहुंचता ? अगर हां, तो क्या सरकार इस गांव में एक अलग नलकूप लगवाने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—ग्राम मोरटी का ४३५ एकड़ गाजियाबाद ग्रुप के नलकूप नं० २९, १३० एकड़, नलकूप ३० और ९० एकड़, नलकूप नं० ३ के कमान्ड में है । इस ग्राम का कोई क्षेत्र नलकूप नं० २१ के कमान्ड में नहीं है । यह सही है कि पक्की नालियों की उचित लम्बाई के अभाव से नलकूपों के कमान्ड में पड़ने वाले इस गांव के ३३१ एकड़ क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पाता है । इस कमी को दूर करने के लिये नालियों की लम्बाई बढ़ाई जा रही है । इसलिये किसी और नलकूप के लगाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सिकन्दराबाद तहसील में ओखला बांध टूटने से क्षति-ग्रस्त लोगों को सहायता तथा नहर मांट ब्रांच क्षेत्र में नलकूप सिंचाई दर

*२०—**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहली के निकट ओखला पर जो गतवर्ष जमुना नदी का बांध कटा था, उससे जो क्षति तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के ग्रामों की हुई इसके लिये ग्राम वालों को क्या-क्या सहायता दी गई ?

श्री राममूर्ति—५,४२३ रुपये जरूरतमंद लोगों को मुफ्त बांटे गये तथा ७६,४१० रुपये की तकावी बांटी गई जिसमें १२,००० पये मकानों के हेतु थे । सीमेंट के ५०० बोरे मकानों के मरम्मत हेतु मुफ्त बांटे गये । २१,०८८ रुपये की मालगुजारी की वसूली रोक दी गई ।

*२१--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त क्षेत्रों में ग्रामों को ऊंचा करने, सड़क के बनवाने तथा नालों आदि पर पुलों की कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या और नहीं तों क्यों ?

श्री राममूर्ति--जी हां, इन योजनाओं पर विचार हो रहा है।

*२२--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नहर मांट ब्रान्च के क्षेत्र में जो तहसील सिकन्दराबाद व खुर्जा जिला बुलन्दशहर में तथा जिला अलीगढ़ मे पड़ता है जो नलकूप लगाये गये हैं उन पर नहरी दरों से सिंचाई लेने का सरकारी निश्चय भंग कर दिया गया और नलकूपों पर घंटों के हिसाब से ही पानी का रेट लगाया गया है ?

श्री राममूर्ति--सुचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बताने के कृपा करेंगे कि जो सूचना उन्होंने यहां बतायी है वह कितने गांवों को दी गई और उस बांध के कट जाने का कितने गांवों पर प्रभाव हुआ था ?

श्री राममूर्ति--सुपरिंटेंडिग इंजीनियर के जरिये से उसकी जांच कराई गई और उन्होंने रिपोर्ट दी है कि करीब ३० गांव ऐसे थे कि जिनको क्षति हुई और उन्हीं गांवों में यह इमदाद के तरीके से रुपया बांटा गया।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो योजना बल रही है उसमें ऐसी भी कोई योजना है कि बांध जो करीब-करीब हर तीसरे, चौथे, पांचवें साल कट जाता है उसको मजबूती से रोका जा सके ?

श्री राममूर्ति--मुझे तीन-चार साल पहले की तो मालूमात नहीं हैं, लेकिन पिछले साल जो क्षति हुई थी उसको मैंने भी देखा और इस बात की कोशिश की गई है कि दुबारा वहां पर बीच न हो।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या यह सही है कि जब इन गांवों का दौरा सरकारी कर्मचारियों ने किया जिनमें बड़े जिम्मेदार अधिकारी जिलाधीश और कमिश्नर भी थे, तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि लगान माफ किया जायगा और आज वह माफी के बजाय वसूल किया जा रहा है।

श्री राममूर्ति--मेरे पास इसकी कोई इत्तला नहीं है।

हरदोई-हत्याहरण-बेनीगंज बस सर्विस बन्द होना

*२३- श्री परमाई (जिला हरदोई)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो बस सर्विस हरदोई से बेनीगंज वाया हत्याहरण होती हुई जाती थी वह करीब एक महीने से बन्द हो गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गनेशीलाल--सूचना इकट्ठी की जा रही है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--श्रीमन्, पचास-पचास मिनिस्टर हो गये। अब भी इनको सूचना की जरुरत है ?

श्री अध्यक्ष--और कोई ऐसा कहे तो कहे, लेकिन बलवानसिंह जी आपको यह शोभा नहीं देता। कोई और कहे तो ठीक है।

पलिया टाउन एरिया को बिजली देने पर विचार

*२४—श्री रामचरणशाह (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पलियाकलां, जिला खीरी के पावर हाउस की उत्पादन क्षमता कितनी थी तथा बिजली का उत्पादन व वार्षिक आय-व्यय वित्तीय वर्ष १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में कितना हुआ है ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—पलिया कलां, जिला खीरी के पावर हाउस की उत्पादन क्षमता २२२ किलोवाट है ।

सन् १९६०–६१ में ३०,२६६ यूनिट बिजली उत्पादित हुई ।

सन् १९६१–६२ में ३९,०५८ यूनिट बिजली उत्पादित हुई ।

		रु०
व्यय १९६०–६१ में	.. .. ..	३४,४२७.३४
आय १९६०–६१ में	.. .. ..	५,१६१.९२
व्यय १९६१–६२ में	.. .. ..	४०,१८९.६४
आय १९६१–६२ में	.. .. ..	६,२८२.७२

*२५—श्री रामचरणशाह (अनुपस्थित)—क्या पालिया टउन एरिया को इस वर्ष पावर हाउस से बिजली देने का विचार है ? यदि हां, तो किस माह से ?

श्री चरणसिंह—जी हां । पालिया टाउन एरिया को पावर हाउस से बिजली देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग से तत्संबंधी प्रोजेक्ट प्राप्त होने पर आवश्यक निर्णय लिया जायेगा । यह अन्तरिम योजना है । तृतीय योजना में हाईडेल इलेक्ट्रिसिटी से इस टाउन एरिया को भी बिजली देने का विचार है ।

नहर शाख इटावा के पुल काना कौवा से पानी निकास बनवाने पर व्यय

*२६—श्री बलवीरसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सिंचाई मंत्री को मालूम है कि नहर शाख इटावा जिला मैनपुरी, तहसील जसराना में मील नम्बर, ६ पर पुल काना कौवा को चौड़ा करते समय माइनर जो उसी पुल से निकली है उसके पानी निकास का रास्ता क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री राममूर्ति—क्योंकि इसका निर्माण अलग से प्रस्तावित था ।

*२७—श्री बलवीरसिंह—क्या यह सही है कि बाद में इसी पुल को तोड़ कर माइनर के निकास का रास्ता बनाना पड़ा ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, पुल नहीं तोड़ा गया बल्कि दीवार में केवल एक ४ × ५ फुट का रास्ता खोला गया ।

*२८—श्री बलवीरसिंह—क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दुबारा पुल तोड़ कर निकास बनवाने में कितना खर्च हुआ और किसकी असावधानी से यह दुबारा खर्च पड़ा ?

श्री राममूर्ति—चूंकि पुल नहीं तोड़ा गया इसलिये दुबारा बनवाने में खर्च पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री बलवीरसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि माइनर के पानी का निकास पुल चौड़ा होते समय नहीं बनाया जा सकता था ?

श्री राममूर्ति---जिस वक्त यह पुल बनाया गया था उस वक्त यह माइनर प्रस्तावित नहीं था ।

श्री बलवीरसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब माइनर पहले से था और कई साल से पानी का निकास था तो चौड़ा होते समय उसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया ?

श्री राममूर्ति---मैंने इसका जिक्र किया कि जो उस पुल का गाइड बन्द था उस गाइड बन्द में एक सूराख ४ × ५ फुट का बनाया गया था और सड़क उसके ऊपर इम्बैकमेंट पर जा रही थी तो उसमें नीचे बैरल डालकर पानी का रास्ता बना दिया गया ।

श्री नरसिंहनारायण---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि ४ × ५ फुट का जो सूराख बनाया गया वह किसने बनाया और उस पर कितना खर्चा आया ?

श्री राममूर्ति---वह इंजीनियरिंग विभाग द्वारा बनाया गया और ६ हजार रुपया उस पर खर्च हुआ ।

[८ मई, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सरकारी बसों में अंधों से चौथाई किराया लेने का सुझाव

*१---**श्री गणेशचन्द** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जिस तरह से रेल में अन्धों से चौथाई किराया लिया जाता है उसी तरह से सरकारी बसों में भी उनसे चौथाई किराया लिया जाया करे ?

श्री गनेशीलाल---जी नहीं ।

श्री गणेशचन्द---क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जो अन्धे ऐसे हैं जिनके रहने का कोई साधन नहीं है ऐसे अन्धों से चौथाई किराया सरकारी बसों में लिया जाय ?

श्री गनेशीलाल---श्रीमन्, यह मसला ऐसा है जिस पर सन् १९५७ में विचार किया गया था और उस समय इसको अस्वीकृत कर दिया गया था ।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुये कि अन्धे बहुत यात्रा नहीं करते और थोड़े बहुत यात्रा करते हैं तो इस स्थिति में अगर उनका किराया पूरा माफ न किया जाय तो जैसा सुझाव है यदि चौथाई कर दिया जाय तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष---अगर ये तैयार हो जायं और अन्धे ज्यादा जाने लगें तो ?

श्री चन्द्रजीत---क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से रेलवे विभाग ने किया है, अगर कोई अन्धा है तो उसको मजबूरन अपने साथ सहायता के लिये एक आदमी लेना पड़ता है और उसको लेकर वह चलता है इस लिये सरकार यह करती है कि उसके लिये रियायत हो तो उसी नियम के अनुसार क्या हमारी सरकार भी पुनर्विचार करके उसको यहां पर लागू करेगी ?

श्री राममूर्ति---यह बात इस पर डिपेन्ड करती है कि वह अन्धा किस खानदान का है । अगर अन्धा रईस खानदान का है तो उसको क्यों माफ किया जाय और अगर अन्धा ऐसा है तो रेलवे या बस में बड़ी आसानी के साथ हमदर्द लोग उसको बैठा लिया करते हैं ।

*२-३---**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---[हटा दिये गये ।]

गोला से चुरिया तक घाघरा का कटाव रोकने की प्रार्थना

*४—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—क्या सरकार तृतीय आयोजना में गोला (गोरखपुर) लगायत चुरिया (देवरिया) तक घाघरा के दायें किनारे पर कटाव रोकने की योजना सम्मिलित करेगी ? यदि हां, तो उसकी क्या रूपरेखा होगी ?

श्री राममूर्ति—अभी ऐसी कोई योजना नहीं है किन्तु इस संबंध में सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसके पूर्ण होने पर ही कुछ कहा जा सकेगा ।

ताल पताछ योजना, आजमगढ़

*५—श्री रामसुन्दर—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ताल पताछ योजना आजमगढ़ के प्रारम्भ होने में कौन-कौन रुकावटें हैं तथा उन्हें दूर करने के लिये कौन-कौन साधन काम में लाये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—अभी यह योजना राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत की जानी है और यदि यह स्वीकृति प्राप्त हो गई तो आवश्यक धन उपलब्ध होने पर इस योजना को कार्यान्वित किया जा सकेगा ।

श्री रामसुन्दर—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह योजना राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड में कब आई और कितने महीने में उसकी मीटिंग होती है और इस योजना को उस मीटिंग में न लाने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, टैक्निकल सब-कमेटी फ्लड बोर्ड का हिस्सा है और योजनाओं की जांच उसके द्वारा की जाती है और वक्तनफ-वक्तन उस टेक्निकल सब-कमेटी की मीटिंग होती रहती है । जब योजनायें वहां से स्वीकार होती हैं तभी फ्लड बोर्ड में आती हैं । चूंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस वक्त ४ करोड़ ६५ लाख रुपया हमारे पास था और मैंने अर्ज किया था कि ८५ लाख रुपया स्केल ओवर स्कीम्स पर खर्च हुआ तो हम इस बात की कोशिश करते हैं और जिन योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है उनको हम पहले ले लेते हैं ।

श्री रामसुन्दर—क्या सिंचाई मंत्री बतलायेंगे कि टेक्निकल कमेटी ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है और राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड जब उसका एक अंग है तो उसे स्वीकार करने में क्या दिक्कत है ?

श्री राममूर्ति—जवाब में है कि अभी योजना राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकार की जानी है । अगर उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जायगी तो आवश्यकता पड़ने पर उसे कार्यान्वित किया जायगा और यदि उचित होगा तो उसे प्राथमिकता भी दी जा सकती है फ्लड बोर्ड की मीटिंग होने पर ।

श्री रामसुन्दर—क्या सिंचाई मंत्री जी बतलायेंगे कि राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक हर महीने होती है या कई कई महीनों बाद होती है ?

श्री राममूर्ति—हर महीने बैठक नहीं होती ।

कानपुर क्षेत्र में रोडवेज अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*६—श्री शिवनार्थासिंह—क्या परिवहन मंत्री यह बतायेंगे कि १ जनवरी, सन् १९५८ से लेकर ३१ दिसम्बर, १९६१ तक कानपुर रीजन में किन किन विधायकों ने गवर्नमेंट रोडवेज के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें कीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गनेशीलाल—आवश्यक सूचना संलग्न नत्थी में दे दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३३१ पर)

*७—श्री शिवनार्थसिंह—क्या यह सही है कि उपर्युक्त शिकायतों में से कुछ की जांच उन्हीं विभागीय लोगों को दे दी गई जिनके विरुद्ध शिकायतें लिखी गई थीं ? यदि हां, तो ऐसा करने का कारण क्या है ?

श्री गनेशीलाल—जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिवनार्थसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जितनी शिकायतें माननीय विधायकों द्वारा की गयीं वह सब इस जांच में आ गयीं या कुछ शिकायतें अभी छंटनी बाकी हैं ?

श्री गनेशीलाल—जो शिकायतें हैं वह सब नत्थी में हैं ।

श्री शिवनार्थसिंह—भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री रामस्वरूप वर्मा जी द्वारा अक्तूबर/नवम्बर, १९६१ में एक शिकायत घाटमपुर बस स्टेशन के इंचार्ज के खिलाफ की गयी थी और कापी उसकी परिवहन मंत्री और जनरल मैनेजर, रोडवेज को भेजी गयी थी, वह शिकायत इनमें हैं या नहीं ?

श्री गनेशीलाल—इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है । जो सूचना है वह यह कि २५-५-५९ की एक शिकायत है भुवनेशभूषण जी की और २४-३-६० की एक शिकायत है रामस्वरूप जी की ।

श्री नरसिंहनारायण—जो शिकायतें आपको मिली हैं उनका आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष—यह नत्थी में दिया हुआ है ।

श्री शिवनार्थसिंह—मैंने पूछा था श्रीमन्, कि १९५८ से १९६१ तक की शिकायतों का ब्योरा दिया जाय और माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमको सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—उनके कहने का मतलब यह है कि जो-जो शिकायतें उन के पास आयी हैं उनका उल्लेख उन्होंने इसमें कर दिया है ।

श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—मोटे तौर पर अगर एक शिकायत हो तो उसे तय करने में सरकार को कितना समय लगता है ?

श्री गनेशीलाल—यह तो शिकायत पर है । अगर साधारण शिकायत है तो जल्दी भी तय हो सकती है ।

*८—१०—श्री रघुवीर—[२९ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*११-१२—श्री ऊदल—[२९ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१३—१५—श्री रामअनन्त पांडेय (जिला बलिया)—[२९ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१६—श्री बेदराम—[२९ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१७—१९—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—[२९ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२०-२१—श्री रघुवीर सहाय (जिला फतेहपुर)—[२९ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२२—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—[९ मई, १९६२ के लिये प्रश्न १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२३—श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर) तथा श्री उग्रसेन—[२९ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२४—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—[४थे शुक्रवार के लिये प्रश्न १०७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२५—श्री तेजनारायण (जिला खीरी)—[२९ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२६—श्री रामसुन्दर—[२९ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२७-२८—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—[२९ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२९-३०—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—[२९ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन मुकदमे

*३१—श्री बेदराम (अनुपस्थित), श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) तथा श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में करीब ४०,००० मुकदमे अनिर्णीत पड़े हैं ? अगर हां, तो इस समस्या का हल करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

न्याय मंत्री के सभा-सचिव (श्री चन्द्रसिंह)—जी हां । वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३३२ पर)

श्री चन्द्रजीत—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त जो इलाहाबाद में ४० हजार के करीब मुकदमे पड़े हुये हैं उनको शीघ्र निबटाने के लिये चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट, इलाहाबाद, ने यह लिखा है कि सन् १९६० में जो ३ एडीशनल जजों को बढ़ाया गया था उनकी तादाद और बढ़ा दी जाय ताकि उनके फैसले जल्दी हो सकें ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—हां, ३ जज अभी और एप्वाइन्ट होना बाकी हैं और मेरा खयाल है वह जल्दी हो जायेंगे ।

श्री काशीनाथ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुकदमों की मेरिट्स को देखते हुये उनके फैसले के लिये कोई समय निर्धारित हो, इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह कोर्टस् में नहीं हो सकता ।

गाजीपुर जिले में स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिकों को पेंशन

*३२—श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजीपुर जिले में स्वतंत्रता-संग्राम के कितने सैनिकों को पेंशन दी जा रही है ?

श्री गनेशी लाल—गाजीपुर जिले में स्वत्रंता संग्राम के ३३७ सैनिकों को पेंशन दी जा रही हैं।

*३३—श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या सरकार की मंशा स्वतंत्रता-संग्राम के उन तमाम सैनिकों को पेंशन देने की है जो उसके ख्वाहिशमन्द हैं ?

श्री गनेशीलाल—जी नहीं ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पेंशन नियमों के अनुसार जिनके प्रार्थना-पत्र नामंजूर कर दिये जाते हैं, उनकी दरख्वास्तों पर पुनः विचार कर उन्हें मंजूर करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—आप कोई व्यक्ति विशेष का नाम बतलाइये, ऐसे वे क्या बतलायेंगे ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—श्रीमन्, गाजीपुर के इस तरह के बहुत से केसेज हैं ।

श्री गनेशीलाल—जब प्रार्थना-पत्र आते हैं तो उन पर नियमों के अनुसार विचार किया जाता है और जो सही होते हैं उनको पेंशन दी जाती है, बाकी को खारिज कर दिया जाता है ।

*३४—श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—[२९ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३५–३७—श्री रामकिशोर (जिला फतेहपुर)—[२९ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३८—४०—श्री कल्पनार्थसिंह—[२९ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४१—श्री हरीशकुमार गंगवार—[२९ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

बीरपुर ड्रेन गहरी करने की आवश्यकता

*४२—श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली तहसील में भोजीपुरा ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम बीरपुर व सुरला के निवासियों को बीरपुर ड्रेन को गहरी कराने का उन्होंने आश्वासन दिया था जिससे बाढ़ न आवे ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं ।

*४३—श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या यह सही है कि प्रतिवर्ष बीरपुर ड्रेन न खुदने से पूर्व वर्षा काल में उपरोक्त दोनों ग्रामों की सैकड़ों एकड़ भमि जलमग्न होकर कृषि के अयोग्य हो जाती हैं ?

श्री राममूर्ति—ग्राम बीरपुर की १६ एकड़ भूमि और ग्राम सुरला की १३४ एकड़ भूमि वर्षा काल में पानी से डूब जाती हैं और कृषि के योग्य नहीं रहती ।

*४४–४५—श्री झिलमिट झिल्लू (जिला गाजीपुर)—[२९ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

इंचार्ज, बस स्टेशन, गाजीपुर के विरुद्ध शिकायत

*४६—श्री रघुवीर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में बस स्टेशन इंचार्ज ने तारीख ६ अप्रैल, १९६२ को शम्भूनाथ कन्डक्टर और ड्राइवर मुख्तार-अली को बुरी तरह से पीटा है ? यदि हां, तो उपरोक्त व्यक्तियों को मारने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन—पहला भाग–जी नहीं ।

दूसरा भाग–प्रश्न नहीं उठता ।

नोट—तारांकित प्रश्न ३३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*४७—श्री रघुवीर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त व्यक्तियों के मारने के बाद पूरे जिले के कर्मचारियों में असंतोष छाया हुआ है और मारे गये कर्मचारियों की तरफ से कोई दरख्वास्त सरकार के पास आई है ? यदि हां, तो उस दरख्वास्त में क्या वजह मारे जाने की दिखाई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—असन्तोष की कोई रिपोर्ट नहीं है। कन्डक्टर व ड्राइवर की एक दरख्वास्त ए०जी०एम०, आजमगढ़ के पास आई थी जिसमें यह शिकायत की गई थी कि स्टेशन इंचार्ज ने उन्हें इसलिये मारा कि वह उनके कहने के मुताबिक एक यात्री लड़की को बस में न ले जा सके थे। जांच करने से मार पीट की शिकायत गलत निकली।

*४८—श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—[२९ मई, १९६२ के लिये प्रश्न ११९ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

प्रश्नों के उत्तर देने में विलम्ब पर आपत्ति

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नों के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं। आप कृपया नत्थी (ख) में प्रश्न संख्या २३ को देखने की कृपा करें जो इस प्रकार से है, "क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो बस सर्विस हरदोई से बेनीगंज वाया हत्याहरण होती हुई जाती थी वह करीब एक महीने से बन्द हो गयी है ? यदि हां तो क्यों ?" इसके लिये माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सूचना नहीं आयी है। अगर एक पत्र स्टेशन इंचार्ज को लिख दिया जाता तो वह भेज देते। यह एक बार २४-४-६२ को स्थगित भी हुआ है। १ महीना २१ दिन तो लग चुका है और अब २ महीना ५ दिन के बाद उत्तर मिलेगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस छोटे से प्रश्न पर उनको सूचना मंगाने में इतना समय क्यों लग रहा है ?

श्री अध्यक्ष—परिवहन मंत्री—क्या आप बतायेंगे कि इस बहुत ही साधारण से प्रश्न पर सूचना मंगाने में इतना समय क्यों लगा ? यह तो एक टेलीफोन से ही पता लग सकता था। ऐसी बातों से जरा शंका होने लगती है कि विभाग अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझता।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—जैसा आपने स्वयं कहा कि यह बहुत सरल सी बात थी और उसके लिये मंत्री जी खड़े हो कर कह दें कि सूचना एकत्र हो रही है वह अनुचित है। तो इस दृष्टि से आप कोई व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—मैंने एक बात कह दी है कि मुझे बताया जाय कि सूचना क्यों नहीं एकत्र हो पायी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—इस सम्बन्ध में आप मेरी भी एक बात सुन लें। पहले जब मंत्रियों की संख्या कम थी तब जल्दी जवाब आ जाया करते थे, लेकिन अब ५० मंत्री हो गये हैं तो जवाब देने के लिये उनको दो महीने चाहिये। यह फौज मंत्रियों की उच्छृंखल हो रही है इनको डांटना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—बेकार की बात आप न कहिये।

श्री उग्रसेन—जिसको आपने संसदीय करार दे दिया है उसी का प्रयोग कर रहा हूं। यह मंत्रियों की फौज क्या करेगी ? इसीलिये मैं कहता हूं कि इनको डांटना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—मैं उसके लिये कह चुका हूं कि विभाग अपने उत्तरदायित्व को ठीक से नहीं समझता है। अब मंत्री जी स्वयं तो सूचना नहीं प्राप्त करते हैं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव आया है और मैंने उसको इसलिये अस्वीकार कर दिया है कि उसमें तिथि और समय न लिखे होने के कारण वर्तमान स्थिति में वह अनिश्चित है और हाल ही में घटित होने वाली घटना नहीं है ।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—श्रीमन्, वह मेरा जो कामरोको प्रस्ताव है.....

श्री अध्यक्ष—यह बड़ी गलत बात है कि मैं बोल रहा हूं और आप खड़े हो कर कहने लगते हैं ।

श्री चन्द्रबली—लोगों की जान जाने की नौबत हो गयी है । गांव के सैकड़ों लोग गुण्डों से परेशान हैं और उस पर जब सवाल आता है तो खारिज कर दिया जाता है । मैं बताऊं.....

श्री अध्यक्ष—आपको बताने की जरूरत नहीं है । आप बैठ जाइये । मैं बोल रहा हूं और आप खड़े हो जाते हैं । कामरोको प्रस्ताव समाप्त हो गया है ।

श्री चन्द्रबली—सैकड़ों गांव के लोग गुण्डों से परेशान हैं । इसलिये मैं आप को बतलाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—आपको बतलाने की जरूरत नहीं है । अगर आप समझते हैं कि नियम ठीक नहीं बना है तो नियम को ठीक बनवा लीजिये । आप बैठ जायं ।

श्री चन्द्रबली—अगर कामरोको, प्रस्ताव के लिये किसी ऐक्ट को बनाने की जरूरत है तो यह काम आप किसी अधिकारी को दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं ।

श्री चन्द्रबली—यह बहुत ही अहम सवाल है ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के सम्बन्ध में एक सूचना मेरे पास आई है । एक सूचना जो माननीय चन्द्रजीत यादव जी की है उसको जिस रूप में उन्होंने दी है मैं समझता हूं कि अल्पसूचित प्रश्नों के रूप में उसे दें तो अधिक सुविधा होगी । बाकी जितनी सूचनायें हैं उन्हें स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं ।

कानपुर एम्प्लायर एसोसिएशन द्वारा मिलों के बूढ़े मजदूरों को नौकरी से अलग करने के नोटिस के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—कानपुर में एम्प्लायर एसोसियेशन द्वारा मिलों के बूढ़े मजदूरों को नौकरी से अलग करने का नोटिस देने के बारे में श्रम मंत्री अपना वक्तव्य देंगे ।

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—मान्यवर, इस विषय में श्रमायुक्त ने एम्प्लायर्स एसोसियेशन नार्दर्न इंडिया तथा कानपुर के कुछ कारखानों से जो पूछताछ की उससे इस बात का कोई पता नहीं चलता है कि इन मिलों ने वद्धावस्था के कारण काफी संख्या में अपने

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

श्रमिकों को नौकरी से हटाने के सम्बन्ध म कोई योजना बना रखी है और न जे० के० काटन स्पिनिंग ऐन्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर अथवा जे० के० जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर द्वारा इस प्रकार किसी पुराने तथा वृद्ध श्रमिकों को नौकरी से हटाये जाने की ही कोई सूचना प्राप्त हुई है ।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि कानपुर के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लागू स्थायी आदेशों में एक ऐसा प्रावधान है कि प्रबंधक मिल के किसी भी स्थायी कर्मचारी (आपरेटिव) को १४ दिन का नोटिस देकर अथवा नोटिस के बदले १२ दिन का वेतन देकर नौकरी से हटा सकता है। इस स्थायी आदेश के अधीन जे० के० काटन स्पिनिंग ऐन्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के एक श्रमिक को उसकी वृद्धावस्था तथा दीर्घकालीन रुग्णता के कारण नौकरी से हटाने का प्रश्न निर्णय हेतु सिविल मिसलेनियस रिट संख्या ३३०३/१९५८ में हाई कोर्ट, इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत हुआ। हाई कोर्ट ने यह निर्णय किया कि सं०प्रा० औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट में जो छंटनी (रिट्रेन्चमेंट) की परिभाषा दी हुई है उसके अनुसार किसी श्रमिक का उसकी वृद्धावस्था तथा दीर्घकालीन रुग्णता के कारण नौकरी से हटाया जाना छंटनी का मामला नहीं है, अतएव ऐसा कोई श्रमिक ऐक्ट की व्यवस्था के अनुसार छंटनी की क्षतिपूर्ति पाने का हकदार न होगा। इस निर्णय के विरुद्ध एक स्पेशल अपील दायर की गई थी और हाई कोर्ट की एक बेंच ने उक्त प्रश्न पर इक्ले (सिंगल) जज के निर्णय की पुष्टि की है। इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष—श्री यूसुफ जी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो केवल एक ही प्रश्न आप पूछ सकते हैं।

श्री सन्तसिंह युसुफ (जिला कानपुर)—मैं माननीय मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि आप को जो सूचना दी गयी है वह सही नहीं है । जे० के० काटन स्पिनिंग ऐन्ड वीविंग मिल्स से ४ आदमी और जे० के० जूट मिल से भी ४ आदमी निकाले गये हैं। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि मंत्री जी इसकी जांच करा लें ।

श्री अध्यक्ष—मैंने कहा था कि माननीय मंत्री जी इस के विषय में एक वक्तव्य दे दें और उन्होंने वक्तव्य दे दिया है। अब आप श्रम मंत्री जी से मिल लें तो बहुत-सी बातें साफ हो जायेंगी ।

श्री सन्तसिंह युसुफ—मैं चाहता हूं कि जब सरकार का इस मामले में आर्बिट्रेशन बोर्ड है, तो उसको देखते हुये, उसके होते हुये, इस तरह से निकालना गैर कानूनी है ।

श्री अध्यक्ष—उस रोज मैंने सदन में कहा था कि इस के बारे में केवल वक्तव्य होगा और मैंने कहा था कि वक्तव्य आप के पास भेज दिया जायेगा और वह वक्तव्य यहां पढ़ा गया इसलिये कि सभी सदस्यों को इसका ज्ञान हो जाय।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—आपकी बात का आदर करते हुये कि मंत्री जी केवल वक्तव्य देंगे और उस के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे, लेकिन जिस प्रकार का यहां पर वक्तव्य दिया गया है और जो सूचना थी वह भी सरकार के पास नहीं है । फिर जब आपने उनको प्रश्न पूछने के लिये आदेश दिया है तो उन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या सरकार इसकी जानकारी करायेगी तो आप उसका उत्तर मांग लें ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, मैंने माननीय यूसुफ जी से इस सम्बन्ध में बात की थी और मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि यदि वह कोई स्पेसिफिक केस हमारे सामने लायेंगे तो मैं भेजकर उसके बारे में जांच कराऊंगा ।

१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य, अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत—(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—अब हम वित्तीय वर्ष १९६२-६३ पर मतदान जारी रखेंगे। श्री शारदानन्द।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, इसके बारे में मैं भी एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब मैंने सदस्य को बोलने के लिये कह दिया है।

*श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव श्री झारखंडे राय जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे तो हमारा भारतवर्ष कृषि के मामले में मुख्यतः इन्द्रदेव की कृपा पर निर्भर रहता है, फिर भी भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे यहां के किसान ने इस बात की ख्वाहिश रखी थी कि उसको कुछ सुविधायें मिलेंगी। हमारी सरकार द्वारा जो पुस्तक हम लोगों को दी गई है और उसमें जो आंकड़े दिये गये हैं, उससे यह ज्ञात होता है कि नहरों की लम्बाई तो बढ़ गई है पर पानी नहीं बढ़ा है जिसके कारण भारत के किसानों को एक भारी नुकसान यह हो रहा है कि जो सरकार के कागजों पर नहरों की लम्बाई बढ़ी है और पानी नहीं बढ़ा है उसके कारण आज किसान को जिस समय वह पानी चाहता है, उस समय उसको पानी नहीं मिलता है। उसका एक उदाहरण मैं बताता हूं कि हमारे गांव में जो नहर है वह ऐसी है कि उस में पानी तो आता है, लेकिन वह पानी बम्बे से निकलता नहीं है, वह बम्बे के नीचे ही रहता है और उसके कारण वहां के किसानों को तीन साल से परेशानी हो रही है। चारों तरफ दौड़-धूप करते हैं, अधिकारियों के पास शिकायतें करते हैं फिर भी वह पानी उनको उपलब्ध नहीं हो पाया।

इसका कारण एक दूसरा भी है और वह यह है कि जब अंग्रेजों ने नहरें बनवाईं तो उन नहरों पर उस समय के इंजीनियरों ने जो झालें बनवाई थीं, जब हमको स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद जब हमारे स्वतंत्र देश के इंजीनियर उस कार्य के लिये बैठे तो पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने उन झालों को तोड़ने की आज्ञा दे दी। पहले के इंजीनियरों ने इन झालों को इस कारण बनवाया कि नहरों में पानी ठीक तरह से पहुंचे और वह पानी ठीक तरह से काश्तकारों को मिलता था, लेकिन आज जब वह झालें तोड़ दी गई हैं तो वह पानी बराबर से नहीं मिल पा रहा है। अतः इस सब को देखते हुये आप ही सोचें कि कौन से इंजीनियर गलती पर थे। इसके लिये आज काश्तकार दौड़-धूप लगाते हैं और तरह-तरह की शिकायतें भी करते हैं पर आज डिपार्टमेंट की तरह से कोई भी सुनवाई नहीं होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे काश्तकार ने सोचा था कि हमको भी कुछ सिंचाई की सुविधायें प्राप्त होंगी, पर सरकार की जो बड़ी-बड़ी योजनाओं की नीति है उसके कारण प्रदेश का बहुत नुकसान हो रहा है। जब से बड़ी-बड़ी योजनायें लागू की गईं और पानी के प्राकृतिक बहाव को रोकने का प्रयत्न किया गया उससे कई जिलों को जैसे मिर्जापुर, काशीपुर और मुजफ्फरपुर को काफी क्षति उठानी पड़ी है। बहुत-सी कृषि योग्य भूमि योजनाओं के कारण बाढ़ के पानी से जलमग्न रहती है और धरती की उर्वरा

†७ मई, १९६२ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदानन्द]

शक्ति खत्म होती है। दूसरी बात यह है कि भूमि का जल स्तर ऊपर बढ़कर आबादी को नुकसान पहुंचाता है और खेतों को नुकसान पहुंचाता है। इन्हीं कारणों से भारतीय जनसंघ का विचार और उसकी नीति और मांग है कि छोटे छोटे उद्योगों और छोटी-छोटी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाय। यदि ये योजनाएं चलाई जायंगी तो कृषक इनका व्यय भी वहन कर सकता है। इसके अलावा जहां पर प्रदेश में सिंचाई नहीं हो पा रही है वहां पर छोटी योजनाओं के द्वारा पानी मिल सकेगा।

आज बड़ी योजनाओं के द्वारा ४७ प्रतिशत उत्पादन बढ़ता है तो ९० प्रतिशत व्यय होता है, परन्तु छोटी योजनाओं से ९१ प्रतिशत उत्पादन होगा और ६२ प्रतिशत व्यय होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि छोटी योजनाओं के द्वारा हम सारे प्रदेश की सिंचाई कर सकते हैं, इसलिये उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

जिस जिले से मैं आया हूं वहां के लिये मैंने देखा कि तृतीय योजना में जल निकासी की कोई योजना नहीं रखी गई है। वहां पर कई ऐसे गांव हैं जहां पर कोई नदी नहीं है फिर भी वह जल से डूबे रहते हैं। मैं सरकार का ध्यान एक गांव राजेपुर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां के काश्तकार सन् १९५१ से परेशान हैं। उसके दो तरफ नहरें हैं और एक तरफ सड़क है। वहां पर बहुत पानी भर जाता है। सन् १९६० की बाढ़ में वहां पर जिले के अधिकारी गये थे और आश्वासन भी दिया था कि नहर पर साइफन बनाकर पानी निकालने की व्यवस्था की जायगी, परन्तु आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सन् १९५१ से काश्तकार परेशान हैं, दरख्वास्तें देते हैं, मंत्री महोदय के पास भी दरख्वास्तें आई हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। दोबारा बाढ़ आने पर फिर वह परेशान होंगे। मंत्री जी इसको नोट कर लें और उस गांव की व्यवस्था करा दें।

साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि जब छोटी योजनाओं से लाभ हो सकता है तो उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिये। आज सिंचाई इतनी मंहगी पड़ रही है कि किसान यह नहीं सोच पाता कि वह खेत को सींचे या ऐसे ही रहने दे। पहले सरकार ने इस बात को माना था कि सिंचाई कम होनी चाहिये और तीन आने की छूट दी थी, परन्तु इस चुनाव से पहले ही तीन आने की जो छूट मिली थी काश्तकारों को उसको फिर बढ़ा दिया गया। आज किसान परेशानी में है कि वह पानी ले या न ले, यह प्रश्न किसान के दिमाग में पैदा हो गया है।

श्री रामकिशोर (जिला बाराबंकी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से सिंचाई विभाग पर चल रही चर्चा पर कुछ सुझाव मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। श्रीमन्, इसमें संदेह नहीं है कि बिगत दो पंचवर्षीय योजनाओं में बड़ी-बड़ी नहरें निकाली गयीं और बड़े-बड़े आयोजन हुये फिर भी पानी की जो कमी है वह पूरी नहीं हो पायी है। खाद्य उत्पादन का कार्य कृषि विभाग करता है और पानी देने का नहर, किन्तु कृषि और सिंचाई विभाग में सामंजस्य नहीं है इसलिये पानी समय पर नहीं मिल पाता। फलतः रबी, खरीफ अभियान फेल हो जाते हैं, खेती सूख जाती है। अतः सिंचाई मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस कमी को पूरा करने के लिये ऐसी व्यवस्था करें जिससे कृषि विभाग के अधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारी मिलकर यह तय कर लें कि किसानों को पानी की आवश्यकता किस जगह और कब होगी, उसी समय पानी दिया जाय।

श्रीमन्, केवल इन बड़ी योजनाओं से किसानों की पानी की समस्या हल होने वाली नहीं है सिंचाई की सुविधा के लिये कुयें, रहट की व्यवस्था होनी चाहिये। मेरा नम्र निवेदन है कि आज जो कुआं बनाने के लिये कर्जा दिया जाता है उसके साथ ही साथ रहट लगाने के लिये कर्जा दिया जाय तथा अनुदान भी किसानों को दिया जाय। श्रीमन्, अंग्रेजों के जमाने से "शामिल वरहा" कानून चला आ रहा है जिसकी वजह से किसान को बिना सिंचाई किये ही आबपाशी देनी पड़ती है, क्योंकि नहर का पानी भी उन्हीं गूलों से जाता है और कुयें का पानी भी उन्हीं गूलों से जाता है। आशा है माननीय मंत्री जी इस कानून को हटा देने की कृपा करेंगे।

इसके अतिरिक्त हैदरगढ़ तहसील में झीलों की भी बड़ी भारी समस्या है। इन झीलों में बरसाती पानी भर जाता है जिसके निकाले जाने का कोई प्रबन्ध नहीं है। मैं सरकार का आभारी हूं कि उसने टिकरा रानीखेत झील और शिवगढ़ ड्रेन की योजना बनायी है। टिकरा झील में रौली माइनर का पानी भी जो बच जाता है गिरता है। कई वर्षों से किसानों के लिये यह समस्या बनी हुई है। इसलिये सरकार से अनुरोध है कि इसके लिये जो योजना सरकार के विचाराधीन है उसको सरकार बरसात से पहले पूरी कराने की कृपा करे। इसी प्रकार से शिवगढ़ ड्रेन का काम भी पूरा किया जाय।

आज सरकार की बड़ी बड़ी सिंचाई की योजनायें चल रही हैं। उनसे एक समस्या यह पैदा हो गई है कि आवागमन के लिये पुलों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। बीच के पानी की निकासी का प्रश्न भी हमारे सामने आता है। शारदा नहर पर लखनऊ से हैदरगढ़ जौनपुर ब्रान्च के १८ मील ५ फर्लांग पर सरकार एक पुल की व्यवस्था करे। यह सरकार के विचाराधीन भी है, उसको शीघ्र बनवाये जाने का प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये। वहां पर पड़ोस में ही बाबा परमेश्वरदास, हसुआपुर का एक मेला लगता है, वहां हजारों की संख्या में हर मंगलवार को देहातों से लोग आते हैं। किन्तु वहां जाने के लिये लोगों को कई मील का चक्कर करना पड़ता है जिससे काफी परेशानी होती है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि यहां पर एक पुल की व्यवस्था की जाय। इसी माइनर में दयालगंज ग्राम आता है जहां जौनपुर ब्रांच और हैदरगढ़ ब्रांच एक दूसरे से अलग होते हैं और उस गांव को घेरे में डाल देते हैं। दयालगंज गांव उस नहर की वजह से घिर जाता है, वहां एक ड्रेन की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे कि वहां गांव का पानी निकल सके और लोगों की समस्या हल हो सके।

और भी जो इस क्षेत्र में झीलें हैं, जैसे बमरौली, सराय पांडे, इस संबंध में एक सर्वेक्षण कराया जाय और तहसील हैदरगढ़ की झीलों से पानी की निकासी की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ सिंचाई मंत्री जी का ध्यान इस तरफ फिर दिलाना चाहता हूं कि ये जो योजनायें चल रही हैं उन पर वे विशेष रूप से ध्यान देने की कृपा करें और वर्षाकाल से पूर्व इसको पूरा कराने का प्रयास करे।

श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का आज मौका दिया। सिंचाई का विषय एक ऐसा विषय है जिसका तमाम मनुष्यमात्र से संबंध है। जहां तक देश की उन्नति का संबंध है वह देश की पैदावार और कृषि के ऊपर ही निर्भर है। कृषि के लिये पानी, बीज और खाद की आवश्यकता होती है। जिस जगह सिंचाई के साधन हों वहां पैदावार अच्छी हो सकती है और वहां के हर एक साधन अच्छे हो सकते हैं। वैसे हमारी सरकार ने सिंचाई के साधनों की बहुत कुछ पति की है। बहुत से ट्यूबवेल्स व नहरें बनायी गयी हैं।

जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां ट्यूबवेल्स किस दशा में चल रहे हैं, उसका यहां बयान करना मैं आवश्यक समझता हूं। वैसे तो वहां ट्यूबवेल्स बहुत काफी लगे हुये हैं, लेकिन पिछले साल समय पर ट्यूबवेल्स नहीं चले जिससे काश्तकारों को पूरी तरह से पानी नहीं मिल पाया। करीब आधी रात के ट्यूबवेल्स बन्द कर दिये जाते थे जिससे बहुत से काश्तकारों के खेतों तक पानी ही नहीं पहुंच पाया और उन्हें पूरी आबपाशी देनी पड़ी। बहुत सी जगहों पर गूल खराब पड़े हैं और जब वहां गूलों की सफाई का कोई इन्तजाम बरसात से पहले नहीं किया गया तो बहुत से काश्तकारों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता और वे अपनी सिंचाई से महरूम रह जाते हैं। जहां ईख की आबपाशी का समय होता है वहां के ट्यूबवेल आपरेटर्स पानी के लिये इस कदर परेशान करते हैं कि उन्हें एक पानी देना पड़े तो उतनी ही सिंचाई और दस पानी देना पड़े तो उतनी ही

[श्री सुक्खनलाल]

सिंचाई, यह चीज समझ में नहीं आती। वैसे नियम तो यह है कि जब कोई काश्तकार पानी लेगा तो आपरेटर्स उसको एक पर्चा देंगे, लेकिन मैंने देखा है कि किसी काश्तकार को भी वे पानी का पर्चा नहीं देते हैं।

जहां तक ट्यूबवेल्स की व्यवस्था का संबंध है, वे इस तरह से चल रहे हैं कि बहुत से ट्यूबवेल्स सही टाइम पर पूरा पानी नहीं दे पाते। पुराने ट्यूबवेल्स की ऐसी दशा हो गयी है कि जहां पानी का समय होता है, किसी का इंजन रुक जाता है, जिस के जरिये पानी नहीं निकल पाता। काश्तकार इसी आशा में रहते हैं कि उनको ट्यूबवेल्स से पानी मिलेगा। इस संबंध में मेरा एक सुझाव यह है कि जहां पर ट्यूबवेल्स काम नहीं दे रहे हैं और वहां पर बड़े बड़े उसके कमांड बने हुये हैं, उस कमांड के काश्तकार अगर अपने यहां रहट के कुवें लगवाना चाहें तो उसके लिये उनको सिंचाई विभाग द्वारा सबसिडी दी जाय और काश्तकारों को प्रोत्साहन दिया जाय कि वे स्वयं अपने सिंचाई के साधनों को ठीक कर सकें और पैदावार को बढ़ा सकें। इसी तरह से अगर काश्तकारों को सिंचाई विभाग से थोड़ी सी सहायता मिले तो मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां पर सिंचाई की कोई दिक्कत नहीं रहेगी और पैदावार भी बढ़ जायगी।

दूसरे विभाग के द्वारा बांधों का प्रबन्ध किया जाता है और जहां पर नदियों और नालियों का प्रबन्ध किया जाता है वहां मेरे क्षेत्र में एक बड़ी भारी समस्या है कि गंगा की बाढ़ के कारण हर साल हजारों एकड़ जमीन पानी से प्रभावित हो जाती है और उसमें कोई भी फसल नहीं हो पाती है, पूरे साल भर किसान आशा करता रह जाता है कि जब जमीन पानी से खाली हो तो उसको काम में लाये, लेकिन पिछले ३ सालों में बहुत बड़े क्षेत्र में कुछ नहीं हो सका है और उसका फल यह हुआ है कि वहां के किसान अपने जानवरों और बाल बच्चों के लिये कोई खाने की चीज पैदा नहीं कर सके हैं। मैं चाहता हूं कि जहां पर ऐसी समस्यायें हैं, जहां पर ऐसी हजारों एकड़ भूमि बेकार हो रही है वहां पर बांधों की व्यवस्था की जाय और समस्या को हल किया जाय। उस क्षेत्र में १६ मील का एक ऐसा लम्बा बांध है, नरोरा बांध, जिस को हरिहर बाबा का बांध कहते हैं—उसके आगे ही अगर उसे रेलवे लाइन तक मिला दिया जाय तो उस से हजारों एकड़ भूमि की रक्षा हो सकती है और पैदावार की मात्रा भी बहुत बढ़ सकती है। इस तरफ सरकार खास तौर से ध्यान दे और वहां के लोगों की तकलीफ और पैदावार की समस्या को हल करने की कोशिश करे। इससे वहां के लोगों का बड़ा कल्याण होगा।

दूसरी समस्या एक और क्षेत्र की है वह यह है कि वहां पर उथले के कारण बरसात के बाद पानी भर जाता है और सारी फसल नष्ट हो जाती है। इस का आज तक कोई उपाय नहीं हो पाया है। एक बार थोड़ी सी शिकायत की गई थी। जो इंजीनियरों ने एक नहर निकालने का प्रयोजन रखा था, हमारा खयाल था कि इस साल कुछ होगा, लेकिन उसके लिये अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। उथले से वहां किसानों की बड़ी हानि हो रही है, मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि जहां के लिये कोई इस तरह की स्कीमें हैं उन को पूरा किया जाय और इस तरह के छोटे छोटे बांध, नाले और पानी के रास्ते और नहरें बनाकर उथले और पानी के भर जाने की समस्या को हल करें। इस से जनता का बड़ा भारी लाभ होगा और कृषि के उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी होगी।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव आया है उस का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। कटौती का प्रस्ताव लाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि जो कुछ काम सिंचाई विभाग ने अभी तक किये हैं अगर उन का सिंहावलोकन किया जाय तो वे बहुत अधिक संतोषप्रद नहीं हैं। जो पुस्तक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमें मिली हैं और जिन से कोई जानकारी हो सकती है उनको देखने से मालूम हुआ कि दोनों पंचवर्षीय योजनायें समाप्त होने पर ११८.२३ एकड़ सिंचित भूमि बनाई जा सकी है। अब यह ११८.२३ एकड़ भूमि कुल कितनी बोई हुई कृषि भूमि का कितना प्रतिशत है इस को देखने से मालुम होता है कि कुल कृषि भूमि है ४३०.१३ करोड़ एकड़ और उसमें से ११८.२३ करोड़ एकड़ सिंचाई विभाग ने सिंचित बनाई। जो उस पर अभी तक खर्च हुआ है उस के २ जगह आंकड़े दिये गये हैं, एक जगह तो दिया है ७३ करोड़ ५२ लाख रुपया व्यय हुआ और एक जगह दिया है ८९ करोड़ ३८ लाख रुपया व्यय हुआ, कौन से आंकड़े सही हैं यह मंत्री जी बतायेंगे, क्योंकि यह दोनों उन्हीं की पुस्तक में से हैं। इस प्रकार अगर देखा जाय तो पता चलेगा कि इतना खर्च करने के बाद प्रदेश को कुल ११८.२३ लाख एकड़ जमीन सिंचित बना सकें। इसमें भी ७६ लाख ९६ हजार एकड़ जमीन पहले से ही सिंचित है। इसके माने यह हैं कि ७३ करोड़ ५२ लाख रुपया खर्च करने के बाद केवल ४१ लाख एकड़ जमीन सिंचित बनायी जा सकी। इन्हीं के आंकड़ों से सिद्ध है कि पहले कुल कृषि भूमि का १७ प्रतिशत सींचा जाता था और ७३ करोड़ ५२ लाख रुपया खर्च करने के बाद कुल कृषि भूमि को २० प्रतिशत सींच पाता है। यानी इतना रुपया खर्च करने के बाद केवल ३ परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई। २४ करोड़ ५० लाख ६,६६६ रुपया एक प्रतिशत पर आता है। रुपया इतना अधिक खर्च किया जिसका हिसाब नहीं पर रिटर्न उसका उस हिसाब से नहीं मिला।

समय कम है इसलिए संक्षेप में ही कहना चाहता हूं। 'तृतीय योजना' नामक पुस्तक हमको भारत सरकार की तरफ से मिली थी जिसमें बताया गया है सिंचाई योजना जो अपने यहां की है उसकी क्षमता कितनी है और उपयोग कितना उसका हो रहा है, इससे सिंचाई विभाग की कार्य-प्रणाली का पता लगता है कि कितना उपयोगी है। इसमें सब प्रदेशों के आंकड़े हैं। आंध्र का है ८३० क्षमता और उपयोग ७३५, उड़ीसा १,००० क्षमता और उपयोग ७२०, उत्तर प्रदेश २,३७५ क्षमता और उपयोग १,५६५, केरल ३७० क्षमता, उपयोग ३५५, गुजरात क्षमता ७२५, उपयोग २४५, जम्मू कश्मीर २०, उपयोग २०, पंजाब ३,६४० और क्षमता २,९७५, पश्चिमी बंगाल १,७००, उपयोग १,२९०, बिहार ९१५, उपयोग ७२०, मद्रास ५४५, उपयोग ५४५, मध्य प्रदेश ८०, उपयोग ६०, महाराष्ट्र २७५ उपयोग १६५, मैसूर क्षमता ७८०, उपयोग ४७५, राजस्थान क्षमता ९६५, उपयोग ६९०। इससे सिद्ध होता है छोटे-छोटे प्रान्तों ने अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग किया है। मगर हमारे यहां पूरी क्षमता का आधा उपयोग में आ सका। आंकड़े जो दिये जाते हैं उनसे यह तो सिद्ध हो जाता है कि नहरों की लम्बाई बहुत बढ़ गई, मगर पानी उनमें कितना आया, कहां आया और किस जगह उसका इस्तेमाल हुआ तो मालूम पड़ता है कि जो अपनी क्षमता पूरी हो चूकी है उसका आधा ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं।

क्या कारण है, क्या सरकार ने इस पर विचार किया? मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे कि जितनी हमारी क्षमता है उतना भी क्यों नहीं उपयोग कर पाते हैं? क्या कारण है? मेरी समझ में दो कारण हैं। या तो कागज पर नहरों की लम्बाई बहुत बढ़ा दी गई है, इसलिये हमें क्षमता तो मालूम पड़ती है बहुत ज्यादा मगर सही आंकड़े जब उपयोग वाले आते हैं तो बहुत कम हो जाता है। या दूसरा कारण यह है कि सिंचाई की दरें हमारे यहां ज्यादा हैं जिसके कारण किसान उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जब इस्तेमाल नहीं करेगा तो निश्चित है कि उपयोग के आंकड़े बहुत कमजोर आयेंगे। इसके बारे में मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि हम नहरें लाभ के लिये बनाते हैं, व्यापार के लिये नहीं, बल्कि हम जन-कल्याण के लिये बनाते हैं तो अगर कल्याण के लिये करते हैं तो तीन आना रुपया की छूट माननीय गोविन्दवल्लभ पंत के समय सन् १९५६ में मिली थी, उसको इधर बढ़ाने की क्या आवश्यकता पड़ी? कौन से खर्चे बढ़ गये इधर एक साल में? फिर साल के शुरू में जो खर्चे थे वही मध्य में थे, लेकिन साल के शुरू में सिंचाई रेट न बढ़ा कर मध्य में बढ़ाने से क्या यह

[कुंवर श्रीपाल]

मतलब नहीं निकलता कि मुनाफा कमाने के लिये यह किया गया। क्षमता में जो कमी आ रही है इसका एक मात्र कारण यह है कि सिंचाई की दर में इतनी बढ़ोत्तरी की गयी है जिसकी वजह से लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।

इसके अलावा तृतीय पंचवर्षीय योजना नाम की एक पुस्तिका मिली है। इसमें दिखलाया है कि कितना काम सरकार ने किया है। २४ जगहों पर काम हो रहा था जैसे चन्द्रप्रभा, शारदा सागर पर। इन २४ में से १३ ऐसी हैं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरी नहीं हुईं। वे क्यों नहीं पूरी हुईं इसका कारण माननीय मंत्री जी बतलायेंगे। अगर इन १३ का पूरा विवरण मैं दूंगा तो बड़ा समय लग जायगा। मगर विशेषकर सोहरीघाट में देखा जाय तो इसमें कारण यह लिखा हुआ है कि ४ पम्पों के न लगने के कारण प्रगति रुकी हुई है और ४ पम्पों के लगने का कार्य प्रगति में है। तो पता नहीं कब तक प्रगति हो सकेगी, और कब तक बाकी चार पम्प लगेंगे। इसी तरह से टांडा पम्प के बारे में कहा गया है कि चार पम्पों के लगाने का कार्य प्रगति में है। इस तरह से २४ में से १३ बिलकुल बेकार पड़े हुए हैं। तो अगर काम कायदे से किया जाय, रुपये को ठीक जगह पर खर्च किया जाय, ठीक से उसका उपयोग हो तो कोई कारण नहीं है कि रुपये में कमी पड़े और नुकसान हो।

अब अगर इस सरकार के आंकड़ों को देखा जाय तो उनसे सिद्ध होता है कि क्षमता कितनी है और उपयोग कितना है। १९५१ में १०० क्षमता थी और उपयोग २५ था। १९५५-५६ में क्षमता थी १२.१० और उपयोग था ४.९। सन् १९६० में क्षमता थी २१.१८ और उपयोग था १४.८०। तो उपयोग कम क्यों है इसके बारे में माननीय मंत्री जी वक्तव्य देते वक्त प्रकाश डालेंगे। मेरे खयाल से उपयोग में कमी का एक मात्र कारण क्या यह नहीं है कि सिंचाई की दरें अधिक हैं और कागज पर नहर ज्यादा खुदी हुई हैं, लेकिन असल में जहां होना चाहिये वहां कम हैं?

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव मेरी पार्टी की तरफ से माननीय झारखंडेराय ने पेश किया है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। आज इस प्रदेश में सिंचाई तथा बाढ़ के संबंध में जो विभिन्न योजनायें चलाई जा रही हैं उस संबंध में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई तथा बाढ़ के लिये जो एलाटमेंट रखा गया है उसको मैंने बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश की और माननीय मंत्री जी ने जो पुस्तिका छाप कर माननीय सदस्यों को वितरित की है उसको भी मैंने पढ़ने की कोशिश की है। मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर सिंचाई मंत्री जी इस प्रदेश को किस ओर ले जा रहे हैं। आज दूसरे प्रदेशों में जहां की आबादी हमारे प्रदेश से कम है वहां पर बड़ी बड़ी योजनायें बनाई जा रही हैं जैसे पंजाब में भाखरा नांगल और बिहार में कोसी ऐसी योजनायें बनाई जा रही हैं ताकि रेगिस्तान को नखलिस्तान में परिवर्तित किया जा सके। क्या हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई बड़ी योजना नहीं बनायी गयी जिससे हमारे प्रदेश का सही तरीके से उत्थान हो सके, यहां की सिंचन शक्ति को बढ़ाया जा सके? उत्तर प्रदेश के लिये बनायी गयी २४ योजनायों में से केवल तीन योजनायें पूर्वी प्रदेश के लिये रखी गयी हैं और वे भी ऐसी हैं कि जिनसे यहां के किसानों की हालत को देखते हुये वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। आज कई साल से यह मांग चल रही है कि नैपाल बांध बनाया जाय जो गंडक नदी त्रिवेणी से निकल कर नीचे थोबहा नाले के अन्दर हो कर रोहिन, राप्ती और उसके बाद घाघरा में चली जाती है उससे बस्ती, गोरखपुर और देवरिया की लाखों एकड़ जमीन हर साल बरबाद होती है, लेकिन उसके ऊपर मंत्री जी ने एक शब्द भी अपने भाषण में नहीं कहा है। मुझे याद है कि इसी सदन में मंत्री जी ने तत्कालीन सदस्य माननीय मदन पांडेय के ऊत्तर में कहा था कि वह इसके बारे में एक निश्चित योजना पेश करेंगे, लेकिन मुझे अफसोस है कि उसका कोई जिक्र नहीं है। अभी नैपाल के महाराजाधिराज दिल्ली में आये थे।

उस समय भी मुझे समय मिला था माननीय सिंचाई मंत्री से बात करने का और उन्होंने आश्वासन दिया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों की तरफ से इस बांध को बनाने के लिये डेपुटेशन गया हुआ है और बहुत जल्दी ही नैपाल बांध बन जायगा। बाढ़ नजदीक आ गयी मगर अभी तक सिंचाई मंत्री के कान पर जूं तक नहीं रेंगी कि आखिर उन्होंने वहां के लोगों को बचाने के लिये क्या इन्तजाम किया है या कर रहे हैं। इस बारे में न तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कोई बात कही और न तृतीय पंचवर्षीय योजना में या उन पुस्तकों में ही जो माननीय सदस्यों में वितरित की गयी हैं कोई बात कही।

मान्यवर, किसी देश की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक उस देश में छोटी और बड़ी योजनाओं के अन्दर कोई समन्वय न हो। हमारे यहां कोई बड़ी योजना नहीं बनायी गयी। केंद्रीय सरकार के मंत्रियों से जब बात होती है तो वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कोई योजना केंद्र के पास भेजती ही नहीं है तो आपके यहां के लिये योजना कैसे बनायी जाय। यह मंत्रि परिषद् शैतान की आंत की तरह बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन कोई ऐसी योजना सामने नहीं आती है जिससे जो हर साल करोड़ों रुपये का नुक्सान होता है उसको बचाया जा सके। मैं तो उस क्षेत्र से आया हूं जहां के बारे में मैं अर्ज करूं कि हमारे यहां अंग्रेजों ने एक श्रीनगर ताल बनाया था। यह उनकी लघु योजना थी जिससे हजारों एकड़ भूमि सींची जाती थी। इस राज्य में क्या हुआ? जब इस राज्य ने उस श्रीनगर ताल को अपने कब्जे में लिया तो तमाम गूलें पट गयीं, नहरें बरबाद हो गयीं। अब नयी नहरें बनायी जा रही हैं जिनके लिये नये खेत लिये जा रहे हैं। पुराने खेत लेने की उनमें हिम्मत नहीं है क्योंकि वह बड़े बड़े ठेकेदारों के थे, उन्होंने पाट लिये। इस तरह से राप्ती, घाघरा, गंडक और सरयू नदियों की बाढ़ तो चल ही रही है उसके साथ साथ कटाव भी चल रहा है। आज बरहलगंज की तरफ क्या हालत है, यह मंत्री जी को मालूम है, लेकिन उसके उपाय के लिये उनके पास कोई योजना नहीं है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बात पर अपने भाषण में प्रकाश डालें कि घाघरा और राप्ती का जो कटाव दिनोंदिन बढ़ रहा है उसको वे रोकने का क्या इंतजाम कर रहे हैं? आपने किस योजना में कितना रुपया रखा है?

दूसरी चीज मैं यह कहना चहता हूं कि बाढ़ एरिया में हर साल बाढ़ आती है, फसल नष्ट हो जाती है, किसान बरबाद हो जाता है, मालगुजारी माफ कर दी जाती है। लेकिन मैं श्रीमन्, आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज इस बाढ़ एरिया की मालगुजरी फिर से वसूल करनी शुरू कर दी जाती है और किसानों को मुर्गा बनाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह मखौल क्यों है? मैं श्रीमन्, एक निवेदन और कर दूं कि मंत्री जी साफ तरीके से ऐलान करें कि इन २४ योजनाओं में से जो ३ योजनायें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये रखी गयी हैं जो लघु योजनायें हैं उस क्षेत्र की साढे तीन करोड़ जनता से आप आगे आने वाले चुनाव में मत प्राप्त नहीं कर सकते हैं अगर आपने उनके लिये कोई सुव्यवस्थित योजना लागू नहीं की। माननीय मंत्री जी अपने भाषण में इस पर अवश्य प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्रीमन्, अन्त में मैं ड्रेनेज के बारे में कहना चाहता हूं। बांध नदियों के किनारे बनते चले जा रहे हैं। यह किस व्यवस्थित योजना के जरिये बन रहा है। यह किस इंजीनियर ने आपको सलाह दी है। इसकी कोई गुंजाइश या समावेश आपकी योजना में नहीं है। आखिर यह रुपया इस तरह से अनियोजित बांध बनाने में क्यों खर्च किया जा रहा है। इसमें आपके इंजीनियर और ओवरसियर्स खूब पैसा खा रहे हैं। इसको रोकने के लिये आप एक हाई पावर टैक्नीकल कमेटी बनायें और उसके द्वारा जांच करायें। गांवों के ऊंचा कराने में लाखों और करोड़ों रुपये खर्च हुये, लेकिन इसके बाद हालत क्या हुई। गांव नीचे चले गये, पानी ने उन गांवों को काट दिया। आखिर इन गांवों की मरम्मत भी तो होगी। क्या उसके

[श्री नरसिंहनारायण]

लिये आपके पास कोई योजना है ? आज में आपके द्वारा इतना ही कहना चाहता हूं कि ये मेरे सुझाव हैं और मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इन पर जरूर विचार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य का समय समाप्त ।

श्री रामअवध सिंह (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि इस सेशन में आपने मुझे सिंचाई विभाग के अनुदान पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया ।

श्रीमन्, मैं माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में अपने विचार उपस्थित करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, यह प्रदेश निस्संदेह एक बहुत बड़ा खेतिहर प्रदेश है और इसकी उन्नति के लिये सिंचाई एक प्रमुख साधन है । इसके लिये जितनी भी लम्बी-चौड़ी रकम और जितने भी उच्च प्रयास किये जायं वे स्तुत्य हैं । श्रीमन्, मैं स्वतः अपने प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक विधायक हूं जिसकी समस्यायें और गरीबी अपने में एक उच्च स्थान रखती हैं और इस जिले की मुख्य समस्या खेती है । यहां उद्योग बिलकुल शून्य के बराबर हैं । इसलिये खेती की समस्या को सुधारने के लिये सिंचाई की दिशा मे जितने भी कदम उठाये जाने चाहिये वे मेरे ख्याल से नहीं उठाये गये हैं और सरकार से निवेदन करूंगा कि इस दिशा में काफी तेजी से कदम उठाये जायं ।

श्रीमन्, आज के अनुदान का संबंध सिंचाई, बाढ़ रोकने इत्यादि अनेक विषयों से है इसलिये मैं अपने जिले की समस्या और अपने क्षेत्र की समस्या खास तरीके से माननीय सिंचाई मंत्री के सम्मुख रखना चाहता हूं । हमारे जिले की आबादी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हिन्दुस्तान और अन्य मुल्कों की तुलना में भी मेरे ख्याल से सबसे आगे है । लगभग ११०० मनुष्य प्रति वर्गमील में बसते हैं जिनका सहारा एकमात्र खेती है । नदियां भी हमारे जिले मे प्रदेश के अन्य जिलों से ज्यादा हैं । मेरा सुझाव है कि उन नदियों का पानी जो बरसात में हमारी मुसीबत का कारण बन जाती हैं और गरमी के दिनों में वह पानी व्यर्थ चला जाता है, किसी न किसी प्रकार से उसे रोक कर सूखे के दिनों में हमें उससे लाभ पहुंचाया जाना चाहिये । हमारे जिले में नहरें और ट्यूबवेल भी बने हुये हैं और नारायणी नहर बनाने की बात है । जहां तक ट्यूबवेल का सम्बन्ध है श्रीमन्, सिंचाई मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चहता हूं कि जो ट्यूबवेल बने हुए हैं उनमें से करीब १२ या १५ ट्यूबवेल ऐसे हैं जो करीब डेढ़ या दो वर्ष से उसी तरह बेकार पड़े हुए हैं और उनके कमांड एरिया के लोग जो उसी के बल पर अपनी खेती किये हुए हैं उनकी खेती सूखती चली जा रही है और उन्हें काफी मुसीबत है । मैं नाम ले लेना चाहता हूं ताकि माननीय मंत्री जी को आसानी हो । बांसगांव तहसील में बेलीपार, परसिया और चवरिया ऐसे स्थान हैं जहां पर ट्यूबवेल दो साल से बेकार पड़े हैं ।

अब मैं खास तरीके से अपने क्षेत्र की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि बिनायकपुर (नौतनवां) नाम का मेरा क्षेत्र है जहां पर दंड़ा और रोहिणी दो कैनाल सन् ४८ से बनी हुई हैं । मैं नहीं कह सकता कि उस समय के विशेषज्ञों ने किस दृष्टिकोण से इन नहरों की योजना बनाई, लेकिन उसकी आवश्यकता जरूर थी, क्योंकि वह हमारा पूरा का पूरा ऐसा क्षेत्र है, जहां एक मात्र धान की पैदावार होती है जिसको लेट पैडी या अर्ली पैड़ी कहते हैं और हथिया नक्षत्र में पानी न बरसने के कारण उनकी समूची फसल नष्ट हो जाती है । उनकी इस कठिनाई को दूर करने के लिये इन नहरों का निर्माण किया गया था । मैं उन नहरों की मूलभूत कमियों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इन दोनों नहरों का हेड बिलकुल नैपाल की सरहद पर है और नैपाल का सुन्दर सहयोग न प्राप्त होने के कारण वह हमारे हेड से दो मील आगे पानी रोक लेते हैं जिससे जितना पर्याप्त पानी हमको मिलना चाहिये उतना नहीं मिल पाता है । इस कारण वह नहर एक प्रकार से बेकार हो रही है ।

उनका बेहतर उपयोग इसलिए भी नहीं हो पाता है कि वहां के काश्तकार जो हैं वह एक फसल के बोने वाले हैं । सिर्फ धान के उगाने वाले हैं । उनके ऊपर पानी लेने की लागत प्रदेश के अन्य जिलों की भांति जो १४ रुपये एकड़ है वह इतना अधिक है कि वह इस कारण भी

इसके पानी का उपयोग नहीं कर पाते हैं । उन नहरों के ऊपर लगी लागत और राजस्व को अगर माननीय मंत्री जी देखें और उन नहरों से प्राप्त सिंचाई के रूप में मिलने वाले पैसे को देखें, तो सम्भत: मंत्री जी भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि इसका प्रापर उपयोग नहीं हो पा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उन नहरों की उपयोगिता, उनके पानी के सदपयोग और किसानों की जिन्दगी के लिये अगर उनके रेट में कुछ कमी कर सकें तो वह बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा ।

चूंकि बाढ़ को रोकने का भी सम्बन्ध इस विभाग से है, इसलिये मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बाढ़ जो प्रतिवर्ष की एक चीज हो गयी उसको रोकने के लिए कुछ सक्रिय कदम मंत्री महोदय उठायें और इसी सिलसिल में जहां तक पानी के लगाव की बात है पूरे जिले में तो वह है ही । हमारे अकेले क्षेत्र में कम से कम पांच सात ऐसी जगहें हैं जहां हजार पांच सौ एकड़ पानी के लगाव के कारण खेती के योग्य नहीं रह जाता । मैं विशेष विवरण के साथ माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दूंगा । उनकी तरफ माननीय मंत्री जी तवज्जह दें तो हजारों एकड़ की फसल थोड़ी सी लागत से बच सकती है और उसका उपयोग हो सकता है ।

मैंने पूरे प्रदेश के आंकड़ों को देखा तो मुझे यह मालूम हुआ कि गोरखपुर में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम २४ प्रतिशत् भूमि की सिंचाई कर सकेंगे । मेरा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि वह इस आंकड़े को बढाने के लिये हमारे यहां सिंचाई की दिशा में और धन का प्रबन्ध करें जिससे कि हम एक मात्र खेती पर जिन्दगी बसर करने वाले जिन्दा रह सकें । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी विशेष ढंग से हमारे पूरे जिले और विशेष कर मेरे क्षेत्र की तरफ ध्यान दें ।

हमारे यहां श्रीनगरताल से एक नहर की योजना बनाई गई थी जो ड्राप करदी गई । लेकिन जो एक या डेढ़ मील ऐनजड़ताल से नहर बनाई गई थी, वह वैसे ही बनाकर छोड़ दी गई है । मेरा निवेदन है कि या तो उसे पटवा दिया जाय या उसका मुंह बन्द कर दिया जाय क्योंकि उससे चार-पांच गांव बरबाद हो रहे हैं और वह किसी काम की भी नहीं रह गयी है । सैकड़ों एकड़ भूमि इस तरह से बच जायगी । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--यह अनुदान कितने बजे तक चलेगा ?

श्री अध्यक्ष--ढाई बजे तक ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन तमाम बन्धुओं का आभारी हूं जिन्होंने इस विवाद में हिस्सा लिया और सरकार के सिंचाई विभाग की, जनविरोधी नीतियों की आलोचना की तथा अपने रचनात्मक सुझाव भी साथ साथ दिये । मैंने कल सरकार की व्यावसायिक नीति की चर्चा की थी । सिंचाई के साधनों के विकास के सिलसिले में साम्राज्यवादियों की नीति यह रही कि जितनी पूंजी सिंचाई के साधनों में लगायी जाय उससे मुनाफा भी उसी प्रकार मिले । इसके विषय में प्लानिंग कमीशन से हमें कुछ आंकड़े प्राप्त हुये हैं ।

श्री मैनेजर (जिला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूं । आज इस अनुदान पर जो विवाद चल रहा है उसमें प्रजा सोशलिस्ट दल को आपने मौका नहीं दिया । क्या यह उचित नहीं था कि इस दल के भी किसी सदस्य को आप मौका देते, अपना विचार प्रकट करने के लिये ?

श्री अध्यक्ष--देखिये, यह कल से चल रहा है । कल जनसंघ के दो सदस्य बोले थे आपके तीन सदस्य बोले थे । तो आज इनके दो बुलवा दिये, उनकी संख्या ४९ है और आपकी ३८ है । कांग्रेस के सिर्फ दो बोले हैं और एक निर्दलीय बोले हैं जो पहले नहीं बोले थे । उनको मैंने मौका दिया । तो इस तरह जो मैंने उचित समझा वह किया ।

श्री मैनेजर—मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैनेजर सिंह जी को बोलने का मौका देने की कृपा करें क्योंकि वह ऐसे क्षेत्र से आते हैं कि उनको मौका अवश्य मिलना चाहिये।

श्री झारखंडेराय—पूरबी जमुना नहर ६६ लाख की लागत से बनी। ६३.२ प्रतिशत का लाभ उस पर हो रहा था। अपर गंगा नहर ४६६ लाख की लागत से बनी, उस पर २५.२ प्रतिशत लाभ हो रहा था। आगरा नहर १२९ लाख में बनी, उस पर ४.६ प्रतिशत लाभ हो रहा था। लोअर गंगा ४६७ लाख में बनी, उस पर ८.६ प्रतिशत मुनाफा हो रहा था। यह वह नहरें थीं जिनको प्रोडक्टिव के रूप में माना गया था। लेकिन ऐसी भी नहरें थीं—बेतवा, केन, शारदा नहर जो १२४ लाख, ६७ लाख गौर १ करोड़ १ लाख ५७ हजार की लागत से बनी थीं, लेकिन उन पर मुनाफा कम हो रहा था, इनमें क्रमशः १ प्रतिशत, ५ प्रतिशत और २ प्रतिशत मुनाफा सरकार को मिलता था। इसके अलावा सरकारी ट्यूबवेल्स पर भी ४४९ लाख लागत लगी थी जिन में १.६ प्रतिशत मुनाफा हो रहा था। तो यह प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव का विभाजन इन साधनों में मौजूदा सरकार भी कर रही है। मैं समझता हूं कि यह अनुचित मनोवृत्ति है। यह वही व्यावसायिक मनोवृत्ति है जिसकी चर्चा मैंने कल की थी। आज की डेवलपिंग एकोनामी में हमारे देश की जनता की सिंचाई की आकांक्षाओं की पूर्ति इस तरह से नहीं हो सकती।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में करोड़ों नहीं अरबों टन पानी हर साल बरसता है और वह नदियों और नालों से होकर बह जाता है। सरकार की ओर से ऐसी योजना बननी चाहिये जिनमें पानी इकट्ठा किया जा सके। बरसात के पानी को इकठ्ठा करने के लिये जल भंडारों का निर्माण होना चाहिये, जिससे यह प्रकृति का पानी जो बह जाता है उसका इस्तेमाल सिंचाई हेतु हम आसानी से कर सकें। इसमें थोड़े से रुपये से काफी लाभ हो सकता है।

ठेकेदारी प्रथा के बारे में मेरा स्पष्ट विचार है कि इस प्रथा को अब बिलकुल समाप्त कर देना चाहिये वरना ठेकेदारी की प्रथा रहेगी तो निश्चित रूप से ओवरसियर रुपया लेते रहेंगे। एक प्रकार से गैरकानूनी लूट वह लोग किया करते हैं। ओवरसियर एक निश्चित रकम इंजीनियर को उस रकम में से दिया करते हैं। इस प्रकार से यह क्रम ऊपर तक चल रहा है। मैं चाहता हूं कि इस प्रथा को अब समाप्त किया जाय और इस प्रकार के निर्माण का कार्य विभाग स्वयं अपने हाथ में ले।

पुलों की संख्या के बारे में भी श्रीमन्, मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां इरीगेशन मैनुअल उस समय का बना हुआ है जब कि नहर पच्छिम में बनाई गई थी और पूर्व में नहीं बनाई गई थी। यह बात सब को मालूम है कि पश्चिम में गांव दूर दूर बसे हुये हैं, लेकिन पूर्व में गांव एक एक फर्लांग पर बसे हुये हैं। वे नियम और उपनियम आज के जमाने में पूर्व में लागू नहीं होने चाहिये। आज जरूरत है कि गांव वालों को इस बात की सुविधा मिले कि वह नहर पार करने के लिये दूर न जांय। उनके आने जाने के लिये रास्ता जरूर बनाया जाना चाहिये, चाहे वह बड़ी नहरें हों या छोटी नहरें हों अथवा उनकी शाखाएं हों। इसकी विक्कत दोहरी घाट की कैनाल में बहुत है। वे पुराने नियम वहां के लिये लागू नहीं होने चाहिये। वे नियम उस समय बनाये गये थे जब पश्चिम में नहर बनाई गई थी। इसलिये मैं चाहता हूं कि विभाग इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करे कि जगह-जगह पर प्रत्येक गांव के सामने पुल बनाये जायं। चीफ इंजीनियर विष्ट जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि पश्चिम के नियम पूर्व में लागू नहीं हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में अब कार्यवाही अवश्य की जाय।

कल मैंने अस्थायी तथा अनियमित असिस्टेंट इंजीनियरों के विषय में चर्चा की थी कि कितना समय उनको हो गया। यह थोड़े बहुत आदमियों से संबंध नहीं रखता है इतना ही नहीं करीब २० हजार कर्मचारी इस विभाग में ऐसे हैं कि जो अस्थायी हैं और नियमित अस्थायी

हैं और उनको अभी तक स्थायित्व नहीं प्राप्त हुआ है। क्या वे बूढ़े होकर मर जायेंगे तब तक वह टेम्पोरेरी और अस्थायी ही बने रहेंगे ? मैं समझता हूं इस ओर विभाग का ध्यान जाना चाहिये और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका अन्त होना चाहिये।

माननीय मंत्री जी ने बोरिंग के बारे में चर्चा किया और विकास के सिलसिले में इसकी चर्चा होती रहती है। कल हमारी तरफ से भी इसके ऊपर चर्चा किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि इसका मुझे अनुभव है कि किन कामों में वह बोरिंग का रुपया इस्तेमाल होता है। सरकार इसका पता लगाये कि बोरिंग के नाम पर जो रुपया दिया जाता है वह सचमुच किन कामों में इस्तेमाल होता है। मैं निजी तौर पर अनेक केस बता सकता हूं कि बोरिंग के नाम पर रुपया दिया जाता है और वह खर्च होता है विवाह में और मकान के बनाने में और दूसरे कामों में। सरकार के पास तो आंकड़े होंगे वह बतलाये कि जो इतना रुपया दिया गया उससे कितने बोरिंग बनाये गये या कितने कुंवें बनाये गये। इसकी सफाई जरूर होनी चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि इस प्रकार के सब आंकड़े कागज पर ही रह जांय और जनता के लाभ की कोई चीज न बने। रुपया तो उनको दिया गया, लेकिन न तो बोरिंग लगा, न कुयें बने, न कोई बोरिंगवाला कुआं ही बना, न जोत हुई और न पैदावार बढ़ी। मैं समझता हूं कि जब यह प्रदेश इन आंकड़ों के जाल में फंसा रहेगा तब तक कोई लाभ होने वाला नहीं है।

भ्रष्टाचार का चर्चा किया गया। मैं भी इस संबंध में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। दोहरीघाट पम्प कैनाल के बारे में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार इसको नोट कर ले और इसकी जांच कराये। वहां पर कैनाल के सिलसिले में सीमेंट और बालू का अनुपात १ और ८ या १० का किया गया है। इतनी लूट की गई है कि जिसकी कोई इन्तहा नहीं है। इस बात का हमको गर्व है कि उस एरिया में कैनाल सरकार ने बनाई, लेकिन सीमेंट और बालू का अनुपात इस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है कि जिस दिन वह पूरी नहर टूटेगी, उसके बड़े-बड़े हिस्से टूटेंगे, उस दिन, मैं समझता हूं, हमारे सूबे को बड़ा भारी नुकसान होगा। उसका परिणाम वहां की जनता को ही नहीं, बल्कि सारे सूबे की जनता को भुगतना होगा। उसके टैंक के खंभे में जो अनुपात होना चाहिये था, जो शिड्यूल था सीमेंट और लोहे बालू का वह नहीं रखा गया है। वह दो तिहाई गहराई पर बनाये गये हैं। एक तिहाई का शिड्यूल नहीं रखा गया है। वहां पर ईंट, सीमेंट और लोहे की चोरी हो गई। जो लोग इसके करनेवाले हैं उन पर कार्यवाही की जाय। आज सवाल किया गया था। मुझे मालूम है, मैं वहां का रहने वाला हूं कि जो आर्च की गहराई जितनी होनी चाहिये थी और जो शिड्यूल में दी गई थी, वह नहीं है। पूरी नहर के पक्के भाग को कैपेसिटी २।३ बनी हुई है और अब उसकी ऊंचाई भी बढ़ रही है इस खयाल से कि जो टैंक की कैपेसिटी बनायी गयी थी उतनी है नहीं। ४०० क्यूजेक्स पानी जब उस नहर में चलता है तो वह भरी हुई चलती है, यदि उसमें ६०० क्यूजेक्स पानी छोड़ा गया तो वह सारी नहर ही टूट जायगी ऐसा लगता है। तो इन सब बातों की जांच होनी चाहिये और आपके विभाग के बड़े बड़े आफिसर्स और इंजीनियर्स जाकर उसे एकाएक देखें तो सारी बात मालूम हो जायगी।

आज वहां नहर के भीतर के जो गड्ढे भरे जा रहे हैं वहां भी खूब बालू और सीमेंट की चोरी होती है। दौरा इस प्रकार नहीं होता कि आप पहले से ही उनको खबर दे कर दौरा करने जांय और वे वेलगार्डेड रहें। आपको सरप्राइज दौरा करना चाहिये और आप अपने साथ ऐसे टेक्नीशियेन्स ले कर जायं कि वे वहां जा कर उसकी जांच कर सकें और पता लगा सकें कि सीमेंट की चोरी तो नहीं हो रही है। आवश्यकता पड़ने पर उसके दो, चार हिस्से भी तोड़े जा सकते हैं और यदि पता लगे तो जिम्मेदार इंजीनियर्स को पकड़ा जाय। पूर्व सूचना देने के बाद दौरा करने से कोई लाभ नहीं होगा। बड़े बड़े एक्सपर्ट चोर हैं। तो अध्यक्ष महोदय, इन बातों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैंने जब यह बात महसूस की थी तभी यह

[श्री झारखण्डे राय]

बात कही थी कि इस विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और यदि इन डेवलपमेंट विभागों में इस प्रकार का भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो मैं नहीं समझता कि हमारा देश कहां जायगा और हमारी जनता का क्या हाल होगा, हमारे राष्ट्र का क्या हाल होगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इन चीजों पर ध्यान दे और वास्तविकता का मुकाबला करे। ऐसा करने के बाद ही सिंचाई विभाग उस कार्य को कर सकता है जो देश में सब से महत्वपूर्ण काम है, खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये, यानी सहस्त्रों वर्षों से प्यासी भूमि को पानी मिल सकता है।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—अध्यक्ष महोदय, सिंचाई से संबंधित जो कल मांगें प्रस्तुत की थीं उन पर कल से आज तक बहस होती रही और लगभग २८ या ३० माननीय सदस्यों ने उसमें हिस्सा लिया। कांग्रेस की तरफ से भी और बाकी सदस्यों ने भी अपनी अपनी पार्टी की तरफ से और अपने क्षेत्रों से, जहां से वे आते हैं और जो कमियां वे वहां देखते हैं, अपनी बातों का जिक्र किया। बहस बड़े सुचारु रूप से और शान्तिमय वातावरण में हुई बजुज एक आध सज्जन के जिन्होंने अपनी लाइल्मी या मालूमात कम होने की वजह से ऐसी एक आध बात कही कि जिसके बारे में वे अगर मुझ से पहले मालूमात कर लेते और उसके बाद भी अगर उनको इतमीनान न होता तो कहते तो वह मुनासिब होता। खैर, मैं उसका बुरा नहीं मानता।

जिन माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्रों की कमियों का जिक्र किया वह सही हैं, लेकिन विभाग के लिये इतने कम समय में यह मुमकिन नहीं है कि उन चीजों की मालूमात कर ली जायं और जवाब दे दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने साथियों को यह इतमीनान दिलाना चाहता हूं कि जितनी जरूरी बातें यहां कही गयी हैं वह सब नोट कर ली गयी हैं। मैंने भी उन बातों को नोट किया है और बहुत से कर्मचारियों ने भी उसको नोट किया है। इस बात की कोशिश की जायगी कि जहां तक मुमकिन होगा, अपनी सीमा के अन्दर, जितना पैसा हम खर्च कर सकते हैं उसको देखते हुये, कार्यों को किया जायगा।

हमारे दोस्त श्री रघवीर सिंह जी के साइफन की सफाई नहीं हुई है, उसकी सफाई भी हो जायेगी।

(इस समय १ बज कर १६ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

श्री झारखंडेराय जी ने डिबेट को ओपिन किया। हमारे सदन में वे बड़े बुर्दबार और संजीदा लोगों में से हैं और उनकी कद्र में ही नहीं, इस सदन के बहुत से लोग करते हैं। संक्षेप में विभाग की कई बातों का जिक्र उन्होंने किया और जितने लोगों ने यहां पर सिंचाई से संबंधित चर्चा की, मैं तो यह समझता हूं, करीब करीब उन सब विषयों का समावेश उसमें हो गया जैसे कि हाथी के पैर में सब के पैर समझे जाते हैं।

मैं इस बात की कद्र करता हूं कि डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिये जरूरी भी है कि सिंचाई विभाग के अच्छे कामों की सराहना की जाय और जिन कामों में उन्होंने कमी देखी हो उसकी भी चर्चा हो और सुझाव दिये जायं। कुछ माननीय सदस्यों ने कमियों की चर्चा की और कुछ सुझाव भी दिये, पर कुछ हमारे साथियों ने तो इस विभाग के बारे में एक स्वीपिंग रिमार्क्स से पास कर दिये कि इस विभाग में कुछ नहीं हुआ, सारा रुपया बरबाद हो रहा है, विभाग के इंजीनियर्स लोग बेईमान हैं, वे रुपया पैदा करते हैं, आदि आदि। मेरे नजरिये में इन बातों से हम कोई अच्छा नतीजा नहीं निकाल सकते। मैं इस विषय में, केवल इतना अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे इंजीनियर्स की लियाकत और उनके रवैये तथा चरित्र आदि के बारे में मैं इस बात का दावा तो नहीं कर सकता कि विभाग के सारे कर्मचारी उच्च कोटि के हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। इतना बड़ा विभाग है, इसमें करीब २०,२५ हजार आदमी काम करते हैं, तो ऐसे केसेज भी हो सकते हैं कि जिनमें कुछ कमी हो,

लेकिन इसके बरखिलाफ मैं इतना कह सकता हूं कि इंजीनियर्स का बेहतरीन कैडर हमारे यहां है और उसकी प्रशंसा हमारे यहां ही नहीं, इस प्रदेश के बाहर भी की गयी है। मैं आपको इत्तला के लिये बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां के कुछ नौजवान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिये अमेरिका भेजे गये और वहां के डाइरेक्टर ने इस बात का जिक्र किया कि इन लड़कों की बुद्धि चाकू की तरह तेज है। क्या यह प्रशंसा की बात नहीं है? (व्यवधान) अगर माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं तो मैं बैठ सकता हूं, मगर वे मेरी बात को जरा सब्र के साथ सुनने की कृपा करें, क्योंकि समय कम है और मैं यह कोशिश करूंगा कि कम से कम मोटी-मोटी बातों का उत्तर मैं अवश्य दे दूं।

मैं यह कह रहा था कि मुनासिब तरीका यह है कि जो अच्छा काम हुआ हो उसकी सराहना की जाय और जो काम बुरा हुआ है उसकी आलोचना की जाय। आप जरा इस बात पर भी गौर कीजिये कि यह मुल्क कितने दिन तक गुलाम रहा है और उस दौर में लोगों का कितना नैतिक पतन हुआ है। हमारे अपने मुल्क में, जब कि दुनिया के और मुल्कों में विज्ञान की तरक्की हो रही थी, लेकिन हम पंगु बने हुये बैठे थे। जब स्वराज्य हुआ तो इस बात की जरूरत हुई कि हमारे देश और प्रदेश में खाद्यान्न की बढ़ोत्तरी हो और उस को पूरा करने के लिये लक्ष्य बनाये गये। उस वक्त जो हमारे इंजीनियर्स थे, नातजुर्बेकार थे, उनमें लियाकत की कमी थी। तो फिर या तो यह करते कि हाथ बांध कर बैठ जाते और उस दिन का इंतजार करते जब कि इस प्रदेश के लोगों में राग द्वेष न रह जाता, माया मोह न रहता, शैतानियत का माद्दा खत्म हो गया होता और सब हरिश्चन्द्र बन गये होते, या अपनी कमियों और अपनी लिमिटेशंस को देखते हुये कोई न कोई रास्ता अख्तियार करते और जो कमियां थीं उनको दूर करते, ठोकरें खाते, उठते और आगे बढ़ते। जो हमारी कमियां थीं उनकी रोशनी में आगे उन कमियों को दूर करने की कोशिश करते। मैं समझता हूं कि यही तरीका बेहतर था बनिस्बत पहले वाले के इसलिये मैं माननीय वस्यों से इल्तजा करता हूं कि वे इस रोशनी से चीजों को देखें और इस बात का भी खयाल करें कि हमारे मुल्क में लोगों का नैतिक स्तर क्या है और खासतौर से इस ट्रांजिशन के टाइम में जब चीजें बन रही हैं हालात अच्छे हो रहे हैं, उनका हम फायदा उठायें। हमारे सामने यही एक रास्ता है।

एक बात का मैं, और जिक्र करना चाहता हूं। हमारे राय साहब ने भी उसका जिक्र किया कि बोरिंग के लिये रुपया लिया जाता है, लेकिन रुपया खर्च नहीं होता। यह करप्शन है, लेकिन इसका क्या इलाज है? क्या हर एक को घेरा जाय और उनको सजा करायी जाय? हम तो यह चाहते हैं कि हमारी ग्रामीण जनता के अन्दर स्वावलम्बन की भावना पैदा हो, लोग अपने पैरों पर खड़े हों, पर वे अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। आज अख्तियार को सब चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी का जिक्र कहीं कोई नहीं करता, कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। इसके साथ ही एक बात का और ध्यान रखना चाहिये कि करप्शन एक सोशल इविल है। कोई ऐब्सोल्यूट टर्म नहीं है एक रिलेटिव टर्म है। भ्रष्टाचार वह समाज के हर अंग में है। जिस समाज के हम अंग है उसमें वह है और हम उस समाज के प्रतिविम्ब हैं। हमारी नीतियों से यह जाहिर होता है कि हमारे प्रदेश और देश की वास्तविक अवस्था क्या है।

साथ ही इस बात का खयाल और रखना चाहिये कि इस मुल्क के अन्दर संसदीय प्रथा है, डिमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पंचायती राज्य है कोशिश की जा रही है कि राज्य का विकेन्द्रीकरण हो गांव गांव के अन्दर गांव सभा, ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज, सभापतियों के जरिये से उनका प्रतिनिधित्व, और सरकार के जरिये लाखों रुपयों का उनकी सिंचाई की मदों के लिये दिये जाने की कोशिश है ताकि लोग अपनी समस्याओं को खुद हल करें। मैं यह जानना चाहता हूं कि दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जो एक दिन में बन गया हो? हो सकता है कि अपने मित्र

[श्री राममूर्ति]

मारखंडे राय जी, से, उनकी पार्टी के मौलिक सिद्धान्तों स हमारा मतभेद हो और बहुत से लोगों का है, उसका कोई शिकवा में नहीं करता, लेकिन हम लोगों ने उसके बावजूद भी आपसी सहयोग के साथ, शुभ कामनाओं और श्रद्धा के साथ एक दूसरे से बर्ताव किया है और कर सकते हैं। बलवानसिंह जी ! आप भी सुनें, आप भी एक पार्टी के लीडर हैं कि रशा ने कितने दिनों तक इस बात की कोशिश की और वहां पर कितनी मरतबा एकनामिक पालिसीज को बदला गया और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिये क्या कुरबानी नहीं की ? क्या लाखों इन्सान कत्ल नहीं किये गये ? और क्या लाखों लोगों को लिक्विडेट नहीं किया गया और क्या लाखों लोगों को साइबेरिया के जंगलों में नहीं भेजा गया ? क्या आप और हम उन बातों को भूल गये हैं ? यहां पर चीन की भी चर्चा हुई कि वह बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते वह हमारे सिर पर भी आ गया है। वहां पर एक साल के अन्दर ५ लाख आदमियों को लिक्विडेट किया गया। दूसरी ओर अपने देश को देख लीजिये जहां पर डेमोक्रैटिक सरकार है। यहां पर जो आदमी कसूरवार पाया जाता है उसको मुअत्तल किया जाता है, उनकी तरक्की रोकी जाती है, डिसमिस भी किया जाता है और कुछ को सजा भी दी जाती है। ये सभी बातें क्या यहां पर नहीं होती हैं ? अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं तो इस बात पर भी दो राय नहीं हो सकती हैं कि उसमें पब्लिक का कितना प्रेशर होता है कि हम उस को सजा न दें और उस के खिलाफ कोई कदम न उठायें।

हमारे यहां यह भी पद्धति है कि अगर हम किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्यवाही करना चाहते हैं तो वह अदालत में जाता है, रिट दायर कर देता है या बहुत दिनों तक जवाब ही नहीं देता है और अन्त में पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भी चला जाता है। मैं यहां पर आपको सिर्फ एक ही केस बतलाना चाहता हूं। पहली पंचवर्षीय योजना में अलीगढ़ जिले में कुछ सीमेन्ट की चोरी हो गयी। कुछ ओवरसीयर्स और इंजीनियर्स पकड़े गये। कुछ इंजीनियर तो रिटायरमेंट लेकर भाग गये और एक आध को सजा भी हुई। एक ओवरसीयर डिसमिस किया गया। वह ओवरसीयर सज्जन अदालत में पहुंच गये। लोअर कोर्ट में वे अपना केस ले गये, लेकिन वहां से हार गये। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी और वहां से भी हार गये। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन में गये और वहां से लिख कर आया कि इनके साथ बहुत ज्यादती हुई और इनको न निकाला जाय। पहले प्लान के समय में भी मैं इस विभाग से संबंधित था और आज भी इस विभाग का मंत्री हूं। इसका मतलब यह है कि अगर ५ वर्ष के लिये कोई मिनिस्टर बन जाय और उसके मातहत का कोई आदमी इस बात की कोशिश करे कि उसके अहकामात की वह अवहेलना करे तो उस मिनिस्ट्री में तो उसका फैसला शायद नहीं हो सकता है। मैं अर्ज करता हूं कि अगर मैं न होता तो शायद वह आदमी सर्विस में ले लिया जाता क्योंकि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के पास वह मामला आया जिस में पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा था कि इस के साथ ज्यादती हुई है। चूंकि मैं भी मंत्रिमंडल का सदस्य हूं, तो मैं भी वहां पर मौजूद था इसलिये मैंने कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में बतलया कि नहीं यह गलत बात है। इस ओवर सियर ने चोरी की है। इसलिये कैबिनेट ने भी कहा कि इस का डिसमिसल ठीक है। यह संविधान में हमारे देश का बना है वह मैंने नहीं बनाया है बल्कि इस देश के लोगों ने बनाया है। फिर इन हालात में हम लोगों को काम करना पड़ता है।

श्री उग्रसेन—बड़ी मुसीबतें है।

श्री राममूर्ति—सोशलिस्ट पार्टी के लोग बड़ी बेचैनी से काम करते हैं। जो हमारी ग्रामीण जनता है उस की तकलीफात और उन की मुसीबतों का इन्हें सामना करना पड़ता है। बड़ी ही टीस इन के दिलों में उठती है। सारा दरिया-ए-इश्क उसी तरफ चला जा रहा है और ऐसा मालूम होता है कि हम गरीबों के लिये मुहब्बत की एक नाली भी नहीं रहने देंगे। मैं तो आप का एक सेवक लाजिम हूं इसलिये आप के सुझावों को भी मानता रहता हूं। लेकिन मैं इतना

कहना चाहता हूं कि जितन भी माननीय सबस्य इस सदन में बैठे हुये हैं उन में से बहुत से जेल भी गये हैं और बहुतों को ३०, ४० और ५० वर्ष जनता में काम करते हुये हो गये हैं।

श्री बलवानसिंह---बहुत से लोग तो सन् ४७ के बाद जेल गये हैं।

श्री राममूर्ति---सन् २१ से लोग जेल गये हैं। सन ४७ के बाद से तो कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि तब देश आजाद हो गया था।

यह हालत हम लोंगों की है और हमारे बारे में यह खयाल किया जाता है कि हम सब राक्षस इकठ्ठा हो गये, जनता से कोई बास्ता नहीं रखते, उनके पास जाते नहीं और हम जनता के ऊपर अनेक प्रकार की ज्यादतियां करते हैं। हम कितने ही यहां पर बैठे हुये हैं जिन्होंने स्वराज्य की लड़ाई को लड़ा और फिर उसके बाद यह सब शाखायें निकली हैं, कोई कम्यूनिस्ट पार्टी है, कोई सोशलिस्ट बने, कोई जनसंघी बने और मालूम नहीं क्या-क्या हैं। कतई तौर पर हम लोगों को पांच साल तक तो काम कन्डेम कर दिया जाता है। आखिर हमारा क्या हश्र होगा। अब यह सरकार बन गई है, उसको करने दीजिये, जब उधर के बैठे लोग सरकार में आयेंगे, जब उनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी आयेगी तो उस समय देखा जायगा और इस जमाने में भी थोड़ा बहुत देखा गया है। कुछ पार्टियों की हुकूमतें मुल्क के अन्दर प्रदेशों में बनीं, उनके कारनामे भी आप सभी के सामने हैं। कौन-सा उन्होंने लोंगों को मिलीनर बना दिया है। कहां पर गुलशन बनाया गया, कौन-सी गरीबी और बेकारी की समस्या को ठीक किया गया ?

एक सदस्य---सेन्टर तो आपका ही है।

श्री राममूर्ति---सेन्टर हमारा है, लेकिन आपका भी तो उसम हिस्सा है और वह भी आपके कोआपरेशन से, आपके सहयोग से चलाया जाता है, उसका थोड़ा-सा हिस्सा भी अपने ऊपर ले लें तो कोई बुरी बात नहीं है। इस तमाम जमाने के अन्दर जो हमारे काम हुये हैं तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि यह ट्रान्जिशनल पीरियड है, इस जमाने में कोई भी काम जब शुरू किया जाता है, नातजुर्बेकारी की बिना पर. तो उसमें कमी भी होती है, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं है कि जिसमें खराबी बताई गई हो और उसके लिये कमेटी न बैठाई गई हो। माता टीला डैम के बारे में कमेटी बिठाई गई, बाण गंगा पर कमेटी बिठाई और जो दूसरे नुकसानात हुये हैं, उनके बारे में भी कमेटियां बिठाई गई, और उनकी रिपोर्ट आई और उनके सुझावों पर काम भी किया गया। तो जरा सब्र से काम लेना चाहिये, जिसकी चीजों की शकल बन रही है....

एक सदस्य---नेपाल बांध का क्या हुआ ?

श्री राममूर्ति---नेपाल बांध के बारे में भी बताऊंगा, मैं उस पर भी आ रहा हूं। एक मकान जब बनता है तो कहीं रेता, कहीं ईंटा और कहीं लकड़ी फैली हुई होती है, एक दर्जी जब कपड़े सीता है तो कहीं इधर काट, कहीं उधर काट, कितना खराब लगता है, लेकिन जब चीज बन जाती है तो वही कपड़ा आप और हम पहनते हैं, कितना अच्छा लगता है। मकान जब खड़ा हो जाता है, तब उसकी क्या शक्ल होती है। यह जो शक्लें हैं पहले हमारी समझ में नहीं आती हैं, तो इसी तरह से इरीगेशन डिपार्टमेंट में जो कार्य हो रहे हैं उनकी शक्लें फैली हुई हैं, कहीं पूर्वी जिले, कहीं उत्तरी जिले, मध्यवर्ती जिले, पश्चिमी जिले, सभी जगह काम हो रहा है। पहले अंग्रेजी जमाने में कितने ही इलाके सिंचाई से उपेक्षित थे, लेकिन आज हर जिले के अन्दर काम किया जा रहा है और आपके सुझावों को मानते हुये इस बात की कोशिश की जा रही है कि प्रदेश के हर अंचल में ज्यादा से ज्यादा काम हो। हमारी भी कुछ सीमायें हैं और आप सभी लोग उनसे परिचित हैं। कितना रुपया गवर्नमेंट आफ इन्डिया से मिलता है, हमारे रिसोंसेज कितने हैं,

[श्री राममूर्ति]

अगर हम एक रुपया इकट्ठा करते हैं तब वहां से हमको तीन रुपये मिलते हैं और अगर वह तीन रुपया हम लोग लेना चाहते हैं तो पहले एक रुपया अपनी तरफ से लगायें । इन सीमाओं के अन्दर हमको काम करना पड़ता है । हमें इतमीनान के साथ काम को देखना चाहिये इसी से हमारी आपकी सब की तरक्की होगी, यह बात निश्चित है ।

यहां पर यह भी जिक्र कर दिया गया कि पानी वक्त पर नहीं मिलता है, नहरें बढ़ रही हैं सिंचाई घट रही हैं, मैं तो बड़ी हैरत में पड़ता हूं इन बातों को सुन कर । गंगा नहर साल में ३६५ दिन चला करती है और अगर कभी इस बात की जरूरत महसूस होती है कि दो एक हफ्ते के लिये बन्द कर दिया जाय, तो इसके लिये भी मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर आदि जितने इलाके हैं वहां की जनता से मालूम किया जाता है, तभी बन्द की जाती है । जितनी बड़ी बड़ी नहरें हैं वे ३६५ दिन चला करती हैं । आखिर यह पानी कहां जाता है, आखिर इंजीनियर लोग यह तो नहीं चाहते हैं कि नहरें निकाल दी जांय और इधर दरिया से पानी दिया और दूसरी दरिया में बहा दिया जाय । यह हो रहा है । या खेत के अन्दर पानी पहुंचाया जा रहा है । जितना पानी पर्याप्त है वह दिया जाता है । पानी का खेती से बड़ा घनिष्ठ संबंध है और जितना भी पानी मिल सके उसको लोग लेना चाहते हैं । लेकिन आखिर वह जमात की चीज है, देखना पड़ता है कि कैसे बटवारा किया जाय ताकि सभी को फायदा हो जाय । इस बात की तरफ थोड़ी तवज्जह देनी चाहिये ।

कहा गया कि नहरें बढ़ रही हैं, लेकिन सिंचाई घट रही है । पुस्तिका में लिखा हुआ है कि एक करोड़ १८ लाख पोटेंशियल है उसमें एक साल में ९१ लाख तक की सिंचाई हुई है । आप जानते हैं कि पोटेंशियल में कुछ डेड स्टोरेज भी होता है । तो एक करोड़ १८ लाख में ९१ लाख की सिंचाई हो रही है यह कोई चीज नहीं हुई ? नहरों के प्रारम्भ से आज तक बराबर आबपाशी बढ़ रही है । लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं जाता । हमारी ख्वाहिश है कि अच्छी बारिश हो ताकि बगैर नहरों के ही काम चल जाय, हमारे विभाग के लोग या मैं यह क्यों दुआ करें कि अनावृष्टि हो ताकि हमारी नहरें खूब चलें । हम बराबर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पानी के साधन बढ़ाये जांय, लेकिन इस सिलसिले में यह भी बता दूं कि अगर पानी बरसता है तो बड़ी खुशी की बात है, विभाग की कोई यह तमन्ना नहीं है कि हम लोगों से पैसा वसूल करें । नहरें उसी वक्त काम दिया करती हैं जब अनावृष्टि होती है या जब पानी की कमी होती है । एक माने में अगर देखा जाय तो नहर का मुहकमा जनता की ऐसी बीमा कम्पनी है जिसमें रिस्क कवर होता है और प्रीमियम देन नहीं पड़ता है । अनावृष्टि हो या जब जरूरत पड़े पानी इस्तेमाल कर लिया जाय, जब जरूरत न हो तो कोई बात नहीं, आप भी खुश, हम भी खुश और सभी खुश । किसी साल में आबपाशी कम हो गई तो उसका कारण यही होता है कि समय से पानी बरस गया है, अबपाशी लोग करते नहीं । लेकिन जरूरत पड़ने पर ९१ लाख एकड़ तक की सिंचाई हुई है ।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं । जिक्र किया गया कि पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं हो रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि कितनी स्टेट्स के मुकाबले में हमारा पोटेंशियल बेहतर इस्तेमाल हो रहा है । मैं दूसरी स्टेट्स की कम्परेटिव फीगर्स रखना चाहता —

	पंजाब	उत्तर प्रदेश	बम्बई	मद्रास
			(प्रतिशत)	
१९५५--५६ ..	५२	७४	६६	३१
१९५६--५७ ..	५२	७५	६५	३३
१९५७--५८ ..	५६	७७	६५	३३
१९५८--५९ ..	५६	७०	प्राप्त नहीं	३५
१९५९--६० ..	६०	८१	प्राप्त नहीं	३५

इन फीगर्स को देखते हुये हमारे यहां कोई असंतोषजनक हालत नहीं कहीं जा सकती ।

इस बात का जिक्र हुआ कि हमारे यहां ट्यूबवेल नुकसान में चलते हैं, उनकी मेन्टीनेन्स कास्ट बहुत है और पुराने कुवें बर्बाद किये जा रहे हैं । यह सही बात है कि ट्यूबवेल नुकसान में चल रहे हैं । पश्चिमी जिलों में केवल कुछ ट्यूबवेल्स ऐसे हैं जो मुनाफे पर चल रहे हैं । बाकी और ट्यूबवेल्स में और खास कर मध्यवर्ती क्षेत्र में और पूर्वी जिलों में बराबर नुकसान हो रहा है । लेकिन यह नहीं है कि यह नुकसान मुस्तकिल हो । दिन प्रतिदिन आबपाशी बढ़ रही है । १९६०-६१ में पश्चिमी जिलों में २१४३ ट्यूबवेल्स थे, सेन्टर में १९८९ और पूर्वी क्षेत्र में २३०१ । अब सिंचाई जो हुई वह पश्चिम में ३२५० घंटे प्रति कुआं, मध्यक्षेत्र में २,३५० घंटे और पूर्व में १,४०० घंटे । जहां तक नुकसान का सवाल है । पश्चिम में ८८७ रुपया, सेंटर में २०५० रुपया और पूर्व में ४,७०३ रुपया प्रति ट्यूबवेल हुआ जिसका जोड़ लगभग तीन करोड़ रुपये का हुआ । लेकिन दिन प्रति दिन, आबपाशी बढ़ रही है । बात यह है कि आबपाशी में डेवलपमेंट के लिये १० साल लगते हैं तो जैसे-जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, आबपाशी बढ़ती जाती है और नुकसान भी कम होता जाता है । लेकिन ट्यूबवेल में नुकसान सब जगह है और अगर फायदा भी होता है तो वह २ प्रतिशत से अधिक नहीं होता । लेकिन यह जानते हुये भी हमें जनता की मदद करनी है, उसको लाभ पहुंचाना है चाहे उससे कुछ नुकसान भी होता हो । हम जानते हैं कि लोगों को पानी की आवश्यकता है, लोग गरीब हैं, और सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए ।

इसके अलावा मेंटनेंस चार्जेज भी बढ़ गये हैं । क्यों बढ़ गये, यह सभी जानते हैं । सीमेंट, ईंट, लोहा और लेबर सभी में तो अधिक पैसा देना पड़ता है । ये सब चीजें इस बात की दलील हैं कि सिंचाई का खर्चा प्रति एकड़ बढ़ रहा है ।

भगवान सहाय जी ने सिंचाई की दर के बारे में जिक्र किया । स्वराज्य से पहले, सारे हिन्दोस्तान में यह प्रिन्सिपल माना गया था कि जिस जमीन में जो पैदावार होती है उसका दसवां भाग सिंचाई कर होना चाहिये । अब आप देख लीजिये जिस खेत में गेहूं पर हमें २० रुपये लेने चाहिये वहां केवल १२ पया लेते हैं । धान, एक एकड़ में २० मन अगर होता है वह २०० रुपये का हो गया, लेकिन हम लेते हैं १४ रुपया और गन्ना के बारे में भी इसी प्रकार से देख लीजिये कि क्या पैदावार वहां होती है और हम उनसे क्या आबपाशी चार्ज करते हैं । ये सब बातें इस चीज को जाहिर करती हैं कि हम जो इर्रीगेशन चार्जेज लोगों से वसूल करते हैं वे दसवें भाग से अधिक नहीं है ।

श्री उग्रसेन—पहले जो ३ आना मन की छूट दी गयी थी वह क्यों दी गयी ?

श्री राममूर्ति—मैं उसका भी जिक्र करूंगा, जरा सब्र कीजिये । इस वक्त जो कास्ट बढ़ा है उसका मैं जिक्र कर रहा हूं । पहले एक ट्यूबवेल जहां ६ हजार पये में बनता था, वहां अब ४५ हजार रुपये में बनता है । जहां तक सस्ती बिजली देने की बात है, पूर्वी जिलों में दो, ढाई आने प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिल रही है जब कि हम इस बात को लेकर चल रहे हैं कि रिहन्द डैम से एक आना प्रति यूनिट हमको बिजली मिलेगी । दूसरी बात यह है कि पूर्वी जिलों के कुओं में रेत काफी आने लगता है, तो उसकी हिफाजत के लिये भी हमें चौड़ा ट्यूबवेल बनाना पड़ता है जिसमें ज्यादा कीमत लगती है । जमीन के एक्वीजशन के अन्दर भी खासा पैसा खर्च हो रहा है । ये तमाम बातें हैं जो इस बात की दलील हैं कि आज हमारा कास्ट आफ कांस्ट्रक्शन और मेंटिनेंस पर कहीं ज्यादा खर्च होता है ।

इस सिलसिले में एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि हमारे माननीय भानु प्रताप सिंह जी इस समय शायद मौजूद नहीं हैं, वे बड़ी अच्छी खेती करने वाले हैं । सुना जाता है कि वे थोड़ी जमीन में ही बहुत फायदा उठाते हैं । वे तमाम दुनिया घूमे हैं । उन्होंने जिक्र किया कि

[श्री राममूर्ति]

सारे तालाब पट गये, सारे छोटे-छोटे कुयें खराब हो गये और डीप बोरिंग करने का भी जिक्र किया गया । मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं और इनके अन्दर कोई सार नहीं है । इस बात की कोशिश की गयी कि पंचायत राज के ज्यादा से ज्यादा काम ग्राम सभाओं और ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज की तरफ से किये जायं । पहले प्लान से लेकर अब तक लाखों रुपये गवर्नमेंट ने पक्के कुओं के बनवाने के लिये दिये हैं । यह मैं मानता हूं कि हमारी तकावी के जो नियम हैं, वह सुधार चाहते हैं और कुछ लोगों के तरीके भी गलत है, क्योंकि रुपये ले जाते हैं किसी काम के लिये और उसे खर्च करते हैं दूसरे काम में । लेकिन हमारी तरफ से इस बात की बराबर कोशिश है कि इस काम को आगे चलावें । तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर २४ करोड़ रुपये इस काम के लिये मिला है । अगर यह काम तेजी से आगे बढ़ा तो १२ करोड़ रुपया और इसके लिये दे दिया जायेगा ।

श्री उग्रसेन—मेरा सुझाव मान लें और किसी दूसरे को रुपया देने के बजाय आप स्वयं ही बनवा दें ।

श्री राममूर्ति—अब अगर हम कुयें बनवाने लगें तो फिर आप ही कहेंगे कि करप्शन है, सीमेंट की चोरी हो गयी, ईंटें खतम हो गयीं । बड़ी मुश्किल का सामना है कि अगर हम काम करें तो खराब और अगर जनता पैसे से काम करावे तो वे राजी नहीं होते । बहरहाल मैसोनरी वेल कोई रईस नहीं बनाते, वह भी गरीब ही बनाते हैं । डीप बोरिंग में भी पहले से ज्यादा रुपया खर्च किया जा रहा है । करीब करीब दो प्लान खतम हो गये जिनमें १० हजार डीप बोरिंग हुई और थर्ड प्लान में १८ हजार बोरिंग करने का विचार है ।

इस सिलसिले में एक बात मैं और बतला दूं कि हमारे मुल्क में या प्रदेश में मैसोनरी वेल्स बनाये जा रहें हैं । लोगों के पास जमीन थोड़ी मात्रा में है । अगर किसी के पास जमीन का इतना टुकड़ा है कि एक मैसोनरी वेल से उसका काम चल जाय तब तो अच्छी बात है, लेकिन जो छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं तो इस बात की जरूरत होती है कि दो चार किसान मिल जायं तब अपना कुआं बनावें, पर इसमें बड़ी दिक्कत होती है ।

इस बात का भी जिक्र किया गया कि ऐग्रीकल्चर विभाग व इर्रीगेशन विभाग में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है । मैंने अपने पहले भाषण में जिक्र किया था कि एक पाइलट प्रोजेक्ट हमने बनाया है जिस पर काम हो रहा है । और इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐग्रीकल्चरल विभाग और इर्रीगेशन विभाग के आफिसरों के बीच में ऐसा कोआर्डिनेशन हो जाय ताकि जिन बातों की शिकायत की जाती है वह दूर हो सके ।

अब एक और बड़ा जरूरी मसला है जिसकी तरफ बार-बार सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि ३ आने का रिबेट वापस क्यों किया गया। सीजन, आउट आफ सीजन, वक्त, बेवक्त सुबह, शाम हर वक्त उस का जिक्र किया जाता है । पिछली विधान सभा में पूरे दिन इस मसले पर बहस हो चुकी है और मैंने उसके संबंध में अपने तमाम आर्गूमेन्ट्स सदन के सामने रख दिय थे, लेकिन फिर भी वही चीज दोहराई जाती है । इसके अलावा हमने यह काम किसी बदउनवानी के साथ नहीं किया, हमने तो पहले से एलान कर दिया था कि यह ३ आने की छूट हम विदड्रा करेंगे ।

एक सदस्य :—तभी तो ५० कम हो गये यहां ।

श्री राममूर्ति—५० हार गये—यह तो वह सरासर गलत कह रहे हैं, पहले यहां पर २८७ हमारी संख्या थी और अब भी २४९ हैं तो कुल ३८ ही तो कम हैं, उन्होंने १२ वैसे ही बढ़ा दिये । श्री नेकराम जी भी हमारे साथी रहे हैं और वह जानते हैं कि हारने की वजह क्या हुई है, उसका मैं इस वक्त जिक्र नहीं करता, वह तो हमारी निजी बात है ।

इस बात को सभी मानते हैं कि जहां जिन सिंचाई विभाग के कामों की जरूरत है वहां वे सभी काम कर दिये जायं ताकि लोगों की तकलीफ कम हो जाय । लक्ष्य तो कहने को बहुत अच्छा है, लेकिन जो रुपया इन कामों के लिये चाहिये उस की तो एक सीमा है, इतना रुपया एकदम

से आ नहीं सकता और फर्ज कर लिया जाय कि रुपया हो भी तब भी इतना पर्सोनल कहां से आये कि सारे काम एक साथ हो सकें। पहले हमारे यहां केवल रुड़की की यूनिवर्सिटी में इंजीनियर्स की ट्रेनिंग होती थी इधर रुड़की का और बनारस यूनिवर्सिटी के इंजीयिरिंग कालेज का प्रसार किया गया है, कानपुर और इलाहाबाद में भी इंजीनियरिंग कालेज खोले गये और गोरखपुर में भी एक खोलने जा रहे हैं। इन सब जगहों में हमारे इंजीनियर तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा ओवरसियर्स के तो जिले जिले में स्कूल खुले हैं वहां से ट्रेन्ड हो रहे हैं। लेकिन हम जिस तरह इंजीनियर्स की भर्ती करते हैं, आप जांच कर लें, हमारे यहां फर्स्ट क्लास लड़के उनमें लिये जाते हैं। अगर किसी साल कम मिले तो ५५ प्रतिशत मार्क्स वाले ले लिये। ओवरसियर्स की परीक्षा टेक्निकल बोर्ड द्वारा होती है। हमारे नियम हैं जिनके अनुसार अगर किसी के १०० नम्बर हैं तो वह पहले लिया जायगा और इसी तरह से क्रम के अनुसार हम भर्ती करते हैं, जब तक ऊपर नम्बर वाले को हम नहीं ले लेते हम कभी नीचे नम्बर वाले को नहीं लेंगे। एक रिजिडिटी के साथ हम इस मामले में चलते हैं और कोशिश करते हैं। जिस कुनबापरवरी का जिक्र किया जा रहा है, अव्वल तो वह है नहीं और अगर कहीं है भी तो वह हटे। हम चाहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक तरीका है, जिस से लोगों के दिलों में श्रद्धा और इत्मीनान पैदा हो, उसी को बरता जाय।

इस बात का भी जिक्र किया गया कि हमारे विभाग में बहुत बड़ी तादाद में लोग अभी अस्थायी हैं और इंजीनियर्स टेम्पोरेरी हैं। यह सही बात है। विभाग में करीब ३०६ इंजीनियर्स स्थायी हुये हैं और करीब ४७० इंजीनियर्स अस्थायी हैं।

श्री उग्रसेन--छोटे कर्मचारी कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी हैं ?

श्री राममूर्ति--यह तो बहुत व्यापक प्रश्न है, इसे मैं बिना सूचना के नहीं बता सकता, वह मालूम किया जा सकता है लेकिन, उस में समय लगेगा। हमारे यहां अभी अधिकतर कांस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और हमारे यहां का फाइनेन्शियल रूल यह है कि जितने इंजीनियर्स की मेनटेनेन्स के कार्य के लिये जरूरत है केवल उन्हीं को स्थायी किया जाय। इसके बावजूद भी हमने इस मामले पर गौर किया और जो बजट पेश हुआ है उसके शिड्यूल आफ न्यू डिमान्डस में ७३ इंजीनियर्स को और स्थायी करने की सिफारिश की है और ८९ ओवरसियर्स को भी स्थायी करने की सिफारिश की गई है।

हमारी कोशिश होगी कि कांस्ट्रक्शन कार्य का कम से कम २५ परसेंट इंजीनियर्स रिजर्व रहें क्योंकि हम जानते हैं उत्तरोत्तर कांस्ट्रक्शन के काम बढ़ेंगे।

श्री नरसिंहनारायण--नैपाल बांध के बारे में भी तो कहिये।

श्री राममूर्ति--ढाई बजे तक मेरे पास समय है उसके बारे में भी कहूंगा। मैं कह रहा था कि हमारी बराबर कोशिश है कि हमारे इंजीनियर्स परमानेन्ट किये जायं। मैं एक बात और बता दूं कि जो इंजीनियर्स आज हमारे काम कर रहे हैं उनमें से फिलहाल २०० इंजीनियर्स को आश्वासन दे दिया है कि वे जो कम्पटीशन होगा उससे पहले लोक सेवा आयोग द्वारा एप्रूवल को पेश होंगे, ताकि वह सीनियर रहें उनसे जो कम्प्टीशन द्वारा आयें। हमने कम्पटीटिव ऐग्जामिनेशन अपने यहां, पी० डब्लू०डी० तथा एल०एस०जी० में जारी किया ताकि जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं सारे प्रदेश में उनके बेहतरीन लोग हमारे यहां लिये जायं। और इस बीच में हम इस कोशिश में है कि १९६२ के मार्च तक जितने इंजीनियर्स आ गये हैं उन सब को लोक सेवा आयोग के सामने भेज दिया जाय और इम्तहान से पहले ऐप्रूवल मिल जाय।

इस बात का जिक्र किया गया कि पूर्वांचल में बहुत-सी नदियां ऐसी हैं जिन पर पर्याप्त मात्रा में ऐसे साधन नहीं बनाये गये जिनसे लोगों की हिफाजत हो सके। यह बात सही है। लेकिन यह बात भी सही है कि इस पिछले जमाने के अन्दर ४४६ मील लम्बे बांध बनाये गये,

[श्री राममूर्ति]

लगभग ५,००० गांव ऊंचे किये गये, और मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय झारखंडेराय जी ने जिक्र किया कि गांवों के ऊंचा होने से लोगों की जान, माल और जानवर को काफी हिफाजत और आराम है। आज जितना पूर्व का क्षेत्र है सब का सर्वेक्षण हो रहा है और उसकी फिगर्स आ रही हैं जिसके अनुसार हम काम करें।

नैपाल बांध के बारे में हमारे दोस्त माननीय नरसिंह नारायण जी जानते हैं कि नैपाल का वह हिस्सा जहां से गंडक टूटी है पहले कुछ गांव वहां थे जो स्पर का काम करते थे, लेकिन पिछली बरसात में सब बह गये और दरिया इधर से झुक गया उस समय से ही। तीसरी योजना के अन्दर आप देखें २५ लाख रुपया इस काम के लिये रखा गया है। बराबर डेपुटेशन पर डेपुटेशन नैपाल सरकार के पास जा रहे हैं, बिहार और हमारी सरकार की तरफ से। लेकिन इजाजत नहीं मिलती। हमारे इंजीनियर्स सर्वे करने गये सब के सब गिरफ्तार कर लिये गये, बड़ी मुश्किल से छुटाया गया। माननीय नरसिंह नारायण जी ने जिक्र किया कि हिज मैजेस्ट्री नैपाल दिल्ली आये थे। हमने चीफ मिनिस्टर के जरिये से प्राइम मिनिस्टर को स्पेशल मैसेन्जर के जरिये खबर भेजी और उन्होंने उस खत का जवाब भेजा कि उन्होंने इस बात का जिक्र महाराजा से किया पर महाराजा ने कहा कि इसको देखेंगे। बस इतनी बात हो गई। हम अब उनको कैसे मजबूर करें, दूसरा मुल्क है और यह भी हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों में हमारे मुल्क से कुछ ताल्लुकात ऐसे कशमकश के पैदा हो गये हैं जिनको आज भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। यह भी सारे सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी नैपाल सरकार के बारे में कोई आलोचना की जाती है तो वहां के लोग बुरा मानते हैं और इतने टची हो गये हैं कि कितने ही लोग तो हम लोगों से नफरत करने लगे हैं। यह पोजीशन है। हमारे पूर्वी क्षेत्र के इंजीनियर इस बात की कोशिश में हैं कि अगर इजाजत मिल जाय तो हजारों आदमियों को लगा कर योजना कार्यान्वित की जा सके लेकिन इस बेबसी के आलम में क्या किया जा सकता है। अगर कोई तरीका पांडेय जी बतला सकते हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि उन तरीकों को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण—इतने टेक्निकल एडवाइजर्स तो आपके पास हैं, लेकिन इधर भी आपका ध्यान है कि गंडक नदी से पूर्वी जिलों का क्या हाल होने वाला है ?

श्री राममूर्ति—अब तक तो नपाल बांध पर बड़ा जोर था। अब आपने यह बात और जोड़ दी।

श्री उग्रसेन—जब बड़ी गंडक के लिये नैपाल सरकार से बातचीत हुई थी तो क्या यह महसूस नहीं किया गया उसी वक्त अपनी सुरक्षात्मक दृष्टि से कि नैपाल बांध की भी स्वीकृति उसी वक्त ले ली जाय ?

श्री राममूर्ति—नैपाल से बड़ी गंडक योजना की स्वीकृति के वक्त ही यह लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया था कि कितना पानी किस प्रदेश को दिया जायगा ? उस वक्त उन्होंने यह माना था कि नैपाल बांध का बनना जरूरी है। लेकिन इस बेबसी के आलम को क्या किया जाय कि जब काम करने का वक्त आया तो इजाजत नहीं मिल रही है। बिहार गवर्नमेन्ट के एड-मिनिस्ट्रेटर, श्री टी०पी० सिंह को खास तौर से इस काम के लिये नैपाल भेजा गया लेकिन बावजूद इसके कुछ काम अभी तक नहीं हो पाया।

श्री उग्रसेन—एक डेपुटेशन आप ले कर जाइये।

श्री राममूर्ति—मैं तो भैसालोटन तक गया था।

श्री उग्रसेन—काठमांडू तक जाइये।

श्री राममूर्ति—मेरे काठमांडू जाने से क्या असर हो सकता है जब हमारे प्रधान मंत्री स्वयं हिज मेजेस्ट्री पर ज्यादा असर डाल सकते थे। मुझे इस बात के मानने में कोई एतराज नहीं

कि बड़ी गंडक से लाखों किसानों को तकलीफ है, सैकड़ों और हजारों गांव पिछले साल जलमग्न हो गये। मैं हवाई जहाज से गोरखपुर गया, लोगों से बातचीत भी की और हम से जो हो सका तकावी की शक्ल में, कर्जे व छूट की शक्ल में, गल्ला बांटने की शक्ल में, उनको सहूलियत पहुंचाईं। लेकिन जो मौलिक बात है उसमें आज भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वह पूरी तभी होगी जब नैपाल बांध बने।

फ्लैड स्कीम्स के बारे में एक वृहत योजना ६८ करोड़ की बनाई गई है। ५ करोड़ ७५ लाख इस योजना काल में हम को मिला है। इस थोड़ी सी रकम से सारे प्रदेश के काम को पूरा करना मुश्किल है। लेकिन उत्तरोत्तर इस बात की कोशिश होगी कि ज्यादा धन मिले और अन्य कामों को किया जाय।

मथुरा में गोबर्द्धन ड्रेन बन रही है। यह यू० पी० के पानी को बाहर निकालेगी। इससे कितने गांवों को मिट्टी की सड़कों से जोड़ा गया है, हालांकि मिट्टी का काम बरसात में थोड़ा बहुत बह जाता है। बहुत से गांव ऊंचे किये गये हैं और शुरू से ही इस बात के लिये आगाह कर दिया गया है कि जो गांव उठा दिये जायेंगे उनकी मरम्मत गांव समाज खुद करायेगा।

इस बात का भी जिक्र किया गया कि गांव उठाने में बड़ा भारी करप्शन हुआ। मेरी नोटिस में भी यह बात आई। लेकिन जिस तेजी से वह काम हुआ था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में रश आफ वर्क था। जितना काम किया गया, इस बात की होड़ थी कि सारे काम जल्दी से किये जायं। यह बात सही है कि उस जल्दी की वजह से, परसोनेल की कमी की वजह से, कुछ गोलमाल भी हुआ और सरकार का रुपया जाया हुआ।

श्री उग्रसेन––गर्की की समस्या का जिक्र नहीं किया।

श्री राममूर्ति––गर्की की समस्या है और उसके लिये जहां-तहां ड्रेन्स बनाये जा रहे हैं। जो पांच मील से कम की ड्रेन्स हैं उनके लिये डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जिम्मेदारी ले ली है। वह गांव सभाओं की मदद से छोटी-छोटी ड्रेन्स निकालेगा और बड़ी ड्रेन्स सरकार की ओर से बनायी जायंगी।

मैं एक बात का और जिक्र करना चाहता था। माताटीला डैम हमारे प्रदेश में बना। यह एक ऐसा डैम बना जो हमारे गले में अटक कर रह गया। जब देखिये उसी की चर्चा होती है।

एक सदस्य––उसकी जांच करायी गयी?

श्री राममूर्ति––उसकी जांच की रिपोर्ट है। एक हाई पावर कमटी के जरिये जांच करायी गयी जिसमें फाइनेन्स सेक्रेटरी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर और इर्रीगेशन सेक्रेटरी, ये तीनों बैठे। हमने बाहर के लोगों की भी सलाह ली। सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन से भी मदद ली। मगर नतीजा यही निकला कि कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। यह प्रोजेक्ट शुरू-शुरू में प्रलिमिनरी तरीके से बना दिया गया था और ३ करोड़ ८९ लाख का था। लेकिन जब काम शुरू हुआ और डिटेल्ड सर्वे होने लगा तब इंजीनियर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें ७ करोड़ ९९ लाख रुपया खर्च होगा। और जब इसकी प्रगति हुई तो अल्टीमेटली ११ करोड़ ९९ लाख रुपये पर जा के पहुंचा जिसमें उस हिस्से का खर्च भी शामिल है जो मध्य प्रदेश में मंडेर कैनाल बन रही है। माननीय कृष्णचन्द्र शर्मा साहब ने कहा कि हमारे लिये पानी कम मिलता है और मध्य प्रदेश को ज्यादा मिलता है। मध्य प्रदेश को तो कुल १ लाख १० हजार एकड़ के लिये पानी दिया जायगा और हमारे लिये ३ लाख एकड़ से ज्यादा, न मालूम उन्होंने यह कैसे कह दिया। पिछले साल सोशलिस्ट पार्टी के उपनेता श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने एक शिकायत की थी। उसी

[श्री राममूर्ति]

वक्त हमने जांच कमेटी बिठाली और फिर हमने उसे अपने डिपार्टमेन्ट के आदमी के सिपुर्द नहीं किया। यह सोचा कि किसी ऐसे आदमी के सिपुर्द काम दें जिसके ऊपर कोई बेइत्मिनानी न हो। लिहाजा रुड़की यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर श्री पांडेय को वह काम सौंपा गया और उन्होंने उसकी इंक्वायरी की। उनकी इन्क्वायरी का यह रेजल्ट निकला--

"In my opinion the most important factor that is the real cause of many of the embarrassments that has had to be faced in this project is the weak Administrative Machinery set-up for the construction of this project. Only an Executive Engineer remained directly incharge of such a big project. That this work was beyond the capacity of an Executive Engineer to effieicntly handle it need no emphasizing."

यह उनकी फाइंडिंग थी। और भी बहुत से सुझाव थे जिनको हम कार्यान्वित भी कर कर रहे हैं। और बहुत से उन्होंने ऐडमिनिस्ट्रेटिव सुझाव दिये हैं जिनको डिपार्टमेंट मेटि-कुलसली फालो करने की कोशिश कर रहा है। यह है माताटीला डैम की कहानी।

श्री उग्रसेन--वह रिपोर्ट जरा हमको भी दिलवा दी जाय।

श्री राममूर्ति--आप अगर हमारे कमरे में आयें तो उसे पढ़ सकते हैं। वह छपी हुई नहीं है जो तमाम मेम्बर्स में बांटी जाय।

श्री उग्रसेन--तीन करोड़ का बांध ग्यारह करोड़ का हो गया, आपको परेशानी नहीं हुई ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं, परेशानी की बात मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैंने जो वजूहात बताई वह हमारे बस की बात नहीं है। जिस तेजी से और जिस तरह से काम शुरू हुआ उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। शुरू-शुरू में हमने इस काम को एक एक्जी-क्यूटिव इंजीनियर के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद जब काम बढ़ा तो एस०ई० बढ़ाय गये, चीफ इंजीनियर बढ़ाय गये और कई आफिसर्स हमारे रिटायर हो गये, उनके खिलाफ ऐक्शन क्या लें। पब्लिक एकाउन्टस कमेटी ने भी इसको एक्जामिन कर लिया है। अब इन बातों से माननीय सदस्यों को संतोष हो जाना चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि जहां हम अपने इंजीनियरों की शिकायत किया करते हैं वहां इस पर भी गौर किया करें कि किन मुश्किलात में किन वातावरण में वे काम करते हैं। हमारे यहां रामगंगा पर काम शुरू हुआ है, यह बड़ी भारी योजना है। हमारे पांडेय जी कहा करते हैं बड़ी योजनायें नहीं ली जाती हैं। लेकिन यह बहुत बड़ा काम है और यह ६८ करोड़ रुपये की योजना है। वहां पर काम शुरू हो गया है। वहां आप देखें कि किन हालात में टिन शेड में हमारे इंजीनियर्स और नीचे के अधिकारी रह कर काम करते हैं। सर्वे करने वाली पार्टी हमारी जाती है तो उसको स्वच्छ पानी तक नहीं मिलता और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता है। इसके बदले में हम उनको थोड़ा सा अलाउन्स ही तो देते हैं वे अपने बाल बच्चों को लेकर वहां रहते हैं जहां उनके बच्चों के लिये तालीम की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जरा इधर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। हमारे इंजीनियर इन चीफ हैं, उनकी ख्याति सारे प्रदेशों में है। वे रुड़की यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर हो गये थे। वे हमारे कहने से ठहर गये। हमनेकहा कि आप अपना आखिरी वक्त भी यहीं गुजारिये। उनको यहां पर रख लिया गया। आज भी अन्य प्रदेश उनको अपने यहां बुलाते हैं और उनसे सलाह मश्विरा लेते हैं।

हमारे चीफ इंजीनियरों के बारे में यह जिक्र कर दिया जाता है कि हमारी स्टेट में ये बहुत हैं। आप पंजाब में देखिये कि १० चीफ इंजीनियर हैं, मैसूर को देखिये, आंध्र को देखिये, कहीं भी ३,४,५,७ चीफ इंजीनियरों से कम नहीं हैं। रेलवे विभाग को आप देखिये कि कितने भागों में उसको बांट दिया गया है और वहां कितने चीफ इंजीनियर हैं। जब काम बढ़ रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और मौके पर डिसिजन्स लेने पड़ते हैं, तो लामुहाला तरीके से हमको ऊंचे दर्जे के अधिकारियों को रखना होगा ताकि काम सुचारू रूप से चल सके।

मैं अन्त में यह कहूंगा कि अगर मोटे तरीके से देखा जाय तो इर्रीगेशन विभाग में बहुमुखी उन्नति हो रही है। इस विभाग में एक डिजायन डाइरेक्टोरेट खोला गया है। सर्वे और प्लानिंग के सेक्शन भी खोले गये हैं। एक साहब कहने लगे कि इस पर बेकार रुपया खर्च किया जाता है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि कम से कम दस साल पहले से रूस में ५६ हजार इंजीनियर काम करते हैं। यह किसी भी योजना की जड़ है, बुनियाद है। अगर किसी काम की बुनियाद ठीक है तो काम भी ठीक हो जाता है। रिहन्द बांध का काम निर्धारित समय पर सम्पन्न हुआ और हमारे जो एस० ई० मिस्टर जैन थे उनकी सिफारिश से और अपनी कोशिश से और डिजाइन के जरिये से एक करोड़ रुपये की सेविंग की गई। अगर २,४,६ हजार रुपया हम बचा लें तो यह कोई अच्छी पालिसी नहीं होगी।

आज जमुना पर काम हो रहा है प्रथम और द्वितीय चरण में और अब तीसरे चरण की सर्वे हो रही है। किसाऊ डैम का सर्वे हो रहा है। यह ७० करोड़ का डैम है। हमने श्री जैन को इंजीनियर इन चीफ बना दिया है हमारे विभाग के जैसे और इंजीनियर हैं वैसे ही वह भी हैं। एक नयी चीज उन्होंने बतलायी और उससे हाल ही हाल में हमने देखा कि लाखों रुपयों का फायदा हो गया। तो डिजाइनिंग जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी तरह सिंचाई की योजनायें पूरी होंगी। सर्वे और प्लानिंग में जितनी अच्छी तरह हम काम करेंगे उतनी ही हमारी योजनायें अधिक सफल होंगी और हम इस हालत में होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट से बड़ी से बड़ी योजनायें अपने यहां ला सकें।

उदाहरण के तौर पर मैं एक जिक्र करता हूं प्लानिंग और सर्वे के बारे में कि शारदा नदी के हेड पर पुरनागिरी का बांध बनाने का सर्वे हो रहा है। ऐसा अनुमान है कि १०० करोड़ का वह बांध होगा। ४–५ लाख किलोवाट बिजली उससे पैदा होगी और जो नहरें उससे बनायी जायेंगी उनसे मध्य और पूर्व के अंचल के बहुत बड़े क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी। गंगा के ऊपर एक बहुत बड़ी योजना का सर्वे हो रहा है। लेकिन फिलहाल इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो काम हमें करना है उसी को हमें पूरा करना है और वही हमारा लक्ष्य है। इन तमाम चीजों को देखने से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी इस बात को मानेंगे कि जहां तक इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर और आर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है वह बेसिकली बहुत साउन्ड है और वह एक नियोजित ढंग से अपने काम को चला रहा है।

अन्त में मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने यहां रखी हैं सम्भव है कि उनसे हमारे कुछ माननीय सदस्यों को इत्मीनान न हुआ हो, लेकिन फिर भी मेरा सब भाइयों से नम्र निवेदन है कि जिन हालात में हम हैं उसमें सब पार्टियों के लोग अपना सहयोग प्रदान करें ताकि हम सब लोग मिलकर अपनी कमियों को दूर करते हुये उत्तर प्रदेश के अन्दर एक ऐसा माहौल पैदा कर सकें, ऐसा वातवरण पैदा कर सकें जिससे हमारे इस प्रदेश की जो गल्ले की पैदावार है वह दिन पर दिन बढ़े जिसके जरिये से हमारे प्रदेश के लोगों की समृद्धि हो और उनकी माली हालत अच्छी हो तथा जो उनकी जिन्दगी का गिरा हुआ स्तर है वह ऊपर को उठे। मुझे इस बात की उम्मीद है कि सब लोगों की सद्भावना इस सिंचाई विभाग के साथ रही तो हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति करेंगे और उत्तर प्रदेश के अन्दर और सारे हिन्दुस्तान के अन्दर जो आज इस बात की कोशिश की जा रही है कि समाजवादी समाज की रचना हो उसकी बुनियादें और मजबूत होंगी, जिसके द्वारा हमारे इस प्रदेश की गरीबी और बेकारी दूर होगी, जहालत और बीमारी दूर होगी और हम सब लोग एक सुख और शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि जो अनुदान मैंने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार करते हुये उसके लिये अपनी अनुमति प्रदान करें और साथ ही साथ अपने अजीज दोस्त झारखंडे राय जी जिन्होंने कि अपने भाषण से हमें बड़ा मुस्तफीद किया, उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष––अब हम मत लेते हैं। सबसे पहले अनुदान संख्या ३१ के अन्तर्गत झारखंडे राय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसे मैं पेश करता हूं और उसी के साथ-साथ जितने बाकी कटौती के प्रस्ताव इस अनुदान के अन्तर्गत हैं उन सबका नतीजा भी वही होगा जो इस कटौती के प्रस्ताव का होगा।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––सिंचाई दरों को कम करना, सिंचाई योजनाओं को पूरा करने में बिलम्ब न करना, छोटी सिंचाई योजनाओं व प्राचीन साधनों की सरकार द्वारा उपेक्षा व अन्य सुझाव और शिकायतें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३१––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, ९,७९,८७,४०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२ के अन्तर्गत सिंचाई अधिष्ठान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने के उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३२––सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,८८,०६,७०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर, निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ––

पक्ष में––१२७,

विपक्ष में––६४।)

श्री उपाध्यक्ष––अब अनुदान संख्या ४९ के अन्तर्गत माननीय झारखंडे राय जी का कटौती का प्रस्ताव वोट के लिये रखा जाता है। जो इस पर सदन का निर्णय होगा वही अन्य कटौती के प्रस्तावों पर भी समझा जायगा।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४९ के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करन का उद्देश्य-नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४९––सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १२,२४,४०,४०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४५––वन तथा अनुदान संख्या ५३––वनों पर पूंजीगत लागत

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४५––वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,४३,३५,१०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––दूसरा भी पेश कर दीजिये ।

श्री अलगूराय शास्त्री––श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५३––वनों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १३,१२,००० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, इन अनुदानों को स्वीकार करने के लिये इस सम्मानित सदन के सदस्यों के समक्ष मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा-समय इस सम्बन्ध में विचार करने के लिये मिला है । इससे स्वयं यह सिद्ध हो जाता है कि जो रकम इस विभाग के लिये मांगी गयी है वह ऐसी नहीं है कि उस पर कुछ अधिक विवाद हो । फिर वनों का महत्व हर माननीय सदस्य को विदित है । वनों की महिमा सदा से ही हमारे देश में गायी गई है और यह निर्विवाद है कि वनों का महत्व भूमि संरक्षण को रोकने के लिये भी बहुत अधिक है । वृक्षों के बिना हमारी भूमि का उर्वरक बच नहीं सकता और जितना संरक्षण भूमि का इससे हुआ है उसको अगर दृष्टि में रखा जाय तो यह मानना पड़ेगा कि यह कार्य बड़े महत्व का है ।

वनों का महत्व कुछ दिनों पहले तक लोगों के सामने इतना नहीं था जितना अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्रकाश पड़ा अब हमारी राष्ट्रीय नीति बन गयी है कि सारी भूमि का एक तिहाई भाग वनों के नीचे होना चाहिये । दुर्भाग्य से इस देश में अभी तक १४ प्रतिशत भूमि भी वन भूमि नहीं है । वन हमारी बहुत बड़ी-बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जब से नये-नये वैज्ञानिक आविष्कार हुये हैं, वनों की वह उपज जो हम जलाकर राख बना दिया करते थे अब कितने ही उद्योग-धंधों को चलाने में कच्चे माल का अनिवार्य भाग बन गयी है । हम लकड़ियों से ऐसे गूदे तैयार करते हैं जिनसे तरह-तरह के कपड़े, कागज और दूसरे उद्योग धंधे चलते हैं । कत्था, रेजिन, लीसा कितने ही उद्योग धंधों के लिये कच्चा माल प्रदान करते हैं और हजारों आदमियों को जीविका देते हैं । देश में औद्योगीकरण का जो वातावरण पैदा हुआ है उसको सहायता देने के लिये वन सम्पत्ति की ओर हमारा ध्यान जाने लगा है । हम घास से कागज बनाते हैं, लकड़ी से कागज बनाते हैं और वह कागज हमारे हर दिन की बड़ी भारी उपयोगिता की अनिवार्य सामग्री है । इसी तरह से दिन-दिन उद्योग धंधों की ओर जो हमारी प्रगति होती है । उसमें वनों का हमारे उद्योग-धंधों के साथ बड़ा भारी सम्बन्ध जुट गया है । दूसरे देशों से अगर हम मुकाबला करें दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका, जापान, रूस और कुल योरप से तो हमारे यहां जो जंगलों की पैदावार है वह दयनीय दृष्टि से कम है, इसका हमें दुख भी है । हम अपने लिये प्रति व्यक्ति १ घनफुट से अधिक जलाने की लकड़ी नहीं पैदा करते हैं तथा ०.२ घनफुट लकड़ी वह जिससे हम कुर्सी मेज और दूसरे सामान बनाते हैं । ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जहां यह दयनीय दशा हो । हमारे प्रदेश की स्थिति हमारे देश की स्थिति से भी दयनीय है ।

एक सदस्य––यह स्थिति किस लिये है ?

श्री अलगूराय शास्त्री---इसलिये है कि हमें बहुत अधिक लकड़ी की आवश्यकता है। बच्चे के पैदा होने के समय बत्तीसे के लिये पानी गरम करने से लेकर जिस दिन मरते हैं उस दिन जलाने तक के लिये लकड़ी की आवश्यकता है, और श्रीमन् जहां प्रतिष्ठित हैं वहां के लिये कुर्सियां भी बनाने की आवश्यकता है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---आदमी जब वानप्रस्थावस्था में आता है उस वक्त ज्यादा जरूरत पड़ती है।

श्री अलगूराय शास्त्री---मैं जानता हूं कि उस स्थिति से युसूफ साहब को खास दिलचस्पी है। तो वनों की आवश्यकता सब सदस्य इधर या उधर के अनुभव करते हैं इसलिये मैं पिसे को पीसना नहीं चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पूरे सदन को ऐसा वातावरण पैदा करने में मदद करनी चाहिये कि जनता को अनुभव हो कि वनों की आवश्यकता है, वृक्षों की आवश्यकता है। सड़कों के किनारे जो दरख्त हैं आज वह काटे जाते हैं, उनकी शाखायें, उनकी पत्तियां लालची लोग अपने पशुओं को खिलाने के लिये और अपने यहां जलाने के लिये ले जाकर नष्ट कर देते हैं उन पर कोई रोक नहीं है। कानूनन रोक भले ही हो लेकिन जनमत उसके पक्ष में नहीं है।

माननीय सदस्य इस सदन के और बाहर भी यह समझते हैं कि यह वन विभाग क्या है? वन विभाग का कोई खास महत्व पिछले वर्षों में शायद न रहा हो, लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया है कि जो हमारी राजकीय नीति है उसने इस विभाग को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है। इसलिये श्रीमन्, यह बहुत बड़ी धनराशि नहीं है जो मांगी जा रही है। करीब तीन करोड़ रुपये के लगभग हम इस विभाग पर खर्च करते हैं। हमारी आमदनी पिछले दिनों में ६ करोड़ ६७ लाख रुपये हुई और वह बढ़ कर सन् १९६१-६२ में ७ करोड़ २२ लाख के लगभग हो गयी है। कैसे यह आय बढ़ी है? यह बजट के अंकों में इतनी नहीं आई है उसमें तो ६ करोड़ ५७ लाख आपको दिखलाया गया है। श्रीमन्, फरवरी और इससे पहले पेंचदार चौड़ के स्लेश दो आना पर क्यूबिक फीट के हिसाब से दिये गये हैं, लेकिन अब फरवरी से हमने दो आने से बढ़ा कर इसको ४० नया पैसा पर क्यूबिक फीट कर दिया है। इसका हिसाब इसमें नहीं आया है। इसी तरह से जो लीसा बरेली की टरपेनटाइन फैक्टरी को १५ और १६ रुपये मन के हिसाब से दिया जाता था उस के दाम अब ३०, ३२ और ३४ रुपये मन तक पहुंच गये हैं। यह रेट भी पिछले दिनों में ही रिवाइज किये गये हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि जो पैसा जा रहा था वह कुछ व्यक्तिगत लोगों के पास जा रहा था और उन्हीं को लाभ पहुंच रहा था, परन्तु अब यह धन राजकीय कोष में आ गया है। पिछले एक-दो वर्षों में आय से जो लाभ हुआ है उसको देखते हुये मैं कहना चाहता हूं कि अपने कर्त्तव्य-पालन की दिशा में यह एक कदम है। आंकड़ों की एक पुस्तक 'वन सांख्यकीय' के नाम से हमने छपवायी है जो कि माननीय सदस्यों के कर कमलों तक पहुंचायी जा चुकी है। इसके अलावा हमारे विभाग का वार्षिक विवरण भी माननीय सदस्यों तक पहुंच गया है। हमारे प्रदेश ने तरक्की के लिये धीरे-धीरे कदम उठाया है और इसमें देखा जाय तो वन विभाग की कार्यक्षमता बढ़ती ही जा रही है और अब उस दिशा में हम आगे और प्रगति करते जा रहे हैं। अगर हम पहले ट्रेनिंग में ५० आदमी ले रहे थे तो अब २००, २५० आदमी ले रहे हैं। कुछ फारेस्ट गार्डस हैं और कुछ अन्य लोग हैं। वनों को भी लगाना है चाहे वह गंगा घाटी हो, जमुना घाटी हो और चाहे छोटी-छोटी नादियों की घाटियां हों।

एक और दिशा में भी हमने कदम उठाया है; वह है कृषि वन योजना। इस योजना के अन्तर्गत हम किसानों को यह बतलाना चाहते हैं कि जहां खेती में अनाज पैदा करते हैं वहां उसी अनाज से बनाया जाने वाला भोजन तैयार करने के लिये उन्हें लकड़ी भी उपजानी चाहिए। यह नहीं की सारी की सारी लकड़ी हिमालय के पहाड़ों से उनके लिये यहां लायी जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—कृषि और वन विभाग तो एक ही हैं।

श्री अलगूराय शास्त्री—आप सही कहते हैं। ये दोनों विभाग एक ही हैं। हम चाहते हैं कि जहां किसान अनाज उपजाने की तरफ ध्यान देता है वहां उसे उस अनाज को पकाने के लिये लकड़ी उपजाने की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जो ज्ञानी आदमी होते हैं वे अपना काम विभाजन कर के कुशलता से उसे कर लेते हैं और जो यह चाहता है कि सारा काम एक साथ कर लिया जाय तो वह सफल नहीं हो सकता है। अस्तु मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस कृषि वन योजना के लिये हमें तृतीय पंचवर्षीय योजना में ६० लाख रुपया मिला है। उससे गांव-गांव, जिले-जिले यह वातावरण पैदा करना है कि लोग केवल ऊसर में ही नहीं, खराब जमीन में ही नहीं बल्कि उपजाऊ जमीन में भी १० से १५ प्रतिशत वन उपजावें और अपनी जमीन को जंगल के नीचे लावें और इस तरह से मेन मेड फारेस्ट तैयार करें, तभी लकड़ी की समस्या हल होगी, जिसके बिना हमारा औद्योगीकरण और हमारी संस्कृति का स्तर जितना ऊंचा होना चाहिये उतना ऊंचा नहीं हो सकता है। लोग इस प्रकार से अपनी जमीन पर वन लगावें तो उसके लिये हम यह प्रेरणा देते हैं कि कम से कम यूनिट ५ एकड़ की ले ली जाय और उस ५ एकड़ जमीन में ग्राम सभा के लोग अपने उत्साह से इस प्रकार के वन लगावें तो उसके लिये मुफ्त सीडलिंग देते हैं और २५ रुपया प्रति एकड़ उनका लगान माफ कर देंगे, तो जो धनराशि मांगी गई है उसको खर्च करने पर उनकी कोई सहायता रुक नहीं सकती, यदि वह जनहित में हो। हम यहां पर सुझाव दे सकते हैं और वह सुझाव अगर अनुपयुक्त हों तो कभी भी स्वीकार नहीं किये जा सकते, लेकिन जो उपयुक्त सुझाव सरकार के सामने आवेंगे तो अवश्य ही सरकार उनके ऊपर विचार करेगी और उनको कार्यान्वित करेगी। इसके लिये मैं आपके जरिये से यही निवेदन कर सकता हूं कि जो मौलिक बात होगी उसको अवश्य ही माना जायेगा।

इस कृषि वन योजना को लाने के बाद वन विभाग ने इस बात पर भी काफी दिलचस्पी ली है कि इस प्रकार के अन्य वनों को भी सघन बनाया जाय। जो प्रयोग आजमगढ़ के ऊसर और बंजर भूमि में किया गया है उसको कोई भी जाकर देख सकता है। उसके अन्दर बबूल के जो पेड़ खड़े हैं उनके कांटे और शाखायें फैल कर इस बात का चैलेन्ज दे रहे हैं कि सारी कठिनाइयों और उलझनों के बाद भी चाहे कुछ भी हो, उनको तोड़ कर आगे बढ़ेंगे और इस तरह से हमारी यह योजना कामयाब होने वाली है, इसमें कोई भी शक नहीं है। यह योजना हमारी राष्ट्र की सम्पत्ति को, कच्चे माल के रूप में और खास सम्पत्ति के रूप में बढ़ायेगी। जब घास की सम्पत्ति बढ़ेगी तो उसको खाकर पशु दूध देने वाले होंगे और तभी हमारे छोटे-छोटे बच्चे सचमुच में कह सकते हैं कि ब्रज के से वातावरण में हम रहने लगे हैं, श्रीकृष्ण के समय में जबकि दूध की नदियां बहा करती थीं।

हमारे विभाग ने जो दूसरी बात सोची है वह यह है कि हमारे जो कन्ट्रैक्टर हैं जंगलों के, वे मजदूरों को रखते हैं और वह नये ढंग से रखते हैं, जब चाहते हैं रख लेते हैं और जब चाहते हैं निकाल देते हैं और-कभी कभी तो उनको उचित पारिश्रमिक भी नहीं मिल पाता है। तो इस दृष्टि से यह सोचा गया है कि जो वनों के निकट रहने वाले हरिजन या दूसरे पिछड़े लोग हैं उनकी एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई जाय और इस पर व्यय करने के लिये ५ लाख रुपये की धनराशि रखी गई है, जिसमें से करीब ५ हजार की धनराशि तकावी के रूप में दी जायेगी। मैं आशा करता हूं कि सहकारी विभाग के सहयोग से हम इन कोआपरेटिव सोसाइटीज को बनावेंगे और उसके द्वारा इस गरीब जनता का सन्तोषजनक सुधार हो सकता है, उनको जीविका मिल सकती है।

तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार से हमारे वन विभाग का आय-व्ययक आपके सामने प्रस्तुत है और उसके द्वारा जो मांग की गई है मेरा विश्वास है कि उन मांगों को यह सदन सम्पूर्ण हृदय से स्वीकार करेगा। अब इसके बाद जो कटौती का प्रस्ताव है या और जितने भी प्रस्ताव हैं, उनके ऊपर जब भाषण होंगे तो उनको मैं बड़े ध्यान से सुनूंगा और बाद

[श्री अलगूराय शास्त्री]

में जवाब बूंगा। मैं ज्यादा समय शुरू में नहीं लेना चाहता, माननीय सदस्यों को शिकायत हो सकती है कि उनको थोड़ा ही समय मिला अपनी बातें कहने के लिये। मैं चाहता हू कि खुले कान से उनकी बातें सुनूं और यदि उनमें ऐसे सुझाव हों, जो जनहित में स्वीकार किये जा सकते हों, तो उनके सामने सिर झुकाऊं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं सरकार से मतभेद रखने वाले दूसरे दलों के सदस्यों से कि वह ऐसे तर्क पेश करें जिससे सरकार निरुत्तर हो जाय। यह सरकार हटे और उनकी सरकार बने, यह भी उनका मौलिक अधिकार है। इस दृष्टि से मैं उनके भ्रमात्मक तर्कों को भी उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखूंगा। अगर कोई कटु आलोचना की भी बात होगी तो उसके लिये भी मैं यही समझता हूं कि वन में विचरने वाला आदमी अगर कांटों से बच कर निकले तो उन फूलों से कैसे बचेगा जो उसके ऊपर योंही झड़ जाते हैं। उन बचनों को मैं वर्षा समझ कर सह लूंगा और उसके बाद भी कोई कांटा चुभे तो मैं फिर यही समझूंगा---"गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं"।

इन शब्दों के साथ मैं अपने अनुदान को उपस्थित करता हूं।

*श्री गंगाधर (जिला चमोली)---उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५---वन---लेखा शीषक: ७०---वन के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय---कमी करने का उद्देश्य---वन विभाग के कार्य-संचालन की आलोचना करना और जन-हित के आवश्यक सुझाव देना।

उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५३---वनों पर पूंजीगत लागत---लेखा शीषक: ११९---वनों पर पूंजीगत लागत के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय---कमी करने का उद्देश्य---वन विभाग के कार्य-संचालन की आलोचना और जनहित के आवश्यक सुझाव।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वन मंत्री महोदय ने वनों का महत्व बताया है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि वनों का महत्व परम्परागत मनुष्य की आदि सृष्टि से रहा है। मनुष्य सभ्यता ही वनों से मानी जाती है। हमारे वन मन्त्री महोदय ने उसके महत्व को जितना कहा है उससे अधिक उन्होंने अपनी पुस्तक में साहित्य के रूप में लिखा है। हम उनसे चाहते हैं जितने सुन्दर रूप से उन्होंने पुस्तक में लिखा है उसी प्रकार से वह वन के विषयों और उस की समस्याओं पर ध्यान दें तो शायद हम लोगों का अधिक उपकार हो सके।

मन्त्री महोदय ने कहा कि हमारे यहां प्राचीन काल से यह सिस्टम रहा है कि चार आश्रम होते थे---ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और सन्यास। उनमें से केवल एक गृहस्थ आश्रम ही नगरों में बिताया जाता था और शेष तीनों आश्रम जंगलों में ही बिताये जाते थे। मैं भी उनसे आग्रह करूंगा कि यदि सन्यास नहीं तो वानप्रस्थ उनका आ ही गया है, वह यदि वनों का ही वास करें तो हमारे परम्परागत आदर्शों का भी पालन करेंगे और मैं समझता हूं वनों पर बड़ी सुन्दर कवितायें और लेख लिखा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, वनों पर मनुष्य ने नियन्त्रण किया और वनों को प्रकृति ने बनाया है और प्रकृति की जितनी भी वस्तुयें हैं, उनके ऊपर जब मनुष्य कन्ट्रोल करता है तो उस समय मनुष्य को काफी कष्ट होता है। हमारे यहां ब्रिटिश साम्राज्य के पहले जंगलों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था, लेकिन सब से पहले अंग्रेजों ने १८५५ में जंगलों के लिये घोषणा की। उन्होंने यह कहा कि जंगल बहुत कट रहे हैं। उनका संरक्षण होना चाहिये। उनका उद्देश्य जंगलों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से आय प्राप्त करना था। जंगलों के द्वारा धन संग्रह करना था। लेकिन अब जब कि हम आजाद हो गये हैं, हमारे जंगल की नीति में अवश्य ही परिवर्तन आना चाहिये। लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि वे जंगलों से ६ करोड़ की आय करने जा रहे हैं। इन जंगलों से आय करना उतना अर्थ नहीं रखता जितना कि प्रकृति ने जिस रूप में उसे दिया है उससे लोगों को लाभ पहुंचने देने में है।

वन मंत्री महोदय जंगल के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं वहां का निवासी हूं। मैं जानता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में वन विभाग में जितनी उदारता थी उतनी उदारता अब कहीं दिखाई नहीं देती है और आज जंगल के रहने वाले लोगों के कष्ट अधिक बढ़ गये हैं। अगर जंगलों से आपने कुछ रुपया इकट्ठा कर भी लिया है तो वह गरीबों का रक्त ही शोषण किया है। अंग्रेजों के कार्यकाल में कुमायूं डिवीजन के अन्दर एक आन्दोलन चला था। वह इतने बड़े रूप में चला कि अंग्रेजों को मजबूर हो कर एक कुमायूं फारेस्ट कमेटी के नाम से एक कमेटी का निर्माण करना पड़ा जो एक प्रकार से लोक सभा के रूप में काम करती थी और वहां के लोगों के जितने भी ग्रीवान्सेज होते थे उनको सुनती थी और जंगलों के नियमों में परिवर्तन करती थी।

यह ठीक है कि आपके जमाने में भी एक फैक्ट्स फाइंदिग कमेटी बैठायी गयी, जिसका आपने भी वर्णन किया है। उस तथ्य कमेटी पर आप का ७ हजार रुपया खर्च हुआ। दो वर्ष उसकी रिपोर्ट को आये हो गये, लेकिन अभी तक उसको आपने जनता के सामने नहीं रखा, हाउस के सामने नहीं रखा। इस कमेटी ने सारे उत्तराखंड और कुमायूं डिवीजन में जाकर लोगों की बातों को सुना, लेकिन आज हमें मालूम नहीं है कि उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है।

१८१९ में अंग्रेजों ने फारेस्ट का सेटिलमेंट कराया था। उसके बाद ऐसी जन भावना जाग्रत हुई कि लोगों ने वनों में आग लगाना प्रारम्भ कर दी। उसके बाद अंग्रेजों ने एक फारेस्ट कमेटी बनायी और उसकी सिफारिशों के अनुसार जंगलों को कितने ही रूप में बांटा गया, जैसे कि रिजर्व फारेस्ट, सिविल फारेस्ट आदि। ६२ में आपने यहां पर जंगल पंचायतें बनायी हैं जो अपनी आवश्यकताओं को जंगलों से पूरी करती हैं। लेकिन अंग्रेजों के जमाने से अब वहां के लोगों को अधिक तकलीफ बढ़ गयी है।

अगर हम इन जंगलों की जनता की बात सुनें तो वह आज यह स्पष्ट रूप से कहती है कि अंग्रेजों के जमाने से आज उनका शोषण अधिक हो रहा है। आज लोगों को आपकी फारेस्ट की नीति से बहुत कष्ट हो रहा है। जिनको आप रिजर्व फारेस्ट नम्बर १ कहते हैं वह कुमायूं उत्तराखण्ड में १७,०७७ वर्ग मील हैं और नंबर २ रिजर्व फारेस्ट १२,०९३ वर्ग मील हैं। और सिविल जंगल १२८ वर्गमील के अन्दर हैं जो जिलाधीश के अधीन है और ५६० वर्गमील कम्युनल फारेस्ट के अन्दर हैं और उसके अन्दर जो दिक्कतें हैं उनके बारे में मैं आप से बाद में कहूंगा। मैं अपने जिले की ही एक घटना बतलाता हूं कि माखाल जंगल पहले सिविल फारेस्ट जंगल था, उस पर फारेस्ट डिपार्टमेन्ट ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। वह तो गांव के नजदीक था और प्लांटेशन उन्होंने पहले ही कर लिया था। लेकिन चमोली जिले के पट्टी खडेड़ के अन्दर जो फारेस्ट गार्ड्स आदि रहते हैं उन्होंने वहां अनार्की कर रखी है और एक तरह से वहां डुएल सिस्टम की हुकूमत चल रही है। वहां के लोगों के आवेदन-पत्र आप के पास भी आये होंगे, लेकिन उसकी कोई आवाज सुनायी नहीं देती।

उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं वन मन्त्री जी का ध्यान वहां के लोगों की गरीबी की तरफ भी दिलाऊंगा। मैं एक प्वायंट पर फिर आप से कहूंगा कि मनुष्य जंगल के लिये पैदा नहीं हुआ है, बल्कि जंगल मनुष्य के लिये हैं। जब आप के हृदय में यह भाव पैदा होगा कि जंगल मनुष्य के लिये है जिससे उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो तो वहां के लोगों को सन्तोष हो सकता है। अभी आप ने कहा कि वहां के जो पेड़ लोगों को दिये जायेंगे उनका रेट आप ने २ आने क्युबिक फीट से बढ़ा कर ४० नये पैसे क्यूबिक फीट कर दिया है। आप जानते हैं कि वहां के लोग कितने गरीब हैं। पहले जमाने में गांव के लोगों को जंगल से लकड़ी लेने का हक मिला हुआ था। मैं मानता हूं कि पहले आबादी थोड़ी थी और अब आबादी

[श्री गंगाधर]

पहले से काफी बढ़ गयी है, दसगुनी बढ़ गयी है, फिर भी उनके हकूक की लिस्ट बढ़ी नहीं है। हो सकता है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में यह बात आयी हो, लेकिन सदन के सामने वह रिपोर्ट आ जाती तो आपको भी मालूम हो जाता कि आज वहां के लोगों की जनभावना किधर को जा रही है। इन आंकड़ों के जाल में तो मैं नहीं पड़ना चाहता कि किस मांच पर आपने कितना खर्च किया, लेकिन मैं तो आगे की बात कहता हूं कि आज लोगों के अन्दर यह भावना हो गयी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जितने विभाग हैं उनमें जंगल विभाग से बढ़ कर हृदयहीन विभाग और कोई नहीं है।

अभी थोड़े दिनों की बात है, चमोली जिले के बदरा क्षेत्र की बात मैं बतलाता हूं कि करीब तीन पहाड़ी रेंजों के नजदीक की बात है। वहां की आबादी कोई आज की नहीं थी, अंग्रेजों के जमाने की ही आबादी थी, लेकिन वहां की औरतों को व घर के लोगों को किस बेरहमी से निकाला गया, उन्हें हथकड़ियां डाली गयीं कि अब सिविल जंगल के लिये मैं क्या कहूं। आप चाहे जितना भी वृक्षारोपण करना हो करा लें, लेकिन पहाड़ों पर ८ हजार फीट की ऊंचाई पर बंजर पड़ा हुआ है जहां कोई पेड़ नहीं है। अगर ऐसे स्थानों पर प्लान्टेशन किया जाता तो मैं समझता हूं कि आज जंगल की सीमा कितना आगे बढ़ जाती। लेकिन आज प्लान्टेशन तो उन स्थानों पर हो रहा है जहां लोग आबाद हैं। जहां चीड़ के पेड़ लगाये जाते हैं वहां धान पैदा नहीं होता, वहां गेहूं पैदा नहीं होता।

जहां तक बाउंडरी की बात है, आपने आबादी के ५० फीट बाद तक जंगल की बाउंडरी निश्चित कर दी है यानी एक तरह से आपने अपना जुरिस्डिक्शन ५० फीट आगे बढ़ा दिया है। अगर इस तरह के हृदयहीन काम जंगलात विभाग करता रहा तो न मालूम कितने जंगल खालिश हो जायेंगे।

आप कहते हैं कि आप बहुत से उद्योग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन उद्योगों में आप ने खासतौर से काष्ठ, ईंधन, लकड़ी, इमारती लकड़ी, फर्नीचर, कागज, खिलौने और लीस वगैरह को सम्मिलित किया है। यू० पी० के ४८ प्रतिशत वन हमारे पहाड़ों में हैं। और मैदानी जिलों में तो ५ प्रतिशत से भी कम हैं। तो इन पहाड़ के लोगों को जहां पर इतनी अधिक वन भूमि है आप क्या वन का लाभ दे रहे हैं? आपने पेपर फैक्टरी खोली वह मैदानी इलाके में और सहारनपुर में आपने उस को सस्ती लकड़ी दी। कम रेट पर आपने उनको लकड़ी दी, लेकिन आपने कभी यह गौर नहीं किया कि वास्तव में उस लकड़ी का होना क्या है। आपने कहा था कि हम उनको केवल ट्विस्टेड चीड़ ही देंगे, लेकिन वास्तव में उनके लिये सुन्दर सीधे पेड़ काटे जा रहे हैं और वहां भेजे जा रहे हैं, वहां स्लीपर उन से तैयार कर के बम्बई और कलकत्ते भेजे जा रहे हैं। उसमें किस का हाथ है? अभी तक कुमायूं और उत्तराखंड के लोगों का वहां की घास और सूखी लकड़ी पर अधिकार था। बन्द करने का नोटिफिकेशन होता था, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता था। अब जब आप ने पेपर मिल वालों को लकड़ी दे दी और जंगल दे दिया तो होता यह है कि वह सारी लकड़ी और लकड़ी के छिलके तक बाहर ले जाकर बेंच डालते हैं और उसका व्यापार करते हैं और वहां के लोगों को अब लकड़ी बिलकुल नहीं मिलती। अगर आप कहते हों कि मैं गलत कह रहा हूं तो मैं आप को इसका सबूत भी दे सकता हूं कि किस गाड़ी से और किस चालान से लकड़ी कलकत्ते को भेजी गई और कागज बनाने के बजाय लकड़ी का व्यापार किया गया। एक जिले से दूसरे जिले की सीमा के अन्दर जब एक गांव से दूसरे गांव को कोई सामान गरीब लोग ले जाते हैं तो उन से चुंगी पड़ जाती है और उस सूखी घास और ईंधन के लिये भी उन को चुंगी देनी पड़ती है ऐसा प्रबन्ध किया है।

वनों के एक्सपैनशन का सब से अधिक उद्योग किया जा रहा है और कोशिश है कि वन अधिक लगें और हमारा एक तिहाई क्षेत्रफल वनों का हो जाय। मैं भी इस को मानता हूं, लेकिन अगर वन लगें तो वे मनुष्य के लिये लगें न कि यह कि मनुष्य वन के लिये बनें आदमियों के

लिये यह आप के वन होने चाहिये। आय के लिये आप ने कहा कि हमने इतने प्रतिशत आय बढ़ा दी, लेकिन जिस क्षेत्र में यह वन अधिक हैं वहां के लोगों के लिये आप ने क्या किया ? वहां के लोगों को जो घास और सूखी लकड़ी नहीं मिलती उस विषय में आप उनके साथ क्या जस्टिस कर रहे हैं ? मैं सुझाव दूंगा कि जब वनों से इतना रा-मैटीरियल निकलता है और ट्रान्सपोर्ट की भी दिक्कत है, तो क्यों नहीं सरकार वहीं पर छोटी-छोटी उद्योग नहीं लगा देती है ? इस से वहां से बाहर वन कर सामान जा सकता है। कहा जाता है कि वहां पर ३ लीसे की फैक्टरीज हैं और कोआपरेटिव की फैक्टरी कोटद्वार और ऋषिकेश में है और एक फैक्टरी रानीखेत में है। कहा जाता है कि लीसा नहीं मिलता, लेकिन न मालूम कितना वह बाहर भेज देते हैं और उसमें कितना रुपया बनाया जाता है उसका अन्दाज मंत्री जी को नहीं है। पहाड़ों के लोग बहुत गरीब हैं, मैं सन् १९५२ से यहां ५ साल तक अपोजीशन में रहा। यह ठीक है पहाड़ों से कोई भी अपोजीशन में नहीं आया, लेकिन उसका भी कारण वहां की गरीबी है। जिस तरह से जनता को वहां की बरगलाया जाता था वह हम सब जानते हैं।

आज कहा जाता है कि उत्तराखंड के लिये इतना रुपया खर्च किया जायगा, सड़कें बनायी जायंगी। मैं पूछना चाहता हूं उसका कितना प्रतिशत वहां खर्च होता है ? अगर ६ करोड़ रुपया भी रखा तो प्रति व्यक्ति ४०० रुपये आता है। लेकिन उसमें भी यह होता है कि सब रुपया बाहर चला जाता है, वहां के लोगों को उससे कोई राहत नहीं मिलती।

मैं मांग करता हूं कि आज गांव की सरहद जंगल की सीमा से दूर हटायी जानी चाहिये। अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश की सुरक्षा हो, लोगों को सुख हो तो गांव की सरहदों से जंगल की सरहदें दूर हटायी जायं। इसके अलावा गांव के लोगों के हक हकूक बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से १० गुने बढ़ने चाहिये। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वह सदन के सामने पेश होनी चाहिये। १९११ के सेटिलमेंट के बाद जो आन्दोलन हुआ था हम सब जानते हैं जंगलों में आग लगा दी गई, बगावत हुई। वैसी ही स्थिति आज भी हो सकती है यदि वहां के लोगों को उन के हक़-हकूक़ से वंचित किया गया। पहाड़ के लोग बड़े ईमानदार होते हैं, सच्चे हैं, लेकिन जब देखते हैं कि ज्यादती हो रही है तो वे लोग सर उठायेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा।

आपने बहुत से उद्योग चलाये, जैसे खिलौना उद्योग है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वहां के लोगों के लिये आप ने कौन-सा उद्योग जंगल से तैयार किया है ? लीसा जंगलों से आता है टिनों में, कितना तो आने में वेस्ट होता है, टिन टूट जाते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट में काफ़ी खर्च होता है। ऐसा क्यों न किया जाय कि वहीं लीसा की फैक्ट्री वन विभाग पहाड़ों में लगाये जो उस को रिफ़ाइन कर के बाहर माल को भेजे ? इससे अधिक क़ीमत आयेगी और वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चाहे कोआपरेटिव ढंग पर फैक्ट्री लगे या अगर वहां के लोग निर्धन हैं, उतना पैसा नहीं दे सकते, तो वन विभाग की तरफ से लगे जिससे वहां के लोगों को राहत मिले।

आप ने पेपर मिल की बात कही। वह पहाड़ी इलाके में खोली जा सकती थी। यदि ज्यादा दूर जंगल में सम्भव न हो तो कोटद्वार, या ऋषिकेश में खुल सकती है जिससे वहां के लोगों को एमप्लायमेंट मिल सकता है। छोटे-छोटे, उद्योग, जैसे खिलौने बनाने का उद्योग अखरोट की लकड़ी की दस्तकारी, रेशम के कीड़े पालने का काम जो पहाड़ों पर अच्छी तरह हो सकता है, क्यों नहीं चालू किये जाते हैं ?

इसके अलावा जो प्लान्टेशन हो रहा है वह आबादी से हटा कर किया जाय। इतनी अधिक भूमि है कि ३३ फीसदी से भी अधिक में जंगल लग सकते हैं। क्यों नहीं ८,००० फीट से ऊपर प्लान्टेशन किया जाय ? बहुत से लोगों ने विदेशों में देखा होगा, मैंने तो देखा नहीं, क्योंकि जाने का मौका नहीं मिला ८,००० फीट से अधिक ऊंचाई पर प्लान्टेशन कामयाब रहा है। अपने देश में ही कश्मीर और तिब्बत में पेड़ पैदा होते हैं। तो हमारे यहां भी क्यों नहीं ऐसे

[श्री गंगाधर]

पेड़ लगाये जाते ? उसका कारण यही है कि विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी जीप और कार के अलावा कहीं घूम नहीं सकते और वहां जायंगे जहां सड़कें होंगी।

सड़कों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि बेदनी–बुगयाल मोटर रोड पर काम नहीं किया गया तथा और बहुत-सी छोटी-मोटी सड़कें हैं जो बनायी नहीं गई। जहां तक ठेकेदारों का सवाल है, ऐसी साठ-गांठ लोगों में रहती है जिसका वर्णन करना मुश्किल है। प्रदेश के जितने भी विभाग हैं सब में स्वराज्य प्राप्ति के बाद थोड़ी बहुत मनुष्यता आयी होगी। लेकिन जंगल विभाग में मनुष्यता के बजाय जानवरों जैसा व्यवहार आ गया है। हमारे मंत्री महोदय जंगल विभाग की समस्याओं को समझ कर वहां के लोगों को राहत देंगे। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अब किसी कटौती के प्रस्ताव को पेश करने की जरूरत नहीं है। वे उपस्थित किये हुए मान लिये जायंगे और जो बहस होगी वह सभी कटौती के प्रस्तावों पर होगी।

[अनुदान संख्या ४५—वन

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री यावचेन्द्रदत्त	मद—वन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
२	श्री खुशीराम	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—वन की खेती योग्य भूमि को भूमिहीन किसानों में बांटा जाय।
३	श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—पहाड़ों की बेश–कीमती जड़ी-बूटियों पर किसी एक संस्था को एकाधिकार देना अनुचित है। हर पर्वतीय जिले को अपने जिले के अन्दर ऐसी जड़ी-बूटियों के विदोहन की पूरी आजादी मिलनी चाहिये।
४	श्री छेदालाल चौधरी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—जमींदारी उन्मूलन कानून के पूर्व वनों से किसानों को मिलने वाली सुविधाओं, जंगली जीव-जन्तु संरक्षण कानून तथा वनों के लिये किसानों की ली जाने वाली भूमि आदि के सम्बन्ध में सुझाव तथा सलाह विभाग को देना।

[ ] कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये माने गये।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
५	श्री मुकुन्दीलाल	मद––सामान्य निदेशन के अधीन मांग को राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––कुमायूं फारेस्ट कमेटी और वन संगठन की उन्नति पर विवाद करना तथा सुझाव देना।
६	श्री रामभजन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––वन विभाग द्वारा पास-पड़ोस के कृषकों को तंग करना तथा उनकी सालहा साल से जोती हुई भूमि को छीनना इत्यादि के बारे में सुझाव देना तथा कृषकों की दिन प्रतिदिन आने वाली मुसीबतों को दूर करना।
७	श्री कृष्णचन्द्र	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––सम्पूर्ण नीति पर विवाद करना तथा सुझाव देना।
८	श्री कृष्णसिंह	मद (ख)––संरक्षण और निर्माण कार्य––के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
९	श्री उग्रसेन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य––जमींदारी उन्मूलन के बाद जंगलों की अवैधानिक मदें रद्द करने की मांग करना।
१०	श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री भानुप्रतापसिंह, श्री काशीनाथ बहादुर, श्री प्रेमसिंह, श्री विजयसिंह, श्री बलवीरसिंह, श्री नवरंगसिंह, तथा श्री चिरंजीलाल।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य––सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
११	श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य––डिमार्केशन प्रक्रियाओं को लेकर टिहरी-गढ़वाल के किसानों में बड़ा असन्तोष है, उस असन्तोष को दूर करने के लिये अभी तक कुछ नहीं किया गया।

अनुदान संख्या ५३—वनों पर पूंजीगत लागत

क्रम-संख्या	प्रस्ताव का नाम	प्रस्तावक का रूप
१	श्री यादवेन्द्रदत्त	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
२	श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री भानुप्रतापसिंह, श्री काशीनाथ बहादुर, श्री प्रेमसिंह, श्री मूलूसिंह, श्री बलवीरसिंह, श्री नवरंगसिंह, तथा श्री चिरंजीलाल।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।]

श्री गंगासिंह (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, जंगलात विभाग पर जो अनुदान रखा गया है उसके समर्थन के लिये और कटौती के प्रस्ताव के विरोध में अपना मत व्यक्त करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री महोदय ने अपनी इन पुस्तिकाओं में बड़ी अच्छी व लच्छेदार भाषा में वनों की उपयोगिता को सिद्ध किया है। साथ ही इसमें बड़े-बड़े सुन्दर चित्र भी दिये हुये हैं। जहां तक इन पुस्तिकाओं का सम्बन्ध है इनमें जो बात सुझाई गई है उसके अनुसार होने पर मैं सोचता हूं कि इस प्रदेश का काफी विकास हुआ होगा। लेकिन देखने में यह आता है कि जहां पर सन् १९३७ में ४४ लाख रुपये की आय थी वहां पर अब सवा ७ करोड़ रुपये की आय है। इस आय के लिये वह बधाई के पात्र जरूर हैं, लेकिन यदि सोचा जाय कि यह आय हुई किस चीज से, तो यह आय हुई है वनों को नष्ट करके।

मैं वन मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जहां इतने जंगल कट गये हैं वहां उसी रफ्तार से जंगल लग नहीं रहे हैं। आज सारे प्रदेश में रोना है कि बाढ़ आ गयी, तबाही आ गई, बर्बादी हो गयी। वास्तव में यह बड़ा दुखद विषय है। अंग्रेजी काल में लड़ाई के समय जब इन वनों को नष्ट किया गया तो आजादी प्राप्त होने से पहले इन वनों से २ करोड़ रुपये की आय होती थी और आज यह आय सवा ७ करोड़ हो गयी है। तो इस वन सम्पदा से क्षति पहुंचे बिना लाभ नहीं उठाया गया है। पहले वन सम्पदा को नष्ट किया गया है जिससे इस प्रदेश में तबाही आई है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि जिस निर्दयता के साथ वनों का इस समय हनन हो रहा है उसको देख कर वास्तव में हमारे प्रदेश में बाढ़ों का आना कदापि नहीं रुक सकता।

वन विभाग पर जिस अनुपात से आय व खर्च हुआ है उसे आप देखें। सन् ११३६-३७ में ४४ लाख आय थी जिसमें से २९ लाख खर्च हुआ लेकिन, आज सवा ७ करोड़ रुपये वनों से आय होती है और तीन करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहा है। इस तरह से आय-व्यय बराबर चला आता है और वनों की वृद्धि कम होती चली जाती है। मैं सोचता हूं कि जब वनों की वृद्धि आधी हो गयी है और वनों का खर्च तथा व्यय दोनों बराबर बराबर हैं तो वनों को कई गुना ज्यादा बढ़ जाना चाहिये था। ५ प्रतिशत वन प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में हैं और ४८ प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र में हैं लेकिन पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को। जैसा कि गंगाधर मैठाणी जी ने कहा। उन उद्योग धन्धों के द्वारा लाभ नहीं पहुंच पा रहा है जो पहुंचना चाहिये था। मैं नम्र निवेदन करना

चाहता हूं कि इस विज्ञान के युग में छोटे से छोटे प्लान्ट लगा कर लीसे के द्वारा बहुत-सी चीजें बनाई जा सकती हैं। उस पर्वतीय क्षेत्र में कुछ लोगों ने प्रयत्न किया, लीसे से साबुन भी बनाया और भी चीजें बनाई गयीं। कोआपरेटिव सोसाइटीज को कम लीसा दिया जाता है और व्यक्तिगत रूप से लीसा ज्यादा दिया जाता है ऐसा एक विरोधी दल के सदस्य ने भी कहा है। मैं तो वन मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे ऐसे छोटे-छोटे प्लान्ट्स पर्वतीय क्षेत्र में लगवाने की कृपा करेंगे जिससे वहां के लोगों को आजीविका प्राप्त हो सके। स्वर्गीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त ने कहा था कि पर्वतीय क्षेत्र की आर्थिक समस्या मुख्य रूप से वनों पर निर्भर है। इसलिये मैं वन मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अंग्रेजी काल में इन वनों के कई हिस्सों में बड़े-बड़े फलोद्यान थे जिन्हें उस समय के अंग्रेज लोग लगाया करते थे। अब वे हिन्दुस्तानी लोगों के पास हैं। क्या मैं वन मंत्री महोदय से यह आशा करूं कि वे भी वहां अच्छे-अच्छे फलोद्यान लगायेंगे जिससे लाखों रुपये की आमदनी इस प्रदेश को हो सकती है।

मैं एक बात और प्रस्तुत करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं। इन वनों को बनाने में ५० से १०० वर्ष तक लगे हैं और आज इतनी निर्दयता के साथ ये काटे जा रहे हैं कि उसमें कोई देर नहीं लग रही है। इसके अलावा वहां की ग्रामीण जनता को टुइस्टेड लकड़ी इस्तेमाल करने का पूरा हक था। उसके लिये सरकार की ओर से आदेश है कि ग्रामीणों को विभाग द्वारा यह इत्तला दे दी जाय कि वे टुइस्टेड लकड़ी को काट लें और अगर वे न काटें तो उसे गिरा दिया जाय। मैं यही निवेदन करूंगा कि वन मंत्री महोदय कुछ अपने विभाग की निगरानी भी करें। आज नैनीताल के आसपास हल्द्वानी डिवीजन है, रामनगर डिवीजन है, तराई भावर का डिवीजन है, लेकिन सभी डी० एफ० ओज० नैनीताल में पड़े रहते हैं। और अब उन्हें जीपें मिल गयी हैं, तो बस जीप में तफरीह करते हैं जबकि पहले हाथियों पर दौरा करते थे और लोगों के सुख सुविधा का खयाल करते थे। वास्तव में इस समय वन विभाग की ओर से पर्वतीय क्षेत्र में बड़ा असन्तोष है। हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। लोगों को विश्वास दिलाया कि अंग्रेजों ने जो तुम्हारे घरों के नजदीक ये तार, कांटे लगा दिये हैं और इन वनों के सुख सुविधा का उपभोग करने नहीं देते हैं यह तुम्हें स्वराज्य प्राप्त होने पर मिलने लगेगा। लेकिन हम देखते हैं कि तबसे हमारी असुविधायें और भी बढ़ती जा रही हैं। वनों में जो मोटर सड़कें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बन जानी चाहिये थीं वे आजतक नहीं बनी हैं। यह मैं मानने को तैयार हूं कि हमारे वर्तमान चीफ कंजर्वेटर साहब प्रयत्नशील हैं, उनका कुछ ध्यान इस ओर गया है, लेकिन इसके पूर्व के जो तीन, चार वर्ष बीते हैं उनमें पर्वतीय क्षेत्र में महान् तबाही हुई है।

इतना कह कर मैं वन मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे आय के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ा कर न दिखायें, बल्कि यह दिखायें कि जब अंग्रेज यहां से गये तब कितने वन थे और आज कितने बढ़े या घटे। आज तो कहा जाता है कि १४ फीसदी वन है, लेकिन पहले कितना था यह नहीं बताया जाता। आज ७ करोड़ २२ लाख की आय दिखायी जाती है। तो यह कहां से हुई? वह वहां वनों की नष्ट करके हुई जिसके कारण प्रदेश में बाढ़ आने लगीं और लोग परेशान हैं। इसलिये वनों को बढ़ाने के लिये अगर मंत्री महोदय और ज्यादा अनुदान मांगते तो अच्छा होता और सरकार को भी इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये कि अधिक से अधिक वन बढ़ें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गंगाधर जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कुछ निवेदन करने से पूर्व मैं यह बता दूं कि मुझे माननीय मंत्रीजी के विभाग की दो रपटें मिलीं, एक तो वन शताब्दी के उपलक्ष्य में जिसके ऊपर का पन्ना तो बहुत ही बढ़िया है और दूसरी रपट सालाना है। इन दोनों रपटों के पढ़ने के बाद कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है कि इनमें माननीय शास्त्री जी की भावनायें अधिक निहित हैं बनिस्बत वन के तत्वों के। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि वन मंत्री जी जिन विचारों को सदन के समक्ष रखते हैं वही विचार इस पुस्तिका में भी निहित हैं और यह भी सत्य है कि इस देश को जितने से संदेश ऋषि और मुनियों के युग से दिये गये वे सब जंगलों के ही थे

[श्री उग्रसेन]

और उन संदेशों पर आज हमारी सरकार चल रही है या नहीं, यह प्रश्न विचारणीय है और खास कर वन मंत्री जी का विभाग इस पर तदनुरूप आचरण कर रहा है या नहीं, यह भी विचारणीय विषय है ।

श्रीमन्, मैं एक प्रश्न बहुत ही छोटा और साथ ही बहुत बड़ा रख रहा हूं । वनों में बड़ी तरक्की हुई और आमदनी भी इससे खूब हुई, कमाई और दुगुनी तिगुनी कर ली । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो पर्वतीय लोग आज वनों की गोद में पल रहे हैं क्या उनके बच्चों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध हो सका है ? वन विभाग कितने स्कूल चलाता है और कितने प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के प्रसार हेतु खोले गये हैं और वहां के रहने वालों के लिये साक्षरता की क्या स्कीम चलाई जाती है ? इस बात की चर्चा पुस्तिका में कहीं नहीं दिखाई देती । इससे मालूम होता है कि महा-अरण्यपाल, अरण्यपाल आदि सब जानते हैं कि कहां तक जनतंत्रीय भावनाओं और परम्पराओं में और खास करके वन मंत्री जी की भावनाओं में वे उनको शिक्षित करना चाहते हैं, यह हम समझ सकते हैं ।

श्रीमन्, वन विभाग की ओर से जब पहले वन मंत्री जी माननीय सैयद अली जहीर थे तभी से बराबर मांग की जा रही है और वन के संबंध में अंग्रेजी सरकार के जमाने से लेकर आज तक दो महत्वपूर्ण कमेटियां कायम की गईं । एक फारेस्ट ग्रीवीलाईजेशन कमेटी और दूसरी फारेस्ट फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी, इन दोनों में कमेटियों ने जो सिफारिशें की हैं उनको फौरन लागू करना चाहिए । इस पर बड़ी बहस हुई और माननीय सदस्य जो बाहर से आते थे उन्होंने बड़ी दलीलें दीं और एक छोटी-सी मांग के लिये प्रार्थना की । आज उसी मांग को मैं दुहराता हूं कि वन के लोग जो मुफ्त लकड़ी ले जाया करते थे कम से कम उनका यह अधिकार न छीना जाय और वे जो लकड़ी काटकर बाजार में बेचने के लिये जंगल से ले जाते हैं उनसे चुंगी न ली जाय । लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । यह सुविधा इनको अंग्रेजी जमाने से प्राप्त थी और कमेटियों ने भी सिफारिश की थी कि इनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिये, लेकिन ये सुविधायें रोक दी गई ।

माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कि वे लेबर कोआपरेटिव कायम कर रहे हैं जो वनों के ठेके लेंगी और आमदनी कमायंगी । यह ठीक है परन्तु पहले जो गिरमिटिया मजदूर ठेकेदारों के द्वारा बाहर भेज जाते थे, वनों के मजदूरों की भी वही दशा है । चाहे वे बड़े ठेकेदार के नीचे हों चाहे छोटे ठेकेदार के नीचे हों । उनकी आज कोई जिन्दगी नहीं है । उन्होंने सरकार की जनप्रिय भावना को नहीं देखा, उन्होंने सरकार की जनप्रिय भावना को महसूस नहीं किया और अगर सरकार ने कोई उनको रोशनी दी है तो वह भी उनको नहीं मिली ।

मैं दूसरा प्रश्न रखना चाहता हूं । सरकार टांग्या किसानों की बात किया करती है । सरकार उन्हें प्रोत्साहन देती है कि तुम जहां से हम जंगल काट लेते हैं उन स्थानों में खेती करो । मगर उन्हें बीज देने की कोई सुविधा नहीं है, उन्हें अपना मकान उस स्थान पर बनाने के लिये पर्याप्त मात्रा में लकड़ी नहीं दी जाती, पर्याप्त मात्रा में घास-फूस नहीं दी जाती, जिससे कि वह झोपड़ी बनाकर वहां रह सकें और जो पैदावार या प्लान्टेशन वह वहां करते हैं उसकी रक्षा कर सकें । उनकी बड़ी दुर्दशा है । जो विभागीय अधिकारी डिप्टी रेंजर वगैरह वहां रहते हैं वह अपने नाम से फर्जी खेत बना लेते हैं, उसमें खेती करते हैं और फर्जी नाम से उसका इन्दराज करते हैं । इस तरह वन विभाग की ओर से लाखों हजारों किसानों की जिन्दगी बड़ी दूभर हो रही है । यह बड़े भारी प्रश्न हैं जिनको वन विभाग को देखना चाहिये । इनको व्यक्तिगत दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है । जब सरकर ने इसके लिये कमेटियां बना रखी हैं तो कम से कम उनकी रपट शायद होती, इस सदन में पेश होती, माननीय सदस्यगण उस पर अपने विचार रखते और सरकार अगर उनको उचित समझती तो मान लेती जिससे कि कुछ सहायता को हो जाती ।

माननीय मंत्री जी ने लिखा है कि यह वन जो हैं यह राम कृष्ण के वन हैं और इनके प्रति हम सभी लोगों को श्रद्धांजली अर्पित करनी चाहिये । राम के वन जरूर हैं, मगर उसके सिलसिले में रामायण की ही एक बात मैं रखना चाहता हूं । शबरी के जूठे बेर भगवान राम ने खाये थे । मैं क्या पूछ सकता हूं कि मुख्य अरण्पाल जो वहां रहते हैं वह भी क्या कभी उन वनों में रहने वालों का आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उनसे कभी पूछते हैं कि तुम्हारी हालत कैसी है ? भगवान रामचन्द्र मर्यादा पुरूषोत्तम थे, बहुत ऊंचा आदर्श उन्होंने रखा । आप कहते हैं कि हम इन वनों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें, तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये हम तैयार हैं । मगर वह मूक वृक्ष जो केवल इशारा मात्र कर सकते हैं पत्ते हिलाकर, जो पपीहे की तरह पी पी नहीं कर सकते हैं, सीपी की तरह केवल मुंह खोलकर खड़े रह सकते हैं, तो उनकी मूक भावनाओं की हमें कद्र करनी चाहिये । लेकिन उनकी कितनी कद्र विभाग के कर्मचारी करते हैं ?

इस रपट में उस भाषा का प्रयोग अवश्य किया गया है जो कि महाकवि कालिदास के मेघदूत और अभिज्ञान शाकुन्तल की भाषा है । भावनात्मक उड़ान तो अवश्य भरी गई है, लेकिन सही माने में उन भावनाओं के प्रति कोई इन्सानियत बरती गई है, इसमें मुझे शक है । इन्सानियत को अगर कायम रखना है तो उसे इन्सान से हटाया नहीं जा सकता । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि, हे मुख्य अरण्पाल जी, आज अगर आपका बुलडाग जंगल में रहकर हलुवा पूड़ी खा सकता है और रजाई ओढ़कर सो सकता है तो जो उन वनों में रहने वाले लोग हैं उनकी रातें किस प्रकार कटती हैं, यह भी कभी आप ने सोचा है ? यह चीज तभी हो सकती है जब आप उनके अन्दर जायं, उनमें घुले मिलें और उनके साथ रहें ।

एक बात और बताऊं । श्रीमन्, दो मिनट और दे दीजियेगा । माननीय मंत्री जी ने बड़ी-बड़ी समस्याओं का जिक्र किया है कि बाढ़ और भूक्षरण को रोकना चाहते हैं । मगर आंकड़े नहीं दिये गये कि कहां-कहां वन लगाये गये और वृक्षारोपण में कितनी प्रगति आपने की ? कितना उससे बाढ़ को आपने रोका । हां, माननीय मंत्री जी ने अपने जिले में जरूर उसका प्रयोग किया है । मगर मैं चाहूंगा कि घाघरा की पेटी में जो व्यापक पैमाने पर भूमि का कटाव हो रहा है, वहां जंगल फैलायें, उससे लाभ हो सकता है । आज जो बाढ़ें आती हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है, फ्लड कमेटी की रपट में लिखा हुआ है कि, जंगल पहाड़ों पर बहुत बड़े पैमाने पर कट गये हैं, और उसकी पेटी में भी ये जंगल बहुत बड़े पैमाने पर कट रहे हैं, इस कारण इतनी बाढ़ें आती हैं । इसलिये ऐसे आंकड़े भी माननीय मंत्री जी को देने चाहिये कि किस पैमाने पर कितने जंगल कटे हैं और कितने लगाये जा रहे हैं ।

वृक्षारोपण का जहां तक सम्बन्ध है, मैं कहता हूं कि किसी विभाग की अगर सबसे ज्यादा उपेक्षा हुई है तो वह है वृक्षारोपण, वन महोत्सव । वन महोत्सव कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने निकाला था क्योंकि वह कन्हैया थे । इसलिये उनको वन महोत्सव से काफी प्रेम था । तो वन महोत्सव तो हो जाता है, आज बी० डी० ओ० लोग वृक्षारोपण करते हैं । मैंने अन्तरिम जिला परिषद् में बी० डी० ओ० से पूछा कि आपने जंगल तो इतने लगाये, लगाने की संख्या तो है मगर उनके सर्वाइवल की संख्या नहीं है कि कितने जिन्दा रहे । इसकी संख्या भी इस रिपोर्ट में होनी चाहिये कि कितने पेड़ लगाये गये और उनमें कितने जिन्दा रहे । लगाने का प्रतिशत कितना है और उसमें जिन्दा रहनेवालों का क्या प्रतिशतहै, यह भी एक सवाल है जिस पर वन विभाग को सोचना चाहिये और विचार करना चाहिये ।

एक बात और कह दूं कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की दशा आज अच्छी नहीं है । उनको जो तनख्वाह दी जाती है वह वन विभाग के कुत्तों के अलाउन्स से भी कम है । वहां पर उनकी दशा बहुत ही खराब है । मेरे विचार से उनको इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि उनका वहां पर जिन्दा रहना भी मुश्किल है । मेरा निवेदन है कि उन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अधिक वेतन और भत्ता दिया जाय । उनके कपड़े के लिये पैसा दिया जाय, दैनिक भत्ता उनको अधिक दिया जाय, जलाने के लिये लकड़ी दी जाय और कम से कम उनको १०० रुपया वेतन दिया जाय । इन शब्दों के साथ मैं माननीय गंगाधर जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री कृष्णसिंह (जिला उत्तरकाशी)---उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हमारे वन मंत्री ने वन का अनुदान स्वीकृति के लिये रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन् मैं उस जिले से आ रहा हूं जहां पर कम से कम ६० फीसदी एरिया जंगलों से घिरा हुआ है। वहां पर गांव बिलकुल जंगलों के बीच में हैं। वहां पर जितने भी ग्रामवासी हैं वह सब जंगल के ऊपर आश्रित हैं, क्योंकि वहीं से वे लोग घास और लकड़ी लेते हैं। अपने मवेशियों को भी वहीं पर वह चराने के लिये ले जाते हैं। उनके मकान जो बनते हैं वह भी लकड़ी के ही बनते हैं। वहां पर दूसरी तरह के मकान बनना भी नामुमकिन है,क्योंकि उस ठंडे स्थान में और उन बर्फीली जगहों पर सीमेन्ट के मकान बन ही नहीं सकते हैं और अगर बन जायं तो वह ठहर नहीं सकते हैं। इस कारण वहां पर लकड़ी के मकान बनते हैं। तो ऐसी जगहों पर, जहां पर गांव के लोग जंगलों पर आश्रित हों वहां पर सरकार को उनकी सुविधा का भी ध्यान रखना है। हमको यह भी सोचना है कि जंगलों का बचाव हो और जंगलों को कटने से बचाया जाय और जंगलों की उन्नति होनी चाहिये, लेकिन वहां के लोगों की सुविधा के विषय में भी हमको और सरकार को सोचना पड़ेगा।

श्रीमन्, एक सदस्य ने कहा है कि फारेस्ट डिपार्टमेंट से बहुत आमदनी होती है, लेकिन वहां पर शिक्षा के लिये सरकार ने कोई प्रबन्ध नहीं किया। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि वहां पर, जहां तक उत्तर काशी जिले का प्रश्न है वहां पर शिक्षा विभाग काफी काम कर रहा है। गांवों के नजदीक स्कूल खुल गये हैं। जूनियर हाई स्कूल खुल गये हैं और हायर सेकेन्डरी स्कूल भी खुल गये हैं। शासन की तरफ से पूरे तौर पर शिक्षा का प्रबन्ध हो रहा है। यह बात सही है कि फारेस्ट डिपार्टमेंट से शिक्षा का सम्बन्ध नहीं है, लेकिन जो आमदनी फारेस्ट डिपार्टमेंट से होती है वह यहां पर कामन फंड में आती है और उसी कामन फंड से शिक्षा का काम होता है। इसी कामन फंड से शिक्षा विभाग शिक्षा का प्रबन्ध करता है।

सोचना यह है कि जंगलों का जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को कैसे बचाया जाय। इस सम्बन्ध में मैं अपने कुछ सुझाव निवेदन के रूप में मंत्री महोदय के सन्मुख रखना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर बड़े सराहनीय काम हो रहे हैं। मैं यह भी मानता हूं कि वन विभाग बड़ी तेजी से काम कर रहा है और जो योजनाएं उन्होंने बनाई हैं वह भी बड़ी सराहनीय हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप वन की तरक्की करना चाहते हैं और उसे नष्ट होने से बचाना चाहते हैं, तो आपको जन सहयोग लेना चाहिये और वह तभी मिल सकता है कि जब आप जनता को सुविधा दें। इसके लिये मैं अपको सुझाव देना चाहता हूं, कि जो वहां का उत्पादन है, जैसे लकड़ी है, लीसा है, जड़ी-बूटियां हैं, इत्यादि, उन सब का ठेका आपको कोआपरेटिव सोसाइटियों को देना चाहिये। इससे क्षेत्रीय जनता को प्रोत्साहन मिलेगा। वन मंत्री जी ने कहा है कि उनको हम प्रोत्साहन देंगे, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिलता है। वे इस ओर अधिक ध्यान दें। यदि आप समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो यह इन सोसाइटियों द्वारा ही सम्भव हो सकेगा। उनके लिये यह कहना कि नीलाम में आ कर बोली बोलें यह ठीक नहीं है। बड़े-बड़े सर्मायादार और ठेकेदार उनको ठहरने नहीं देते। इसके लिये तो आपको जो उस उत्पादन की इस्टीमेटेड कास्ट है उस पर उनको ठेके देने चाहिये ताकि वे स्वयं भी फायदा उठा सकें और जंगलों की रक्षा भी हो सके। इस प्रकार भी जंगलों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है।

श्रीमन्, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनायी गयी थी। उसकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। यह ठीक है कि वह सदन की कमेटी नहीं थी, लेकिन सरकार ने जो कमेटी बनायी थी तो उस कमेटी की रिपोर्ट को भी जनता को जानने का हक है और मैं प्रार्थना करूंगा कि वह रिपोर्ट सदन के सामने आवे।

फ्री ग्रान्ट, जो वहां पहाड़ के निवासियों को मिल रही है वह, पुरानी जनगणना पर है। अब आबादी तिगुनी और चौगुनी हो गयी है। मेरा सुझाव है कि वह फ्री ग्रान्ट भी अब बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से मिलनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त आपका जो प्लान्टेशन और नर्सरीज का काम होता है वह आबादी के बिलकुल नजदीक होता है और इससे वहां गांवों की जनता में असंतोष फैल रहा है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि यह स्कीम कहीं भी चालू करने के पहले फारेस्ट डिपार्टमेंट के बड़े अफसर, डी० एफ० ओ० जैसे अफसर, वहां जायं और गांव के लोगों को समझायें कि वन विभाग जो प्लान्टेशन करने जा रहा है इससे उनका क्या कुछ नुकसान हो सकता है ; थोड़े चरागाह बन्द हो जायं या और भी थोड़ा बहुत नुकसान हो जाय लेकिन भविष्य में यह बहुत फायदेमन्द साबित होगा। उनको समझा कर उस के लिये उनकी राय और स्वीकृति ली जाय और तब उस काम को किया जावे।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी ने जो अभी कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे माननीय शास्त्री जी, जो वनाधीश हैं, जंगल के बादशाह हैं, ने वन की व्याख्या और उसकी महिमा का गान जिस सुन्दरता से किया, वह तो मैं उन शब्दों में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस विभाग को जरूर बधाई दूंगा, इसलिये कि यह विभाग ही ऐसा विभाग है जिस पर खर्चा कम होता है और आमदनी बहुत ज्यादा होती है। साथ ही दुख इस बात का है कि जितना अन्य विभागों से लाभ जनता को पहुंचता है उतना लाभ वन विभाग से नहीं होता। मैं जो पड़ोस के रहने वाले लोग हैं वे जो कष्ट उठाते हैं, उसके बारे में दो चार शब्द कहना चाहूंगा। जहां-जहां, जमींदारी एबालिशन के बाद, सरकार ने निजी जंगल घोषित कर दिये हैं, वहां-वहां जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है। जंगल में लोगों का आना जाना बन्द हो गया है। जो लोग जंगल से लकड़ी लाकर और वहां से पत्ते लाकर उनकी पत्तलें बनाकर अपनी जीविका चलाया करते थे वे आज उससे वंचित हो गये हैं।

श्रीमन्, जमींदारी एबालिशन के बाद जिन खेतों को काश्तकार बराबर जोतते चले आ रहे थे, जो अच्छे खासे खेत थे, उनको सरकार ने जंगल घोषित कर दिया। कोई आपत्ति नहीं है अगर सरकार उनको जंगल घोषित कर दे, मगर एक तरफ तो जंगल विभाग उनको जंगल घोषित करता है, दूसरी तरफ रेवेन्यू विभाग उनसे रेवेन्यू वसूल करता है। जंगल विभाग उन पर डंडे चलाता है, और अगर वे उसमें कुछ किसी तरह से बो लेते हैं तो उसकी उसी प्रकार से बटाई होती है जिस प्रकार से जमींदार बटा लिया करता था। यहां माननीय वन मंत्री भी हैं, राजस्व मंत्री भी हैं, वे आपस में इसको तय करें और कुछ विचार करें जिससे कि किसान को कुछ राहत मिले।

श्रीमन्, एक बात और देखने की है। यूं तो कहा जाता है कि वह फारेस्ट सेटिलमेंट आफिसर को अपनी दरख्वास्त दे और उसकी अपील जिलाधीश महोदय के यहां होती है और जिलाधीश के फैसले की अपील सरकार को होती है। अब आप सोचिये कि एक अदालत के फैसले की अपील सरकार के यहां होती है। सरकार कब से अदालत बन गयी? सरकार ही खुद एक पार्टी है और उसकी अपील भी उसी के पास हो, यह कहां तक न्याय संगत है? सदन को इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये।

श्रीमन्, थोड़े दिन हुए इसी सदन में एक फारेस्ट अमेंडमेंट ऐक्ट पास हुआ था। उसकी धारा ३८ (बी) जो है जिसके आधार पर सरकार ने यह अधिकार ले लिया है कि वह जिसको चाहे जंगल घोषित करार दे सकती है। जहां पर एक पत्ती हो, जरा-सी घास हो, उसको भी यह जंगल घोषित कर सकते हैं। मुझे तो श्रीमन्, भय है, उन आदेशों के रहते हुये, कि कहीं वन मंत्री महोदय, जिस तेजी से चल रहे हैं, अगर उसी तेजी से चलते रहे तो, यहां पर भी जंगल घोषित न कर दें और यहां जिस आसन पर श्रीमन् विराजमान हैं उसे छोड़ना पड़े। इससे कितना भय जनता में है उसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। जो नोटिफिकेशन होते हैं वे कोई प्लाट्स के नहीं होते, गांव के गांव नोटीफाई कर दिये जाते हैं और फिर जंगल के अधिकारी जा जा कर जिसको चाहते हैं तंग करते हैं। बड़े-बड़े लोगों की बात तो मैं नहीं कहता, मगर दो-दो, चार-चार एकड़ वाले किसानों को तंग किया जाता है और

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

कहा जाता है कि उनके खेत जंगल हैं। वह दरख्वास्त दे और उन पर फैसला कौन करे? हमारे मंत्री महोदय, यह बात है कि उनके पास काम हलका है, एक छोटा-सा विभाग उनके पास है, लेकिन अगर कल कोई मंत्री हो जिसके पास काम ज्यादा हो तो फिर क्या होगा, हालांकि वह करते वही हैं जो जंगल विभाग के अधिकारी रेकमेंड करते हैं। इससे अच्छा तो यह हो कि वह जिम्मेदारी चीफ कंजरवेटर या डी० एफ० ओ० को दे दें तो उनका भी कुछ काम हलका हो और ये अधिकारी मौके पर जाकर देख भी सकते हैं कि जंगल यह है या नहीं, इससे लाभ हो सकता है या नहीं। वह वहीं देखकर मुक्त कर दें तो ज्यादा अच्छा हो बनिस्बत इसके कि उसको दर दर मारा मारा फिरना पड़ता है और सरकार के पास दरख्वास्त देनी पड़ती है। बड़े आदमियों की जमीन पर वह हाथ नहीं लगा सकते। हमारे जिले में के० बी० नायर साहब की ढाई हजार बीघे जमीन अभी सरकारी महकमे के अधिकार में हो गयी है। लाखों रुपयों का मामला है। मैं शिकायत तो नहीं करता, लेकिन अब शायद फारेस्ट डिपार्टमेंट में उसकी अपील की है। बड़े आदमियों की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन छोटे काश्तकारों के बारे में जरूर कहता हूं कि उनको हैरेस किया जाता है और जब कि जंगल के अधिकारी संतुष्ट होते हैं कि वह खेती की जमीन है जंगल की जमीन नहीं है। उसके लिये जब अपील होती है तो फैसला होने में काफी वक्त लग जाता है।

दूसरी बात यह है कि जो लोग जंगलों में या जंगलों के आसपास रहते हैं बहुत गरीब, सीधे-सादे और भोले लोग हैं। उनकी जीविका जंगलों की वस्तुओं पर ही निर्भर रहती है, और जैसे मेरे भाई ने सुझाव दिया है, मैं भी उसको दोहराता हूं कि वही लोग जो वहां रहते हैं आग लगने पर वही बुझाते हैं, जो काम होते हैं वही करते हैं, प्लान्टेशन में वही काम करते हैं, लेकिन उनके लिये वहां कोई छोटी-बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिससे वे अपनी जीविका कमा सकें। इसलिये उनके लिये वहां छोटी-छोटी इंडस्ट्री लगा दी जाय जैसे लकड़ी के खिलौने बनाना, कागज के लिये पल्प बनाना तो उन्हें काफी सुविधा हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, जंगल की जो सबसे बड़ी नियामत है जड़ी बूटियां, जब वह मैदानों में आती हैं तो उनके दाम बहुत हो जाते हैं। उनमें ऐसी बूटियां हैं जिनसे बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। हमारे शास्त्री जी तो उनसे तो अवश्य लाभ उठाते होंगे तभी जवान होते चले जा रहे हैं, लेकिन जनता को वह लाभ नहीं पहुंचाते हैं। मेरा सुझाव है कि वहीं उनपर खोज हो और औषधियां भी वहीं बनें तो ज्यादा लाभ होगा।

साथ ही मैं यह भी सुझाव दूंगा कि जंगलों की सड़कों को पक्की कर दिया जाय। बहुत से ऐसे जंगल हैं जहां कीमती लकड़ी है, लेकिन साधन न होने की वजह से मार्केट में पहुंचते पहुंचते उनका दाम कम मिलता है। अगर मार्ग ठीक हो जाय तो आमदनी दुगुनी और तिगुनी तक हो सकती है, मैं इस बात का दावा कर सकता हूं।

इसके साथ ही, एक मेरा सुझाव यह भी है कि बहुत बड़े-बड़े प्लाट करके नीलाम किये जाते हैं। अब उतने पुराने धनिक लोग तो रह नहीं गये हैं। जो नए धनिक हैं वही धनिक होते जा रहे हैं। इसलिये छोटे लोगों को प्लाट नहीं मिल पाते और वास्तविक लाभ नहीं हो पाता है। इसलिये छोटे प्लाट कर दिये जायं तो बोली बोलने वाले ज्यादा लोग होंगे और सरकार ज्यादा लाभ उठायेगी।

सहकारी सोसाइटी बनाने की बात मंत्री जी ने कही। सहकारी संस्थाओं से मैं सदा सशंकित रहता हूं क्योंकि इसके नाम पर लाभ उठाने वाले आ जाया करते हैं। अगर बनाई जाय तो यह जरूर देखा जाय कि उनमें जो जंगल के पास रहनेवाले हैं जो बोनाफाइडी लोग हैं वही आयें और नेता लोग उनमें न आयें।

अन्त में, मैं छोटे कर्मचारियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिस दशा में वे रहते हैं उनके लिये और सुविधा की जरूरत है। मुझे जंगलों में बहुत-सी जगह जाने का अवसर मिला है। ऐसे मुकाम पर कर्मचारियों को रहना पड़ता है जहां जंगली जानवरों और चोरों तथा बदमाशों से सावधान रहना पड़ता है। जमींदारी खत्म हो गयी, लेकिन अब भी जब जमींदारी का नक्शा देखता हूं तो खुशी होती है। जंगल विभाग ऐसा है जहां सामन्तशाही का दृश्य अभी भी देखने में आता है। अब जंगल विभाग में जो सरकारी अधिकारी हैं वे ही राजा, महाराजा हैं। आज भी वहां पर १६ छटांक का घी मिलता है और वह इन्हीं जंगल विभाग के अधिकारियों को मिलता है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इन बातों की ओर ध्यान देंगे और जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उस को स्वीकार करेंगे।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वनों की आवश्यकता है। उन की रक्षा और उन का विकास होना आवश्यक है, इस में दो रायें नहीं हो सकती हैं। पिछले वर्षों में वनों में जो तरक्की हुई है, मैं यह नहीं कहता कि इस से अधिक तरक्की नहीं हो सकती है, लेकिन जिन साधनों के होते हुये, जो समस्यायें सामने थीं उन को देखते हुये जो कुछ भी हो सकता था, वहां वो हुआ है उस के लिये मैं वन मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं।

मैं एक निवेदन उन से करना चाहता हूं। अभी हमारे राजा साहब बोल रहे थे। उन्होंने किसानों के प्रति बड़ी हमदर्दी जाहिर की है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय वन मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे बुन्देलखंड में जमींदारों के जमाने में और राजा, महाराजाओं के जमाने में किसानों के साथ जो अत्याचार और जुल्म हुये हैं आज भी आप के द्वारा वह चीज बरती जा रही है। इस का कारण यह है कि जमींदार उस जमीन को लोगों को दे देते थे लेकिन मालगुजारी से बचने के लिये वह पटवारियों के कागजों में दर्ज नहीं होती थी। इस तरह से २५, ३० वर्षों से किसान उस जमीन पर काबिज हैं और उन्होंने वहां पर बन्धियां, कुयें और मकान भी बना लिये हैं। लेकिन वह जमीन पटवारी के कागजों में परती में लिखी हुई है। यह देन इन राजा, महाराजा और जमींदरों की है जिन्होंने अपने थोड़े से लाभ के लिये इस काम को किया है। आज वे किसान दर-दर मारे फिर रहे हैं।

जब जमींदारी समाप्त हुई तो वह सारा का सारा रकबा बन विभाग को दे दिया गया और बन विभाग ने अभी तक उस जमीन को इस्तेमाल नहीं किया और न ही पूरे रकबे को वे देख पाये हैं। सरकार ने उस जमीन के बन्दोबस्त के लिये एक व्यवस्था कायम की है, लेकिन इस बन्दोबस्त की कितने किसानों को इत्तला है कितने लोगों को इस की खबर और ज्ञान है, यह मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस से अधिक लाभ नहीं हुआ है, और हदबन्दी कहां तक पहुंची है उसकी वे अपने विभागीय अधिकारियों से जांच करवा लें। श्रीमन्, छतों पर हदबन्दी के खूंटे लगा दिये गये हैं। आंगन, खेत और कुओं पर तो हैं ही लेकिन मकानों की पैमायश कर के छतों पर खूंटे लगाये गये हैं। आप इस बात को दक्षिणी खंड के जो अरण्यपाल है उनसे पूछ सकते हैं। यह समस्या आप किसी मैजिस्ट्रेट के द्वारा हल नहीं कर सकते हैं। अगर इस समस्या का हल निकट भविष्य में नहीं निकाला गया तो एक बड़ा भारी आन्दोलन और एक बड़ा भारी असन्तोष बुन्देलखंड क्षेत्र के किसानों में पैदा हो रहा है जिस का नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस हदबन्दी की समस्या और जो इन किसानों के जमींदारों के समय जो हकूक थे उन को सुलझाया जाय। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि वहां हर गांव की एक वाजिबुल अर्ज (शर्त नामा) है जिस में यह दर्ज है कि यहां के गांव वालों का जंगलों की परती जमीन में क्या अधिकार हैं। ये सारी बातें उसमें हैं, लेकिन उन अधिकारों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सूखी लकड़ी, हल इत्यादि की लकड़ी और छप्पर की लकड़ी के हकूक उस में दर्ज हैं जो कि आज बन्द हो गये हैं। इसके लिये जरूरत इस बात की है कि हमारे झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा इन चार जिलों के लिये एक कमेटी मुकर्रर

[श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी]

की जाय और उसमें अरण्यपाल हों, उप अरण्यपाल हों, ए० डी० ओ० हों, उसमें वहां के विधायक हों, जिला परिषद् के अध्यक्ष हों और यह प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर पर जाकर इन तमाम बातों का अध्ययन करें, उन हदबन्दियों को देखें और जब तक वह कमेटी जांच कर के अपने सुझाव नहीं देती, तब तक हदबन्दी की कार्यवाही रोक दीजिये। यह अरण्यपाल या उप अरण्यपाल के वश की बात नहीं है, मंत्रि परिषद् के स्तर पर इस समस्या को हल करना पड़ेगा, नहीं तो इससे बड़ा नुकसान होगा। आज सैकड़ों-हजारों किसान परेशान हैं, उनसे लगान वसूल किया गया है, जमीन उसे मिली है वह उसके बाप दादों के समय से उसके कब्जे में चली आ रही है, वह परती में चली गई है। इस तरह से झरने, नाले हैं, सारे गांव के मवेशी उसमें पानी पीने जाते हैं, लेकिन उसको भी परती में ले कर के वन विभाग ने अपनी बाउन्ड्री उस पर लगा दी है और इस तरह से मवेशियों को तीन, चार और पांच-पांच मील का चक्कर लगा कर इन जगहों में पानी पीने जाना पड़ता है। मेहरबानी करके थोड़ा बहुत रुपया खर्च करके उसमें रास्ता दीजिये, और मवेशियों को पानी पीने के लिये सुविधायें दीजिये।

इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि बुन्देलखंड मे जो वन हैं, आपके इन तमाम आंकड़ों से यह जाहिर होता है कि कोई खास लाभ की वस्तुयें वहां पर नहीं होती हैं और इसलिये वहां पर वन विभाग ने कोई उद्योग धंधा पनपाने का प्रयत्न नहीं किया है और सारी की सारी चीजें इधर उधर चली गईं, जब कि वहां पर बांस होता है, वहां पर इमारती पत्थर होता है जो कि दूसरे प्रदेशों में जाता है। पत्थर के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि सड़कों की कमी की वजह से और रेल की दिक्कतों की वजह से हमारे उत्तर प्रदेश का पत्थर बाहर बहुत कम जाता है, जब कि और जगहों का पत्थर बड़ी भारी तादाद में कानपुर, मथुरा में आने लगा है, और इस प्रकार से इस पत्थर की कीमत गिरती चली जाती है क्योंकि हम को सड़कों की सुविधा और रेल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसलिये वहां पर जो हमारे हजारों मजदूर लगे हुये हैं, वह बेकार हो रहे हैं, इसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

हमारे फारेस्ट विभाग की जो सड़कें हैं, उन पर अगर कोई गुजरता है तो उसको रोक दिया जाता है, चाहे वह कितना ही जरूरी काम से क्यों न जा रहा हो, और हर तरह से लोगों को परेशान किया जाता है, । मैं आप से निवेदन करूंगा कि यह जो वन विभाग ने सड़कें बनाई हैं, पिछले सालों में लाखों रुपया वन विभाग ने इन सड़कों पर खर्च किया है, उनका प्रयोग अगर आम लोग वक्त जरूरत पर कर लेते हैं, तो उसके लिये कोई रोक नहीं होनी चाहिये। इस बात की ओर भी मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया है।

***श्री हरीशकुमार गंगवार** (जिला बरेली)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वनों की महत्ता को सभी स्वीकार करेंगे, यहां तक कि वनों की महत्ता के ऊपर बहुत बड़ी-बड़ी किताबें लिखी गई हैं। वनों का रक्षण हो, वनों का विकास हो, यह बात भी माननी पड़ेगी, क्योंकि बिना वनों के रक्षण के भूमि का कटाव नहीं रोका जा सकता, वर्षा उचित मात्रा में प्राप्त नहीं हो सकती और उसके साथ ही साथ भूमि को उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता है। इसलिये वनों की जितनी महत्ता इस देश और प्रदेश में होनी चाहिये, उसको उचित रूप से मानें तो ठीक बात होगी। आंकड़ों से सिद्ध होता है कि किसी प्रदेश की जनता की सभ्यता और जीवनमान के ऊंचा होने के तारतम्य में वहां के वनों का महत्व है। जैसे वहां के वन देखे गये हैं उसी प्रकार से लोगों का जीवनमान ऊंचा उठा है। उनकी सभ्यता का विकास भी हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश में दशमलव ४ घनफुट लकड़ी प्रति व्यक्ति का औसत आता है खर्च करने का, जबकि इसके विपरीत और सभ्य देशों में लकड़ी का औसत बहुत ज्यादा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उदाहरण के लिये अमरीका में ६४ घनफुट प्रति व्यक्ति लकड़ी खर्च होती है और रूस में ६३ घनफुट, इसी प्रकार से और भी देश हैं। इससे यह बात जाहिर होती है कि जैसे जैसे जंगल और लकड़ी का उपयोग प्रति व्यक्ति बढ़ा है वैसे वैसे उन देशों की सभ्यता का विकास हुआ है और उनके जीवनमान का भी विकास हुआ है ।

(इस समय ४ बजकर ८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

इस बात के लिये मैं माननीय जंगल के मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा । वैसे तो वह अरण्य मंत्री हैं और उनके सामने अरण्य में कुछ सहूलियत पहुंचाने की बातें करना और उस विभाग के लिये कुछ अच्छे सुझाव देना केवल अरण्यरोदन मात्र होगा, क्योंकि वह जो चाहेंगे वही करेंगे। फिर भी मैं इस बात की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने जो बात भी अपने विभाग की रखी है वह एकदम अपटुडेट है, जैसे कि अपटुडेट फैशन के मामले में चला करता है। उनका डिपार्टमेन्ट कागजी कार्यवाही में एकदम अपटुडेट है इस संबंध में, जो उनकी ओर से चार पुस्तिकायें दी गई हैं, उन्हीं का उदाहरण देना काफी होगा। एक तो जो शताब्दी समारोह के संबंध में किताब उन्होंने छपवाई है वह आर्ट पेपर पर छपी है और उसमें २१ चित्र दिये हुये हैं। उसकी कीमत करीब १० रुपया होगी। इसी प्रकार से जो वन विकास के "नये चरण" पुस्तक छपी है उसमें भी दस चित्र हैं। और 'वन वभाग के विवरण' जो किताब है उसमें १२ चित्र हैं। पूरे पेज पर चित्र दिये हुये हैं। इस प्रकार से अपटुडेट होने का आभास होता है। और डिपार्टमेन्ट्स के लिट्रेचर इतने सुन्दर, आकर्षक, सजीले और रुचिकर नहीं प्रतीत हुये जितना कि माननीय अरण्य मंत्री का यह साहित्य है। वास्तव में यह साहित्य बड़ा आकर्षक है और इसमें एक बात बड़ी अपटुडेट है, वह है आंकड़ों का सुन्दर तारतम्य। एक ही उदाहरण दूंगा। "वन विकास के नये चरण" पुस्तिका के पृष्ठ २५ पर वृक्षारोपण नाम का एक हेड है उसमें १९३८ से लेकर १९६० तक के आंकड़े ले जाइये, जितने वृक्ष लगाये गये हैं उन दोनों का टोटल बड़ा खरा उतरता है। दोनों के टोटल में कहीं एक का फर्क नहीं, जाने कैसे १९६० के टोटल में एक की गलती हो गई। १९६० में साधारण ७८९४ रखे गये है और योजना के अन्तर्गत ९०५२। दोनों का टोटल १६, ९४६ होना चाहिये, इसमें एक बढ़ गया है, लेकिन कम नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जितने आंकड़े दिये गये वह बिलकुल करेक्ट और अपटुडेट हैं। इससे मालूम होता है कि माननीय वन मंत्री जी का ध्यान आंकड़ों को सही करने की तरफ ज्यादा है। आंकड़े सही देने की पूरी कोशिश की गई है जोकि अपटुडेटनेस का एक बड़ा उदाहरण है। आमदनी के विषय में जो बात लिखी गयी है उससे यह जाहिर होता है कि जो आमदनी होती है वनों से वह ७.९४ रुपया प्रति एकड़ है जो सवा रुपया फी बीघा के हिसाब से आती है। मैं यह नहीं कहता कि वहां पर आमदनी बढ़ाने के लिये आप टैक्स दीजिये, लेकिन.....

श्री अध्यक्ष—श्री हरीशकुमार जी आप सवा चार बजे समाप्त कर दीजिये ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—इतना अवश्य कहूंगा कि आप ठेकेदारी सिस्टम को समाप्त कर दें और अपने डिपार्टमेन्ट के द्वारा ठीक प्रकार से कार्य करायें तो बिना अतिरिक्त खर्चे के, बिना टैक्स लगाये, बिना ठेके पर दिये हुए आपकी बहुत ज्यादा आमदनी बढ़ सकती है। ठेकेदारी सिस्टम में होता क्या है कि कुछ गिने चुने लोगों को ठेका दे दिया जाता है। वे लोग कुछ आफिसरों के साथ सांठगांठ करके स्वयं खाते हैं और आफिसरों को खिलाते हैं और हमारे जंगल की लकड़ी औने पौने में चली जाती है। इन अधिकारियों की लापरवाही से जो लाभ राज्य को मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है और बजाय जनता को लाभ पहुंचने के ठेकेदारों और फैक्टरियों के मालिकों को लाभ पहुंच रहा है ।

अगर वहां के किसी आदमी को हक हकूक की लकड़ी दी जाती है तो इतनी दूर दी जाती है कि वहां से लाने में उसका खर्चा इतना अधिक हो जाय कि वह लकड़ी खरीदना ही अधिक पसंद करे जब कि इन फैक्टरियों को २ आना मन लकड़ी दे दी जाती है। वे इस लकड़ी से कागज

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

बनाती हैं और २०० रुपया मन वसूल करती हैं। इस प्रकार से अगर हम वहां पर ठेकेदारी सिस्टम को समाप्त कर दें और कारखानेदारों के साथ रियायत करना छोड़ दें तो हमारी आमदनी बहुत बढ़ जायगी और जनता को कोई कष्ट नहीं होगा।

जैसा कि माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि वृक्षारोपण आप करते हैं लेकिन उसका सिंहावलोकन नहीं करते। आप यह नहीं देखते कि फिर उस का क्या हुआ। ४–६ गांव मेरे क्षेत्र में ऐसे हैं जहां केन्द्रीय मंत्री जी और उन्होंने वृक्षारोपण किया। लेकिन जब चुनाव के दौरान में मैं वहां गया तो केवल वहां पर पत्थर लगा हुआ ही पाया कि फलां मंत्री महोदय ने इस वृक्ष का रोपण किया। वह वृक्ष और उसके घेरे की ईंट सब गायब थीं। इसलिये मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि वह केवल कागजों पर ही पेड़ न लगाये वरन जमीन पर लगाये हुये पेड़ों की देखभाल भी करें क्योंकि इससे केवल किताबों में ही पेड़ रह जाते हैं कि इतने वृक्षों का रोपण हुआ लेकिन आपकी जो मूल भावना है वह नष्ट हो जाती है।

श्रीमती रामरती (जिला फैजाबाद)––आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वन मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। मान्यवर, सर्व प्रथम जब मानव ने इस पृथ्वी पर अपनी आंखें खोलीं तो उसने अपने आसपास वन व वनस्पति ही पाया। उसके द्वारा उसे फल, फूल, छाया तथा लकड़ियां प्राप्त हुईं। मनुष्य अपना जीवन साथी समझकर उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर सका। किन्तु ज्यों-ज्यों मनुष्य की संख्या में वृद्धि होती गयी, हमारी सभ्यता का विकास होता गया, त्यों-त्यों मानव इस प्रकृति की गोद से अपने को दूर हटाता गया। यदि हम देखें कि हमारे प्रदेश में इन वनों का कितनी निष्ठुरता से संहार हुआ तो पायेंगे कि हमारे प्रदेश की लकड़ी तथा काष्ठ सम्पत्ति का इतना विनाश हुआ है कि उसकी वजह से हमारे प्रदेश की भूमि का क्षार बढ़ा है, इसकी मिट्टी की उर्वरा-शक्ति नष्ट हुई है, नदियों के कटाव में वृद्धि हुई है और आये दिन सूखा व बाढ़ की परेशानी हमारे सामने उपस्थित हो गयी है। अतः इन सब चीजों पर ध्यान देकर यह सोचा गया कि हम अधिक से अधिक संख्या में वनों के क्षेत्रफल को बढ़ावें।

मान्यवर, हमने कभी शांतिपूर्वक अपने ध्यान में यह नहीं सोचा कि ये वन हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार आवश्यक हैं। यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो यह देखते हैं कि यहां पर हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक यानी अन्त्येष्टि क्रिया जो होती है, वहां तक इसी वन से प्राप्त ईंधन द्वारा हम सहायता लेते हैं। आज हमारे मकानों की शोभा इन जंगलों के द्वारा ही होती है। आज अगर देखा जाय तो हम सोचेंगे कि हमारी सारी सभ्यता और विकास की नींव कागज ही है जो इन्हीं वनों से हमको प्राप्त होता है। मान्यवर, यही नहीं, बल्कि इन्हीं वनों में रहकर हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान प्राप्त किया था। आज के इस युग में आयुर्वेदिक चिकित्सा एक मात्र इन वनों से ही होती है। यदि इन आवश्यकताओं की तरफ हम ध्यान दें तो हमें अच्छी तरह से यह ज्ञात होता है कि हमारे दैनिक जीवन में ये किस प्रकार से आवश्यक हैं। अतः आपके द्वारा मैं वन मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि अधिक से अधिक संख्या में वे वन तथा वृक्षारोपण की संख्या में वृद्धि करें।

दूसरी बात मुझे वन मंत्री जी से यह निवेदन करनी है कि हमारे वन मंत्री जी हरिजन वर्ग के एक प्राण, पिता तथा गुरू के रूप में भी हैं जिन्होंने हरिजनों के लिये अपने जीवन में बहुत कुछ किया है और जिनके पढ़ाये हुये हरिजन शिष्य आज भी इस सदन में मौजूद हैं। श्रीमन्, यह सब होते हुये भी माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन यह है कि वे अपने विभाग की नौकरियों में सुरक्षित हरिजन स्थानों की पूर्ति नहीं कर सके हैं।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि माननीय मंत्री जी ने अपना सारा जीवन हरिजनों के लिये ही दिया है। वे अपने जीवन काल में यह सपना भी देखते रहे कि मेरे ही सामने इन खेतिहर मजदूरों तथा गरीबों की दरिद्रता दूर हो जाय। आज उनको यह सौभाग्य प्राप्त है,

उनको ऐसा विभाग मिला है। उन को चाहिये कि वह अपने विभाग में जहां कहीं भी वनों में खाली जमीनें पड़ी हों उन को वह खेतिहर मजदूरों को दें और जो वनों के ठेके बड़े बड़े ठेकेदारों को दिये जाते हैं उसके लिये मेरा मंत्री जी से यह अनुरोध है कि वह यह ठेके उन गरीब हरिजनों को भी दें, ताकि वे अपनी जीविकोपार्जन का साधन बना सकें। वह सरकार को एक कल्याणकारी सरकार समझ कर सोचें कि हमारी सरकार गरीबों की तरफ इस तरह से ध्यान दे रही है। अतः इन शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करते हुये मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करती हूं।

*श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जंगल विभाग के मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, उस के बारे में, जंगल के किनारे का रहने वाला होने के नाते और थोड़ी बहुत उन की अच्छाई और बुराई से वाकिफ होने के नाते उन की सेवा में मैं कुछ बातें पेश करना चाहता हूं ताकि मंत्री जी भी उन को सुनकर उन के मुताल्लिक कुछ अपनी राय कायम कर सकें।

जमींदारी अबालिशन के बाद एक जनरल नोटिफिकेशन हुआ था जिस के जरिये से पुराने जमींदारों से उनके राइट्स और प्रिविलेजेज जो जंगलों के मुताल्लिक थे वह पूछे गये थे लेकिन चूंकि अबालिशन के बाद उन का कोई इन्टरेस्ट नहीं रह गया था इसलिये या तो उन को नोटिफिकेशन मालूम न हो सका या उन्होंने सरकार के या वन विभाग के पास कुछ लिखकर भेजने की तकलीफ उठाना गवारा नहीं की, लेकिन जंगलात के पास के लोगों पर इसका बुरा असर पड़ा। बाद में जब लोगों को मालूम हुआ और लोगों ने दौड़ धूप शुरू की तो कहा गया कि नोटिफिकेशन के वक्त ही आप को एप्लाई करना चाहिये था या लिखना चाहिये था। मैं आप के द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अगर कल्याणकारी सरकार के मंत्री हैं तो दोबारा एक नोटिफिकेशन कर के या जिस तरह से भी मुनासिब हो उन के राइट्स और प्रिविलेजेज को ध्यान में रखकर फिर से उन को यह सब बताने का मौका दें, जिस से उन को सही बात का पता चल जाय और वह वहां के रहने वालों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

दूसरी बात यह है कि बहराइच जिले के जंगलात और विन्ध्या रेंजेज के करीब रहने के नाते मैं आपको बताता हूं कि वहां हालत यह है कि जंगल के इस तरफ भी आबादी है और उस तरफ भी आबादी है और जंगलात के कानून के मुताबिक कोई भी इस पार से उस पार ट्रक और मोटर नहीं ले जा सकता जिसके कारण कृषि की उपज और फल दूध वगैरह पेरिशेबिल चीजें ले जाने और लाने में बड़ी असुविधा होती है। हालांकि काम तो चलता ही है चाहे चोरी की जाय या इजाजत ली जाय, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस का कोई वैधानिक ढंग हो जाय और उस को बोनाफाइड कर दें और पास वगैरह इशू कर दें ताकि ट्रक्स और मोटर से सामान इधर से उधर आ जा सकें।

एक बात मुझे उस जगह के बारे में भी कहनी है जहां कि ऐसे जंगल हैं जहां शेर काफी हैं और शिकार की इजाजत दी जाती है। जमींदारी अबालिशन के बाद राजाओं के इन्सदीड्-यूशन तो नहीं के बराबर रह गये हैं, इससे जंगलों में अब शेरों की तादाद बहुत बढ़ गई है जिससे गरीब किसानों और जानवरों की जानें जाया करती हैं। कानून यह है कि वहां शिकारी जब शिकार के लिये जाय तो सिर्फ एक शेर ही मारने की इजाजत दी जाती है। और एक शेर मारने के लिये कोई इतने पैसे जंगल में जाकर शिकार के लिये खर्च करना पसन्द नहीं करता और उस के मींस के बाहर हो जाता है और नतीजा यह होता है कि सिर्फ सरकारी अफसर ही उसका फायदा उठा सकते हैं और कभी उनको एक आध शेर मिल भी जाता है तो शेरों की प्राबलम उस जगह की हल नहीं होती है और वह नुकसान कम नहीं होता जो चराई के जानवर जंगल में मार दिये जाते हैं जिससे गरीब किसान को नुकसान होता है। यह तो मानी हुई बात है कि जंगल के किनारे का आदमी और लोगों से ज्यादा गरीब है और मींस आफ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुन्नूसिंह]

कम्युनिकेशन कम होने की वजह से उसके जराये माश कम ही रहते हैं। ऐसी सूरत में मंत्री जी विचार करें कि वह एक से ज्यादा शेरों को, शेरों से मतलब मेरा हर कारनीवोरस से है, पहले ऐसे जानवरों के मारने पर वन विभाग इनाम भी देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मंत्री जी इस पर विचार करें कि एक शेर से ज्यादा या कारनिवोरस को मारने के लिये इजाजत दी जाय और हो सके तो उनको इनाम भी दिया जाय।

चौथी बात यह है के जंगल के किनारे रहने वाले किसानों को एक और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जंगली जानवरों के अलावा जंगली गायें भी होती हैं, यदि उन पर अभी से नियंत्रण नहीं किया गया तो ऐसा लगता है ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा क्षति होगी। गायें १०–१०,२०–२०,५०–५० के झुंड में जंगल की सरहद से तीन मील तक इस बुरी तरह चराई करती हैं कि हर समय खेत रखाने के बावजूद भी उनका रखाना मुमकिन नहीं है। क्योंकि किसान को खेत रखाने के अलावा जीवन की दूसरी जरूरियात को पूरा करने के लिये जाना ही पड़ता है, उसका कुनबा छोटा होता है, वह रात को रह नहीं सकता। इसलिये दिक्कत यह होती है कि अगर थोड़ी देर के लिये भी खेत खाली हो गया तो जंगली गायें उसको बरबाद कर देती हैं। इसके साथ ही गांव के रहने वाले लोग भी अपनी गायें जंगल के पास के खेतों में चरने के लिये छोड़ देते हैं और उनकी कोई शिनाख्त नहीं रहती, वह भी जंगली गायों के साथ उनकी फसल को चर जाया करती हैं। मंत्री जी विचार करेंगे कि ऐसा कोई कानून बना दिया जाय कि घरेलू गायों और जंगली गायों की पहचान हो सके और उनको बन्द करके नीलाम किया जा सके।

वन विभाग में जो छोटी छोटी नौकरियां हैं जैसे वाचर, फारेस्ट गार्ड, वन मुंशी आदि वह अगर जंगल के पास के रहने वालों में से ही नियुक्त किये जायं, जो तालीमी लिहाज से पिछड़े हुये हैं, तो वहां के लोकल आदमी होने के नाते जंगलों की अधिक सेवा कर सकेंगे किसी हादसे के समय पर ज्यादा मदद कर सकेंगे, ज्यादा कामयाब हो सकेंगे बनिस्बत उनके जो बाहर शहरों से आदमी आते हैं। जब उनको बाहर से आदमी बुलाने पड़ते हैं, जैसे कभी आग लग जाय, तो ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिये यदि हो सके तो यह छोटी नौकरियां जंगल के ही आसपास रहने वाले लोगों को दी जायं ताकि जंगल की ज्यादा परवाह भी वह कर सकें और उनकी सुरक्षा भी कर सकें।

जो वनों की खेती होती है उनमें जो टांगिया सिस्टम है, जो काश्तकारों को जमीन दे कर खेती कराकर वन लगाये जाते हैं मेरी समझ में इससे वह ज्यादा फायदेमन्द है जिसमें सरकार खुद अपने ट्रैक्टर्स से जोताई करा के जंगल लगा देती है। क्योंकि जंगल में खेती करने से ऐसा होता है कि १ एकड़ जमीन काश्तकारों को दी जाती है जिसका नतीजा यह होता है कि जब उनकी जरूरियात उतनी जमीन से पूरी नहीं होती तो वह चोरी और राहजनी भी करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने साथी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गंगाधर—अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान उन बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो मेरे द्वारा नहीं कही गयी है बल्कि उस पक्ष के लोगों द्वारा कही गयी हैं। मेरे भावों में और उनके भावों में कोई अन्तर नहीं था, ऐसा मंत्री महोदय ने भी अनुभव किया होगा। फारेस्ट डिपार्टमेंट में फारेस्ट ऐक्ट में फारेस्ट की परिभाषा यह है:— Every land which is untilled is a forest. इतनी व्यापक फारेस्ट की परिभाषा है। उन शब्दों को अगर उसी रूप में प्रयोग किया जाता है तो फारेस्ट डिपार्टमेंट कहीं भी किसी जमीन को फारेस्ट मान लेगा। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि फारेस्ट का जो कानून बना है उसमें जब तक मनुष्यता के भाव का प्रयोग नहीं किया जायगा और उसके अन्दर कानूनी शब्द का ही प्रयोग किया जायगा तब तक हम लोगों को राहत नहीं मिलेगी।

जिन बातों की ओर मैं वन मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह बातें माननीय ठाकुर किशन सिंह और गंगा सिंह दोनों ने कही हैं। मैं समझता हूं कि उनकी ओर वे ध्यान देंगे और फारेस्ट विभाग की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है उसको सदन के सामने रखेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पहाड़ों में जो सिविल जंगल हैं वे जिलाधीश के अन्तर्गत हैं, फारेस्ट पंचायत के भी जंगल हैं जो एस० डी० एम० अथवा जिलाधीश के अन्तर्गत होते हैं। उनको फारेस्ट डिपार्टमेंट से टेक्निकल सहायता दी जानी चाहिये अगर वे फारेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ टेक्निकल सहायता चाहते हैं तो उनको वह ऐडवाइस नहीं मिलती है जब कि परिभाषा के अन्दर फारेस्ट डिपार्टमेंट उन जंगलों को भी अपना ही जंगल मानता है। तो फारेस्ट डिपार्टमेंट को केवल अपना कानून ही उन जंगलों पर लागू नहीं करना चाहिये, बल्कि जो लोगों की दिक्कतें हैं उनको भी दूर करना चाहिये। सिविल फारेस्ट जो हैं उनका जो रुपया होता है वह पब्लिक यूटिलिटी फंड कहलाता है लेकिन वह रुपया वहां की जनता के विकास के लिये नहीं दिया जाता है, लिहाजा उस रुपये को वहीं की जनता के विकास के लिये दिया जाना चाहिये और लोगों की दिक्कतों को दूर करना चाहिये। मेरी यही प्रार्थना है कि कानून का इस्तेमाल उसके शब्द व शब्द की भावना के अन्तर्गत नहीं करना चाहिये बल्कि उसके अन्दर जो भावुकता है जिसको कि मंत्री महोदय ने अपनी किताबों में शब्दों के द्वारा व्यक्त की है, उसके अन्तर्गत ही कानून का इस्तेमाल करना चाहिये जिससे कि वन के भीतर के लोगों की गरीबी, तकलीफें व दुख दूर हो सकें। इतना कह कर मैं मंत्री महोदय से आशा करूंगा कि वे इन समस्याओं पर विचार करेंगे जो कि यहां व्यक्त की गयी हैं।

श्री अध्यक्ष––सदन का समय पांच मिनट बढ़ाया जाता है।

श्री अलगूराय शास्त्री––अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा सदन के माननीय सदस्यों ने वन के इन अनुदानों पर जो विचार व्यक्त किये हैं, जो सुझाव दिये हैं उनमें स्तुत्य संयम और गूढ़ विवेचन का परिचय मिलता है जिसके लिये मैं उनका सचमुच बहुत ही आभारी हूं। मैठाणीजी ने ठीक कहा कि जो भावना उन्होंने व्यक्त की उन्हीं भावनाओं का पूरा-पूरा समर्थन जो हमारे दल के माननीय सदस्य इधर बैठे हुये हैं उन्होंने किसी न किसी अंश में किया है। समस्या तो एक ही है। दलगत भावना से तो पूरे सरकारी कार्य के ऊपर हम विचार नहीं कर सकते। समस्यायें सब के साथ अपना रूप एक सा ही रखती हैं। वन विभाग से जो भी संबंधित हैं, जो वन में रहने वाले लोग हैं उनको अगर कठिनायी है तो एक सी है। इसलिये मैं मैठाणीजी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने देख लिया कि किस तरह पक्षपात रहित होकर समस्याओं पर हमारे दल के लोग विचार करने में समर्थ हैं।

अब कुछ बातें जरूर ऐसी कही गयी हैं जिनको सर्वांश में स्वीकार तो नहीं किया जा सकता, किन्तु यह सही है कि वन मनुष्य के लिये हैं मनुष्य वन के लिये नहीं हैं। जो कुछ भी विचार हमारी तरफ से व्यक्त किया गया है उसमें इसी बात पर बल था कि यदि हम सीमित स्वार्थ को हटा कर राष्ट्रीय दृष्टि से इस बात पर विचार करें तो वनों का महत्व आ जाता है, वनों का रक्षण, उनका रोपण, उनको बढ़ाना, जहां अच्छी लकड़ी के वन नहीं हैं वहां अच्छी लकड़ी पैदा करने वाले वनों को लगाना, ये सब हमारे काम हो जाते हैं। अब उस क्षेत्र के विद्यार्थियों की शिक्षा की बात कृष्ण सिंह जी ने कही। तो वह तो शिक्षा विभाग का काम है। उद्योग–धंधे उस क्षेत्र में चलाये जायं यह उद्योग विभाग का काम है। अलग अलग विभाग अपने-अपने कार्यों को करते हैं। हमारा काम तो यह है कि वन की सम्पत्ति से राज्य कोष में पैसा आये, उसमें क्षीजन न होने पाये, उसको चूहे न ले जायं और ऐसा करने में कुछ सुविधायें पाने वाले लोगों को हमारा व्यवहार अखरता है। मैं मैठाणी जी से यह निवेदन करूंगा कि वन ऐक्ट में जो उनको निष्ठुरता दिखायी पड़ती है अगर वन विभाग ने उस कानून को बनाया होता तब तो उसके ऊपर सब चार्ज आ जाता, लेकिन वह कानून भी जन प्रतिनिधियों का ही बनाया हुआ है। ऐसे ही सदनों से विधि बनते हैं। तो विधि में जो विधान है वह सब जनहित की दृष्टि से है और उसका अर्थ यदि अनर्थ किया जाय तो उसके लिये अदालतें बैठी हैं। शासन व्यवस्था का सब से महत्वपूर्ण अंग

[श्री अलगूराय शास्त्री]

हमारी जुडिशियरी है । हम एक विधि बनाते हैं। कोई भी नागरिक उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है । क्योंकि जुडीशियरी का सब से बड़ा कार्य यही है कि जो शासन व्यवस्था एक हाथ में पुलिस को डंडा देकर और एक तरफ जेल में बन्द कर के नागरिक अधिकारों को छीन सकती है उसके उन आचरणों के विरुद्ध, उन कार्यवाहियों के विरुद्ध अदालत में जाकर एक मामूली व्यक्ति भी दरख्वास्त दे सकता है और उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है । अभी हाल ही में एक कानून अवैध घोषित हो चुका है । राज्य सरकार के बनाये हुये कानूनों में अगर कोई खामियां हैं तो उसके लिये माननीय सदस्यों को अधिकार है कि संशोधन विधेयक लाकर ठीक करा लें । मैं यह नहीं मानता कि फारेस्ट ऐक्ट निष्ठुरता की एक गुटिका है, बल्कि वह राज्य की सम्पत्ति की रक्षा के लिये बना है । कुछ स्वार्थपरायण लोग अपने व्यक्तिगत कष्टों से घबराकर जो मामूली धारणा बना बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पूरे राष्ट्र के हित को दृष्टि में रख कर विचार करें ।

कुमायूं फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अभी पब्लिश नहीं की गई है, इस बात की शिकायत हमारे पर्वतीय क्षेत्र के माननीय सदस्यों की ओर से एक साल से की जा रही है । मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ भाइयों के मन में भ्रम पैदा हो गया है । दो तरह की कमेटियां होती हैं एक तो सदन से कमेटी बनाई जाती है किसी कार्य के ऊपर रिपोर्ट करने के लिये । उस कमेटी को रिपोर्ट आने के बाद वह तुरन्त सदन के सामने आयेगी । मगर जो समितियां सरकार अपनी सुविधा के लिये, अपने पथ प्रदर्शन के लिये, बनाती है और जब उसका कार्य विवरण आ जाता है तो उसमें अनेक महत्वपूर्ण बातों का वर्णन होता है । अब जिस विभाग से उसका सम्बन्ध होता है उसके विशेषज्ञ उस पूरे विवरण पर विचार करते हैं क्योंकि उसका परिणाम बहुत व्यापक हो सकता है । इस कमेटी की रिपोर्ट का भी यही हाल है । यह सरकारी कमेटी थी । इसकी रिपोर्ट आई और रहा इसमें श्रीमन्, लगभग १२५ महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं उनके ऊपर विचार हो चुका है और जो विचार स्वीकार कर लिये गये हैं उन पर कार्य भी हुआ है, किन्तु पूरी रिपोर्ट पर विचार होने के बाद जब सरकार उस पर अच्छी तरह से विचार कर लेगी और जिन निर्णयों को मान लेगी और जिनको नहीं मानेगी उनके कारण देगी, इसके बाद वह प्रकाशित की जा सकती है और माननीय सदस्यों के हाथ में वह आ सकती है । इससे पहले रखने के माने हैं कि उससे लोगों के मन में भ्रम पैदा हो सकता है । इसलिये सरकारी कमेटी का विवरण तुरन्त नहीं आजाता है जिस तरह से कि सदन की कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है । बिलम्ब इसलिये नहीं हो रहा है कि उन सिफारिशों को छापना नहीं चाहते हैं या रिपोर्ट दबाकर सरकार बैठी हुई है । रिपोर्ट की एक एक सिफारिश पर पूर्ण रूप से विचार किया जा रहा है । सरकार के सामने पूरी रिपोर्ट है, जो अंश मानने लायक होंगे मान लिये जायेंगे और जो मानने लायक नहीं होंगे वे नहीं माने जायेंगे इस पर विचार होने के बाद वह उपस्थित की जा सकती है । जब इस पर विचार हो जायगा तो कैबिनेट के प्रस्ताव के साथ वह रिपोर्ट माननीय सदस्यों के पास आ जायगी । इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि माननीय सदस्यों को इसमें अधीर होने की आवश्यकता नहीं है । वह रिपोर्ट छिपाई नहीं जा सकती, जलाई नहीं जा सकती और उनकी आंखों से बचाई नहीं जा सकती, मगर उस पर विचार कर लेने का अवसर विभाग को मिलना चाहिये क्योंकि उसमें प्रत्येक सिफारिश गहरा प्रभाव डालने वाली हो सकती है । आज अगर वह रिपोर्ट प्रकाशित कर दी जाय तो मूक जनता यह समझ सकती है कि यह सब बातें स्वीकृत हो गई हैं और यह सब सरकार ने मान लिया है, क्योंकि यह उसकी छपी हुई रिपोर्ट है । वह रिपोर्ट माननीय सदस्यों के हाथ में आते ही पब्लिक की सम्पत्ति बन जायगी और फिर बाद को, जनता का यह भ्रम दूर नहीं किया जा सकता । बड़ी कठिनाई पैदा हो जायगी । जैसा कि सन् १९११ के उपद्रव का कुछ हवाला दिया गया कि उस समय उपद्रव मचा था तो उन उपद्रवों से बचाने के लिये, जनता को ज्यादा कष्ट की ज्वाला से बचाने के लिये और पूरे जनहित की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि सरकार की रिपोर्ट पूरे विचार विमर्श के बाद जनता के सामने आये ।

माननीय राघवेन्द्र प्रताप सिंह जी ने एक जमींन के पट्टे की बात कही जो २,५०० एकड़ थी। मैं उस जमींन की जानकारी के लिये उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में सरकार की ओर से अपील की जा चुकी है। जमींदारी अबालिशन का प्रश्न जब चल रहा था तब ही बड़े-बड़े जमीदारों और राजाओं ने अपने मित्रों को यह समझकर कि अब यह सब निकल रही है कुछ इसको पट्टे पर दी और कुछ उसको पट्टे पर दी। जिनके-जिनके मित्र थे उन्होंने ऐसे पट्टे दे दिये। चाहे वह वैध थे या अवैध थे इस बात पर विचार करने का हक सरकार को नहीं है। वह सब अधिकार अदालत को है। यदि हम कहते हैं कि पट्टे अवैध हैं, तो इस का निर्णय सिवाय अदालत के और कहां किया जा सकता है? हमारे आदेश से पट्टे रद्द नहीं किये जा सकते और हमारे आदेश से स्वीकार नहीं हो सकते। प्रश्न यह है कि जमींदारी चली गई और जमींदारी चले जाने के बाद सन् १९५२ से यह जमीन बंजर, परती और दूसरी तरह की सब सरकार में निहित हो गई। बन जो थे वह वह बन विभाग को मिले, बन विभाग जहां बन देखता है कागज के मुताबिक उनको लेना चाहता है, कुछ मसनवी पट्टे बने हुये हैं उनको खेत लिखा जाता है। कहीं पर पेड़ खड़े हैं। कहीं पर पेड़ नहीं हैं। कहीं पर पेड़ काट दिये गये हैं, क्योंकि इस बीच में समय भी बहुत हो गया। जमींदारों को भी इस बीच में इन्ताजम करने का काफी समय मिल गया। इस तरह से इस बीच में एक जटिलता सामने आगई है। किसानों के साथ बन विभाग की कोई दुश्मनी नहीं है। वह सरकार का विभाग है। हम सब का कर्त्तव्य है कि बन की रक्षा करें। जब बन की रक्षा होगी तभी आप अपनी भी रक्षा कर सकेंगे। सरकारी सम्पत्ति की रक्षा करना पहला कर्त्तव्य है। राष्ट्र की सम्पत्ति की रक्षा करना किसी व्यक्ति की सम्पत्ति की अपेक्षा अधिक आवश्यक है। राष्ट्र के हित के लिये व्यक्ति के हित को बलिदान कर देना चाहिये। यह भावना जाग्रत करने की आवश्यकता है। इस भावना के विपरीत यदि हम जाग्रति पैदा करते हैं तो समष्टि के ऊपर अपने स्वार्थ को रखने की चेष्टा करते हैं, उसका नतीजा यह होता है कि जहां पर कोआपरेटिव सोसायटी बनाने की बात करते हैं तो उससे सज्जन पुरुष भी टकराते हैं। जहां पर लाभ की बात दिखाई देती हो वहां पर भी घबराते हैं। इस प्रकार से काम करने की दृष्टि बन जाती है। शासन व्यवस्था में जिस काम को करने की जरूरत होती है वह काम उस दशा में दुरूह हो जाता है। इसलिये उसमें अनेक स्वार्थों का सामन्जस्य स्थापित करना पड़ता है। एक चीज सामने रहनी चाहिये और वह यह कि यदि राष्ट्र रहेगा तो हम भी रहेंगे। केवल हमारे रहने से राष्ट्र नहीं रहता है। तो इस तरह से इस आधार पर जो मनुष्य के लिये बना है वह मनुष्य के लिये बनना मनुष्य की सामूहिक दृष्टि से है। एक देश या क्षेत्र विशेष के लोगों के हित की दृष्टि से नहीं देखा जायगा।

मैंने अपने पर्वतीय प्रदेश का पिछले साल दौरा किया था और वहां की स्थिति देखी थी। माननीय खुशीराम जी बार-बार कहते हैं, ध्यान दिलाते हैं कि भूमिहीन को जमीन मिलनी चाहिये। हमने ७०० मील जमीन तोड़ कर फार्म बनाये ह और उन पर राजनीतिक पीड़ितों को बसाया और बड़े-बड़े फार्म बने, पहाड़ वाले उसमें नहीं आये और उनकी समस्या बनी रही। अगर आपका फैसला यही है तो और ज्यादा जमीन तोड़ी जा सकती है, जो सदन चाहेगा वैसा ही होगा। लेकिन जो कुछ हुआ है उससे ही प्रदेश बाढ़ से त्रस्त है। यदि मेरा बस चले तो, हालांकि यह फैसला कोई कैबिनेट लेविल पर नहीं हुआ है, उन फार्मों को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। मुझे तो यह भी पता चला है कि लोगों को कहा गया है कि जमीन काट कर ट्रैक्टराइजेशन करें। मैं इस पक्ष में तो हो सकता हूं कि उन फार्मों को फिर से लोगों में बांट दिया जाय, लोगों को १०, १० एकड़ जमीन दी जाय और जिनका फार्म है उनको १० परसेंट सूद दे दिया जाय और १०० एकड़ से अधिक जमीन किसी को न दी जाय, लेकिन एक चीज के बारे में मैं स्पष्ट हूं कि जब तक मैं वन मंत्री के पद पर हूं, जंगल इस तरह से नहीं कटने दूंगा। ऐसा होते रहने से हिमालय खुल जायगा और उससे हमारी सारी उत्तरी सीमायें नष्ट हो जाती हैं। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और मैं जितना ही इस पर गौर करता हूं उतना ही इस विचार पर स्थिर होता जाता हूं।

[श्री अलगूराय शास्त्री]

यह कहना कि वन महोत्सव ने कुछ नहीं किया, सही नहीं है। केन्द्र में तो माननीय सदस्यों के आने जाने की सुविधा है, यहां नहीं है, अन्यथा लोग जा कर देख सकते थे कि गिरि गोबर्धन में क्या हुआ है। किस प्रकार राजस्थान के बढ़ते हुये रेगिस्तान को हमने वहां रोका है और कैसे वहां पर वन लहरा रहे हैं यह देखने की चीज है। मुंशी जी को जो कन्हैया कहा गया, कहने वाले वहां जाकर देखें कि वहां क्या हुआ है। एक आध पेड़ लगा देना एक चीज है। उससे व्यक्ति वन माइन्डेड नहीं हो जाता है, लेकिन वन योजना व्यक्ति को फारेस्ट माइन्डेड बनाती है। तो लोगों को फारेस्ट माइन्डेड बनाना पड़ेगा। टिम्बर और फ्यूल के, दोनों के लिये जो जंगल लगाये गये हैं उनकी एक साल के बाद ही तारीफ होने लगी है। वह एक कमाल की चीज है। श्रीमन्, मैं इससे सहमत हूं कि हमारे जंगल गांव में नहीं घुसने चाहिये, लेकिन जब जंगल गांव में जाता है तो वह अपने पेट में बिध्वंस करने वाले कीड़े पाल लेता है। गांव के रहने वाले उसकी लकड़ी काटेंगे। वन अपने ही स्थान पर रहेंगे। अगर वे गांव में जायेंगे तो उनको घुसने नहीं दिया जायेगा। जंगल में जंगल रहेगा और गांव में गांव रहेंगे, गांव को जंगल नहीं बनाया जायेगा, यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

इसके अलावा गांव की सीमा को भी हम १५० फीट से परे रखना चाहते हैं। उसमें भी हम दो सुधार कर देंगे। १०० फीट तक गांव वाले खेती कर सकते हैं और ५० फीट में वे फलदार वृक्ष लगा सकते हैं। जंगल को हम गांव की सीमा से दूर रखेंगे और उनको दूर से ही नमस्कार करेंगे। एक सदस्य ने जंगली मंत्री कहा, हम अपनी हैसियत को अच्छी तरह समझते हैं। हम दूर रहते हुये भी अपने प्रकाशनों द्वारा साहित्य के सौन्दर्य से आपके हृदय में स्थान कर लेंगे। चाहे आप उसका समर्थन करें या न करें। जो प्रकाशन होंगे, उनकी स्याही अच्छी होगी, कागज अच्छा होगा, ताकि दूसरे लोग उसको देख सकें।

आंकड़ों में कुछ कमी दिखाई गयी है। उसको देखा जायगा। डाक्टर लोहिया ने एक किताब लिखी थी "इंडिया इन फिगर्स"। उसमें एक इन्सटान्स दिया गया जो मुझे बहुत पसन्द आया। वह पुस्तक ही मुझे बहुत पसन्द आयी। वह और मैं बरेली जेल में साथ-साथ रहे थे। उस पुस्तक को मैंने पसन्द किया और उस तरह की पुस्तक होनी चाहिये जिसमें कि सब आंकड़े भी हों। यह नहीं कि उसी हिसाब को अन्तिम समझ लिया जाय, अब कोई किताब और नहीं आने वाली है। और किताबें भी छापी जायेंगी जिसमें पूरी सूचना हो। जो कमियां हैं वे सब धीरे-धीरे दूर होंगी। उनमें वह समुन्दर होगा जिसमें गंगा का जल होगा और उस में आप जलपान करके आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आंकड़ों के सम्बन्ध में जो खामियां बतायी गयी हैं उनको भी दूर किया जायेगा। इसके बावजूद भी अगर कोई बात ऐसी है जो ठीक नहीं हो पाई है, तो उसके लिये मैं बराबर आपके सुझाव चाहूंगा . . . . . ।

एक सदस्य---कुमायूं फारेस्ट कमेटी के निर्माण के बारे में . . . . . ।

श्री अध्यक्ष---इस तरह से कृपया बात न करिये।

श्री अलगूराय शास्त्री---हां, वह एक कमेटी थी। अभी उसका निर्माण नहीं हुआ है। शीघ्रता से उसका निर्माण हो जायेगा। यह मैं कहना चाहूंगा।

तो और बहुत सी कठिनाइयां माननीय सदस्यों ने बतायी हैं वह सब इसी के अन्दर आ जाती हैं कि जंगल और किसानों के हित में सामन्जस्य स्थापित किया जाय। बन्दोबस्त करने के लिये सेटिलमेंट आफिसर को नियुक्त किया गया है। अंतिम फैसला अब हमारे हाथ में नहीं रहा है। कोर्ट का फैसला हो गया है। अपील है हमारे हाथ में। लेकिन हमें उसकी उत्सुकता नहीं है, कि अभी फैसला कर दिया जाय। हमारा विभाग जनता का सेवक है और वह सेवक के नाते शुद्ध हृदय से जनता की सेवा कर रहा है।

मैं अन्त में एक ही बात और कहूंगा। मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने

हमारे विभाग के छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह की ओर ध्यान दिलाया कि वह बहुत कम है, उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिये क्योंकि वे बहुत कष्ट में रहते हैं। लोगों ने कहा है और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट उस पर अवश्य विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष––अब मैं आपके सामने माननीय गंगाधर का कटौती का प्रस्ताव रखूंगा। इस अनुदान पर और जो कटौती के प्रस्ताव आये हैं वह भी उसी में समाविष्ट समझे जायेंगे और सदन का जो निर्णय होगा वह सब कटौतियों पर लागू होगा। पहले अनुदान संख्या ४५–लेखा शीर्षक ७० पर कटौती का जो प्रस्ताव है उसे लेता हूं।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४५ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय?

कमी करने का उद्देश्य––वन विभाग के कार्य-संचालन की आलोचना करना और जनहित के आवश्यक सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४५––वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,४३,३५,१०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––अब अनुदान संख्या ५३, लेखा शीर्षक ११९ पर कटौती का प्रस्ताव है––

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५३ के अधीन मांग की राशि घटा कर रुपया कर दी जाय?

कमी करने का उद्देश्य––वन विभाग के कार्य संचालन की आलोचना और जनहित के आवश्यक सुझाव।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५३––वनों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १३,१२,००० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कानपुर सहकारी परिषद्, नवाबगंज कानपुर का गत ५ वर्षों का लाभ, हानि और सरकार द्वारा उसको दिये गये अनुदान के संबंध में २५ अप्रैल, १९६२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८ के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

श्री अध्यक्ष––अब आधे घंटे का विवाद होगा।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)––माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभार मानता हूं कि आप द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में विवाद के लिये समय प्रदान किया गया। साथ ही मैं श्री शिवनाथ सिंह जी का भी आभारी हूं कि प्रदेश की ऐसी बहुत सी सोसाइटियों में एक सोसाइटी का सवाल उन्होंने सदन के सामने उठाया जिससे मालूम हो सके कि इस प्रदेश में सोसाइटियों की गतिविधि क्या है और साथ ही सरकार द्वारा जिस प्रकार से उनको धन दिये जाते हैं

[श्री रामसुन्दर]

और उनका दुरुपयोग जिस प्रकार से हो रहा है उस पर भी सदन में विचार विनिमय होगा और साथ ही सरकार द्वारा उनको ठीक रास्ते पर ले जाने की नसीहत मिलेगी।

श्रीमन्, इस सोसाइटी का प्रश्न २५ अप्रैल को था और ८ वां प्रश्न था और इसका उत्तर सहकारिता मंत्री जी ने न देकर के सभासचिव, श्री चन्द्रसिंह जो रावत द्वारा दिया गया था। श्रीमन्, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरा जहां तक खयाल है, सवालों के दिनों का जब बटवारा हुआ था तो आप के कार्यालय से हर एक मन्त्री महोदय के पास यह सूचना भेजी गयी थी कि आपके लिये कौन सा दिन अच्छा होगा ताकि आपके लिये सवालों का दिन मुकर्रर किया जाय और मन्त्री महोदयों की अनुमति से ही उनसे सम्बन्धित सवालों के दिन मुकर्रर हुये हैं। अब अधिकांश में यह होता है कि माननीय मन्त्री जी के सवालों के दिन नियत हैं और फिर भी वे कोई न कोई रास्ता निकाल कर दौरे पर जाया करते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय सहकारिता मन्त्री जी स्पष्ट उत्तर दें कि जब पहले से दिन मुकर्रर था तो उस दिन किन परिस्थितियों के कारण वे सदन में उपस्थित नहीं थे। कौन सा जरूरी काम था जिसके लिये वे दौरे पर चले गये थे? क्या उनको कहीं उद्घाटन करना था जिसके लिये सदन में उपस्थित नहीं हो सके?

दूसरा सवाल मैं आपके जरिये से यह पूछना चाहूंगा कि इन सवालों के उत्तर पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस सोसाइटी का संचालन किसी ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित है जिसका सम्बन्ध शायद सरकारी ग्रुप से है। जिस का सम्बन्ध ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ऊंचे स्तर के कांग्रेस के बहुत बड़े कार्यकर्त्ता से रहा है और उसी के जरिये यह सोसाइटी संचालित होती है। नहीं तो यह एक मिसाल है कि किसी सोसाइटी में इस तरह से घाटा हो। इसमें १ लाख ५१ हजार रुपये के घाटे की तालिका है। यह कुल १,५१,२७० रुपये हैं। श्रीमन्, आप जरा गौर करें तो सन् ५७–५८ में इस सोसायटी को कुछ भी लाभ नहीं हुआ है और हानि १ लाख ४ हजार रुपये की हुई है। फिर आगे चल कर सन् ५८–५९ में कुछ लाभ नहीं हुआ। सन् ५९–६० में भी कुछ लाभ नहीं हुआ। सन् ६०–६१ में भी कुछ लाभ नहीं हुआ और अब आप देखेंगे कि सन् ६१–६२ में इस सोसाइटी को १,५१,२७० रुपये की हानि हुई है। लाभ जो हुआ वह केवल २५ हजार रुपये का हुआ है। अब आप सरकारी अनुदान को देखें तो सन् ५९–६० में इस सोसाइटी को १८ हजार रुपये मिले हैं और सन् ६०–६१ में २५ हजार रुपये मिले हैं। फिर सन् ६१–६२ में इस सोसाइटीज को अनुदान के रूप में ९० हजार रुपये मिले हैं। मैं स्पष्ट जानना चाहूंगा कि आप के यहां सोसाइटीज को अनुदान देने का क्या तरीका है? हमें मालूम हुआ है कि सम्भवतः इस सोसाइटी को केन्द्र से भी अनुदान मिला है और अच्छा होगा कि माननीय मन्त्री जी उसका कुछ संक्षेप में दिग्दर्शन करायें कि केन्द्रीय सरकार से अगर इसको सहायता मिली है तो वह कितनी मिली है।

श्रीमन् इस तरह से जनता के धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि आडिट रिपोर्ट की चर्चा इस हाउस में कई बार कई माननीय सदस्यों ने की है और यह भी पूछा कि बाज वर्षों की आडिट रिपोर्ट ही नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आडिटर्स के जरिये जांच हुई और आडिट रिपोर्ट में यह स्पष्ट कहा गया कि हिसाब का गलत तरीका अपनाया गया है। उस में यह भी कहा गया है कि इस सोसाइटी को नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन जानबूझ कर ऐसा नुक्सान कराया गया है। फिर भी सदन में माननीय रावत जी जबाब नहीं दे सके। इस का कारण यह है कि जो गलतियां थीं वे उनके ग्रुप के लोगों की थी और उन्हीं के ग्रुप के लोग इसके संचालक और मैनेजर थे, जिन के हाथों में शक्ति है उनके जरिये से ही इन की भी शक्ति है। इसलिये ये बातें छिपायी गयीं। मैं आप से निवेदन करूंगा कि माननीय सदन इस बात पर विचार करे और साथ ही सरकार को मजबूर करे कि जनता के पैसे का दुरुपयोग अपनी पार्टी और अपने ग्रुप को शक्तिशाली बनाने में और किसी व्यक्ति विशेष को सन्तुष्ट करने के लिये इस तरह से लाखों रुपये का अपव्यय नहीं होना चाहिये। साथ ही साथ मंत्री जी यह भी बतावें कि केन्द्र से इस सोसाइटी को कितना पैसा मिला है और कब-कब मिला है।

दूसरी बात श्रीमान जी, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आडिट रिपोर्ट इन पांच वर्षों में क्या क्या हुई है ? अन्त में मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जब तीन-तीन साल तक यह सोसाइटी ससपेन्ड रही है और ससपेन्ड क्यों रही ? लेकिन ससपेन्ड सोसाइटी को १ लाख २३ हजार रुपये की ग्रन्ट दी गई है वह उचित थी या अनुचित थी ? इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुये मेरा आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस हाउस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत फर दें जिससे हम लोगों को कुछ रोशनी मिले कि उनके जरिये से सरकार किस तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग करती है और साथ ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिये किस तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग करती है ।

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रामसुन्दर पाण्डेय जी न जो प्रश्न उठाया कानपुर सहकारी परिषद् के बारे में, वह महत्वपूर्ण तो है ही लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि कुछ इत्तला ठीक-ठीक न होन के कारण, जो अनुदान उनके सामने थे कि इस सहकारी परिषद् को तीन साल में १ लाख २३ हजार का अनुदान दिया गया तो उनका खयाल यह हुआ कि यह अनुदान शायद मैनेजमेंट में या और चीजों में खर्च करने के लिये दिया गया है, लेकिन वस्तुस्थिति यह नहीं है । इत्तफाक से उस रोज यह आंकड़े नहीं थे या जो कुछ भी कारण रहे हों इसका उत्तर नहीं मिला, इसलिये उनको भ्रम हुआ है । मैं सदन के सामने, जो अनुदान की राशि है, वह किस काम के लिये दी गई है, उसको रखना चाहता हूं । मार्च सन् १९६० में इस सहकारी परिषद् को १८ हजार रुपये का अनुदान दिया गया और वह केवल एक गाड़ी खरीदने के लिये दिया गया था, शायद मरसीडीज गाड़ी के लिये , जिसमें कुछ रुपया उन्होंने भी लगाया और वह गाड़ी खरीदी गयी दूध वितरण के लिए, जो कि आज भी इस सोसाइटी के पास मौजूद है । दूसरा अनुदान मार्च सन् १९६१ में १५ हजार रुपये का एक दूसरी गाड़ी खरीदने के लिये दिया गया, जो कि उसी काम के लिये थी क्योंकि एक गाड़ी पर्याप्त नहीं समझी गयी और वह गाड़ी भी इस सहकारी परिषद् के पास मौजूद है । यह दोनों अनुदान गाड़ी खरीदने के लिये दिये गये थे जो कि उनके कार्य के संचालन के लिये थी उस अनुदान से उन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया है । जैसा कि माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि एक नई गाड़ी खरीदने के लिये, चाहे वह ठेला ही क्यों न हो, कितनी कीमत देनी पड़ती है और इसलिये जितना अनुदान सरकार की ओर से इस काम के लिये दिया गया था, उसमें उनको अपनी गांठ से भी रुपया लगाना पड़ा, तो उसमें कोई निजी फायदा उठाने का सवाल नहीं पैदा होता है ।

तीसरी जो सबसे बड़ी ग्रान्ट दी, जो कि बड़ी रकम है वह मार्च सन् १९६२ में ९० हजार रुपये का अनुदान दिया गया है । वह मशीनरी खरीदने के लिये दिया गया क्योंकि अभी कुछ और उसका काम बढ़ने वाला है । मुझे अफसोस है कि यह काम जरा कुछ सही-सही नहीं चला । मैं इस बात को तसलीम करता हूं कि इस सहकारी परिषद् में कुछ खामियां हो गईं, लेकिन उसकी जिम्मेंदारी जैसे और जगह होती है उसी तरह से यह जिम्मेदारी हमारी आपकी, जो सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं, उनकी है । यह ९० हजार रुपया मशीनरी डेरी के लिये और जो दूसरी चीजों की जरूरत होती है उनको खरीदने के लिये दिया गया और वह भी किसी व्यक्ति के फायदे के कारण नहीं । यह ग्रान्ट अभी पूरी दी भी नहीं गई है, लगभग १२ हजार रुपया अभी तक दिया गया है और वह भी इसलिये दिया गया है कि पहले देख लिया गया कि फलां-फलां मशीन के लिये आर्डर दे दिया गया है या नहीं या जो मशीन खरीदी जाने वाली थी वह खरीदी गई है या नहीं । जब यह देख लिया गया कि जो मशीन खरीदी जा रही है उसके लिये आर्डर प्लेस कर दिया गया है, तो उतनी ही ग्रान्ट उनको दे दी गई है, तो यह ग्रान्ट की रकम हुई ।

अब जो यह कहा गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि जैसा कि मैंने अपने बजट के मौके पर अर्ज किया था कि जो मिल्क सोसाइटीज हैं, उनके द्वारा शहरों में दूध सप्लाई करने का जो काम है, उसको मैं बड़ा महत्वपूर्ण काम समझता हूं—और मेरी इस बात की पूरी-पूरी

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

कोशिश होगी कि यह काम बिल्कुल शुद्धता से सहकारी भावना के साथ किया जाय और जो रुपये जहां से भी जिस काम के लिये मिलें वह उसी के लिये व्यय किये जायं। आंकड़ों से और जैसे कि सवाल के जवाब दिये गये उनसे यह तो मालूम होता है कि इस परिषद् ने उतना अच्छा काम नहीं किया। यह परिषद् एक दफा सस्पेंड की गई और सरकारी इन्तजाम में रही तीन सालों तक और इस समय में इसको बराबर लाभ हुआ। चूंकि इसको गैर सरकारी हाथों से चलाना है इसलिए उनके सिपुर्द किया गया। रामसुन्दर जी ने एक प्रश्न यह ठीक किया कि क्या जब गवर्नमेंट ने देखा कि इतना लम्बा घाटा हो रहा है तो कोई ऐक्शन लिया, तो वह गवर्नमेंट ने ऐक्शन लिया। गवर्नमेंट ने सन् १९५८ में परिषद् के संचालकों को आदेश दिया कि परिषद् के जो अध्यक्ष हैं उनको पूरी ताकत दी जाय संचालक मंडल की और हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार उसके अवैतनिक मंत्री रहेंगे और परिषद् का सारा कार्य चलायेंगे। उसका नतीजा यह हुआ कि परिषद् को जो घाटा होता था वह खत्म हुआ और मुनाफा भी होना शुरू हुआ। १९५८–५९ में ३,७५६ रुपये का मुनाफा हुआ, १९५९–६० में १९,४७१ रुपये का मुनाफा हुआ और १९६० में २,२५९ रुपये का मुनाफा हुआ। तो इस तरह से गवर्नमेंट का मुहकमा सतर्क है कि जब भी कन्डीशंस डेटेरियोरेट होने लगे तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जाय।

रामसुन्दर जी ने कहा कि ग्रुप के आदमी हो गये। सहकारी आन्दोलन में केवल कांग्रेसी आदमी ही नहीं कार्य करते हैं, बल्कि सभी पार्टियों के सज्जन कहीं न कहीं सहकारी आन्दोलन में हिस्सा लिये हुये हैं और कार्य कर रहे हैं। कार्य का अच्छा या बुरा होना तो परिस्थितियों और मनुष्यों पर निर्भर करता है। परिस्थितियां कभी अनुकूल होती हैं और कभी प्रतिकूल होती हैं। और जगहों पर जो दूसरी पार्टियों के सज्जन हैं वह भी अगर काम कर रहे हैं तो यह बात मानेंगे कि यह जन आन्दोलन है, इस सम्बन्ध में आक्षेप भी होते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप ज्यादा होता है उस आक्षेप को बर्दाश्त करते हुये जब हम देखते हैं कि कहीं नुकसान हो रहा है तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि असली उद्देश्य तो यही है कि जनता को फायदा होना चाहिये। तो इसमें, कोई ग्रुप की बात नहीं रही। इसकी हालत अब अच्छी है। और जैसा मैंने पहले सदन में अर्ज किया था कि हम कानपुर में युनिसेफ (Unicef) की सहायता से एक बड़ी डेरी बना रहे हैं। यह एक बड़ी योजना है ७८ लाख की। ३२ लाख हमको यूनिसेफ से मिलेंगे। तो जरूरत है कि हम कानपुर में डरी को अच्छी लाइन्स पर लावें और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें जो गड़बड़ी होगी उसको दूर किया जायगा। उस स्कीम को हम डेवलप करना चाहते हैं। जब तक कि वह स्कीम तैयार न हो जाय तब तक कम से कम तीन-साढ़े तीन सौ मन दूध की रोज वितरण हो। इसमें मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि जिस किसी की भी इसमें गलती होगी, उसके विरुद्ध कठिन से कठिन कार्यवाही की जायगी। लेकिन यह बात भी सही है कि इस परिषद् ने विस्तार किया है १४६ सोसाइटियां दूध वालों की बनायी हैं। यह लोग कानपुर के आसपास के ही रहने वाले हैं और अधिकतर वही लोग इसके मेम्बर हैं, इन्डिविजुअल व्यक्ति बहुत कम इसके मेम्बर हैं। किसी पार्टी अथवा ग्रुप का सवाल इसमें अधिक नहीं उठता। आज जो संचालक मंडल है उसमें दो-तीन आदमी ऐसे कहे जा सकते हैं जो नुमायां तौर से पालिटिक्स में हिस्सा लेते हैं। लेकिन इन सोसाइटीज का चुनाव होता है और सब लोग उसमें हिस्सा लेते हैं और शेष आदमी जो भी चुने जाते हैं वही सोसाइटी को रिप्रेजेन्ट करते हैं। इसलिये मैं सब लोगों को दावत देता हूं कि वे आगे आयें और इसमें हिस्सा लें ताकि सही तरीके से सहकारिता का काम चल सके। मैं इतना और अर्ज कर देना चाहता हूं कि इसमें जो थोड़ी-बहुत खामी रही है उस खामी को दूर करने की कोशिश की जायगी और इस परिषद् को सही माने में फेडरेशन बनाकर इस सोसाइटी को हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि सही माने में कोआपरेटिव लाइन्स पर काम हो सके।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अप्रैल, १९५७ से ३१ मार्च, ६२ तक की आडिट रिपोर्ट क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सहकारिता विभाग की आडिट रिपोर्ट, अध्यक्ष महोदय, गोपनीय डाक्यूमेंट है। मैं इस तरह से उसके बारे में यहां बताने में असमर्थ हूं, लेकिन अगर निजी तौर पर वे कोई जानकारी करना चाहेंगे तो उनको जानकारी दे सकूंगा।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ५ मई, १९६० को १८ हजार रुपया मोटर खरीदने के लिये दिया गया, मार्च, ६१ में १५ हजार रुपये का अनुदान दूसरी मोटर खरीदने के लिये दिया गया। फिर ६२ में ९० हजार रुपये ट्रक के लिये दिये गये, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बता सकते हैं कि पहले वाली दो मोटरें किस काम के लिये खरीदी गयीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने अर्ज किया कि पहले मोटर १८ हजार रुपये में खरीदी गयी, चूंकि वह काफी नहीं थी इसलिये दूसरी मोटर खरीदी गयी। ये दोनों मोटरें उनके पास हैं।

श्री रामसुन्दर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ६१-६२ में जो ९० हजार रुपया अनुदान दिया गया मशीनरी के लिये, तो क्या उसकी मशीनरी खरीदी गयी ? क्योंकि उसमें से कुछ रुपया ही उनको दिया गया है तो क्या शेष रुपया सरकार ने वापस दिया या फिर सोसाइटी को दिया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—शायद माननीय सदस्य ने सुना नहीं, मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि केवल १२ हजार रुपया परिषद् को मशीनरी खरीदने के लिये दिया गया है। सोसाइटी के नाम रुपया एलाटेड है, लेकिन उसे अभी पूरा रुपया नहीं दिया गया है। जब सरकार को इत्मीनान हो जायगा कि मशीनरी खरीदने की उनको जरूरत है, तो जरूरत के मुताबिक उनको रुपया दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर—क्या सहकारिता मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सोसाइटी तीन वर्ष तक सस्पेंड क्यों रही ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया, एक दफा इस परिषद् को सस्पेंड करना पड़ा। उसका कारण यह था कि काम ठीक से नहीं चल रहा था। घाटा भी कुछ ज्यादा हो गया था इसलिये सरकार ने उसका संचालन अपने साथ में ले लिया। जब से सरकार ने उसका संचालन अपने हाथ में लिया तब से बराबर सोसइटी को फायदा रहा।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सोसाइटी के मैनेजिंग डाइरेक्टर कौन साहब हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके मेनेजिंग डाइरेक्टर तो होते नहीं। प्रेसिडेंट होते हैं और एक मंत्री है। इसके प्रेसिडेंट तो श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, एम०पी० हैं और श्री सुधर सिंह नाम के कोई व्यक्ति मंत्री हैं।

श्री रामसुन्दर—क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सोसाइटी को केन्द्र से भी कोई अनुदान मिलता है। यदि हां, तो वह कितना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जैसा कि मैंने अभी बतलाया सोसाइटी को यहां की सरकार से ही सहायता मिलती है, केंद्र से उसे कोई सहायता नहीं मिली है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बार-बार घाटा होने के बाद भी उस परिषद् को इसलिये अनुदान दिया गया कि उसमें कांग्रेस के दो बड़े नेता थे और जिनमे श्री बेनी सिंह, पी०सी० सी० के सेक्रेटरी भी थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह कारण नहीं था, माननीय सदस्य को मालूम है कि चूंकि घाटा हो रहा था, इसलिये उस घाटे को दुरुस्त करने के लिये परिषद् को सहायता दी गयी। घाटा तो समय और परिस्थितियों के अनुसार भी होता है। चूंकि दूध की सप्लाई कम थी और बिजनेस में खर्चा उतना ही होता था, इसलिये घाटा रहा। कोशिश यह की गयी कि जो बिजनेस में घाटा हो रहा है उसको साउंड लाइंस पर लाया जाय, इसलिये सहायता दी गयी। यह कारण नहीं था कि श्री बेनी सिंह या और कोई सिंह जी उसमें थे।

श्री शिवनार्थसिंह (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् ४८ से ५३ तक सोसायटी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और सन् ५३ से ५५ तक वह सरकार के हाथ में प्रबन्ध रहा और परिषद् मुनाफे में चली तो फिर ५५ के बाद सरकार ने परिषद् को अपने हाथ से प्रबन्ध क्यों दे दिया जिससे उनको भ्रष्टाचार करने का मौका मिला ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया, सरकार अपने हाथ से सोसायटी को नहीं चलाना चाहती है। वह चाहती है कि सोसायटीज जनता के द्वारा ही चलायी जायं। इसलिये उनको यह मौका दिया जाता है कि अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो उसको दुरुस्त किया जाता है, ऐडवाइस दी जाती है, लेकिन काम अन्त में गैर सरकारी लोगों से ही चलाना है और खासतौर से बिजनेस वाले लोगों से और ग्वाले लोगों से। ग्वाले लोगों से ही इस सोसायटी का काम कराना है।

श्री राघवेन्द्र प्रतापसिंह (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो घाटा हुआ है उसका कारण एक यह भी है कि उसमें कुछ रुपये का गबन हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गबन की कोई रिपोर्ट नहीं है।

श्री रामसुन्दर—क्या सहकारिता मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस-जिस पीरियड में सोसायटी को घाटा हुआ है उसका कारण क्या है और क्या आडिटर ने कोई रिपोर्ट ऐसी दी है कि इस सोसायटी को घाटा नहीं होना चाहिये था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—घाटे का कारण यह था, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि दूध के एकत्र करने के ढंग में खराबी थी, दूध कम इकट्ठा होता था, वितरण का तरीका ठीक नहीं था, मोटरें उनकी पुरानी थीं, काफी खर्च उनकी मरम्मत में हो जाता था, और पंजीकरण भी करना पड़ता था, यातायात की सुविधायें नहीं थीं, दूध को पेस्चराइज करने की मशीन भी उनके पास नहीं थी ताकि वह खराब न हो और दूसरी चीजें उस दूध की बना सकें, सिर्फ दूध ही वह बेचते थे। इन्हीं कारणों से यह हुआ।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पय परिषद् के मैनेजर कोई ऐसे सज्जन हैं जो लखनऊ में इसके पूर्व थे और उसके बाद यहां से निकालने के बाद इसमें उनको स्थान दिया गया है, वह पहले असिस्टेंट थे और अब मैनेजर बनाये गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं समझ नहीं सका....

श्री अध्यक्ष—प्रेसीडेंट और सेक्रेटरी का जिक्र किया गया है, क्या उनके अतिरिक्त कोई मैनेजर भी था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वहां तो सेक्रेटरी और प्रेसीडेंट होते हैं और संचालक मंडल होता है।

कुंवर श्रीपाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस पय परिषद् को कोई अनुदान केन्द्रीय सरकार से मिला है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब हो चुका ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब दोबारा सोसायटी को काम दिया गया, तो क्या दोबारा फिर एलेक्शन कराने की बात सोची गई, जब कि एलेक्शन का वहां तरीका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मुझे डेफिनिटली तो नहीं मालूम । इसके मुताबिक मैं सूचना मंगा लूंगा ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जब से सोसायटी घाटे पर चल रही थी तब भी वह मामूली अखबारों को बहुत लिबरली पैसा एडवर्टिजमेंट के लिये देती थी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री रामसुन्दर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अनुदान के पहले सरकार की तरफ से सोसायटी को इसकी आज्ञा दी गई थी या नहीं और अगर दी गई थी तो अनुदान क्यों दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने अर्ज किया कि वह अनुदान तो एक खास काम के लिये था और वही चीज उससे क्रय की, उसी के लिये अनुदान दिया गया था वह कोई क्रेडिट के तौर पर नहीं दिया गया था ।

श्री अध्यक्ष—अब २ मिनट बाकी हैं। श्री राम सुन्दर जी कुछ और पूछना चाहें या कहना चाहें तो कह लें और फिर मंत्री जी उसका जवाब दे दें और बहस समाप्त हो जाय ।

श्री रामसुन्दर—अध्यक्ष महोदय, मैंने जो दो-तीन सवाल किये थे उनका उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया । मैंने पूछा था कि जब २५ अप्रैल का दिन आपके दफ्तर के द्वारा उनकी मंजूरी से नियत था तो उस दिन उनके यहां गैरहाजिर रहने का कारण क्या था । दूसरा प्रश्न मेरा यह था कि क्या सोसायटी के संचालक कोई ऐसे व्यक्ति विशेष थे जिनका संबंध कांग्रेस कमेटी के ऊंचे नेता से था और इसी कारण से इस सोसायटी को अनुदान दिया गया ? और तीसरी बात यह थी कि आडिट रिपोर्ट के बारे में उन्होंने गलत कहा है, वह पब्लिक के सामने आती है, वह बात दूसरी है कि मंत्री जी उसको छिपा रहे हैं । मैं आपके द्वारा उनसे आग्रह करूंगा कि वह आडिट रिपोर्ट को सदन के सामने बताने की कृपा करें ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—एक बात यह कही गई कि कोई सज्जन थे जो कांग्रेस से संबंधित थे और इसके प्रेसीडेंट हैं । इसके छिपाने की क्या बात है, उसका तो चुनाव होता है, श्री बेनीसिंह पहले प्रेसीडेंट थे । लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वह कोई कारण नहीं था, क्योंकि इसमें जैसे बहुत आदमी काम करने वाले थे, इसलिये श्री बेनी सिंह का होना कारण था गड़बड़ी होने का, यह मैं नहीं मानता । क्योंकि जैसा मैंने कहा था बाद में जब इसमें घाटा हुआ था तो सरकार ने फैसला किया था कि सारे संचालक मंडल के अधिकार प्रेसीडेंट श्री बेनी सिंह को दे दिये जायं और हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार मंत्री बना दिया जाय । वह दोनों चीजें जब संचालक मंडल ने मान लीं और श्री बेनी सिंह उसके प्रेसीडेंट रहे तो बराबर फायदा रहा । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि श्री बेनीसिंह की वजह से नुकसान हुआ था ।

जहां तक आडिट का संबंध है वह पहले का है, मार्च, १९६२ तक का हुआ नहीं । लेकिन जैसा मैंने कहा वह गोपनीय डाकूमेंट है और वैसे यदि माननीय सदस्य कोई जानकारी करना चाहें तो मैं बताने को तैयार हूं ।

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इस के बाद सदन ५ बजकर ३५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
८ मई, १९६२ ।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५५ पर)

क्रम-संख्या	योजना का नाम	पूर्ण या अपूर्ण	कब तक पूर्ण होने की आशा है
१	छितौनी बांध का निर्माण ..	पूर्ण	..
२	बेहरा बोंदी बांध का निर्माण	पूर्ण	..
३	बोंदी बहरौली बांध का निर्माण	पूर्ण	..
४	परसपुर घरौरा बांध का निर्माण	पूर्ण	..
५	महोला गढ़वाल बांध का निर्माण	पूर्ण	..
६	हाहा नाला बांध का निर्माण	पूर्ण	..
७	तृतीपार श्रीनगर बांध का निर्माण	अपूर्ण	इन योजनाओं पर कार्य बिहार सरकार की आपत्ति पर स्थगित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में पूना रिसर्च स्टेशन में अनुसन्धान हो रहा है और उस की रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारत सरकार मामले पर विचार करेगी और उसकी आज्ञा के बाद ही शेष कार्य पूरा किया जायगा।
८	बलिया-बेरिया बांध का निर्माण		
*९	दिल्ली रेलवे पुल से ओबला वियर तक बायें तटवर्ती बांध का पुष्टिकरण ..	अपूर्ण	१९६२-६३
१०	कंसल नगर सुरक्षा कार्य ..	पूर्ण	..
११	प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी जिलों में ४००० ग्रामों को ऊंचा करना ..	अपूर्ण	१९६२-६३
१२	बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया जिले में ६२५ ग्रामों को ऊंचा करना ..	पूर्ण	..
१३	बहराइच जिले में १५० ग्रामों को ऊंचा करना ..	पूर्ण	..
१४	गंगा नदी के किनारे बलिया में ग्रामों को ऊंचा करना ..	अपूर्ण	१९६२-६३
१५	लखनौती बांध का बचाव ..	पूर्ण	..
१६	छितौनी बांध का बचाव ..	अपूर्ण	१९६२-६३
१७	वाराणसी के घाटों का पुनः निर्माण तथा जीर्णोद्धार ..	अपूर्ण	१९६४
१८	बलिया नगर का सुरक्षा कार्य ..	पूर्ण	..

*इस योजना पर जो व्यय होगा उस का ८७ प्रतिशत दिल्ली सरकार देगी और १३ प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार देगी।

क्रम-संख्या	योजना का नाम	पूर्ण या अपूर्ण	कब तक पूर्ण होने की आशा है
१९	कादराबाद के नाले का पुनः निर्माण ..	पूर्ण	..
२०	बलिया तथा आजमगढ़ जिलों में घाघरा नदी के किनारे गांवों को ऊंचा करना	पूर्ण	..
†२१	सुरेमानपुर रेलवे स्टेशन के निकट घाघरा नदी पर सुरक्षा कार्य प्रथम चरण	पूर्ण	..
†२२	सुरेमपुर रेलवे स्टेशन के निकट घाघरा नदी पर सुरक्षा कार्य द्वितीय चरण	पूर्ण	..
२३	राजापुर नगर की सुरक्षा ..	पूर्ण	..
२४	मां आनन्दमयी घाट से राजघाट तक गंगा नदी में पुस्तों का निर्माण	अपूर्ण	जून, १९६४
२५	छितौनी बांध की सुरक्षा ..	पूर्ण	..
२६	नारायणी छितौनी बांध का निर्माण ..	पूर्ण	..
२७	बाढ़ अवलोकन तथा नि:सार (Flood Survey and Observations of discharges).. ..	अपूर्ण	१९६२–६३
२८	मलोनी बांध को चौड़ा करना तथा ऊंचा करना	पूर्ण	..
†२९	सुरेमानपुर रेलवे स्टेशन के निकट घाघरा नदी पर सुरक्षा कार्य तृतीय चरण ..	अपूर्ण	इन योजनाओं पर कार्य १९६१-६२ में आरम्भ हुआ है। इसके समाप्त होने का समय निश्चित रूप से निर्धारित करना सम्भव नहीं है।
३०	गोवरधन नाले का निर्माण ..	अपूर्ण	..
३१	कोसी आरटीरियल ड्रेन का निर्माण	अपूर्ण	..
३२	वाराणसी के घाटों के सामने एपरन डालना (Apron launching)	अपूर्ण	..
३३	मलोनी बांध के सामने एपरन डालना (Apron launching)	अपूर्ण	..
३४	लखनऊ नगर की सुरक्षा ..	अपूर्ण	..

†इन योजनाओं पर जो व्यय हुआ है या होगा उस का ५० प्रतिशत पूर्वोत्तर रेलवे और ५० प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार देगी।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६४ पर)

उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज कानपुर क्षेत्र, कानपुर

क्रम-संख्या	एम०एल०ए० शिकायत कर्ता का नाम	शिकायत जिसके विरुद्ध की गई है	शिकायत का सारांश	शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई
१	२	३	४	५
१	श्री भुवनेश भूषण शर्मा एम० एल० ए० दिनांक २३-५-५९	स्थानापन्न प्रधान प्रबन्धक स्वर्गीय श्री द्वारका दास खोसला (शिकायत में नाम नहीं दिया गया था।	शिकायत कर्ता ने लिखा है कि जनरल मैनेजर के आदेशानुसार बसों में ओवर लोडिंग की गई।	किसी भी बस में जनरल मैनेजर के आदेश से ओवर लोडिंग नहीं की गई थी, जिस ओवरलोडिंग के बारे में शिकायत की गई वह संबन्धित स्टेशन इंजार्च के असावधानी के कारण हुई, उसके लिये उन स्टेशन इंचार्ज को चेतावनी दी गई है। इस कार्यवाही से शिकायत कर्ता को अवगत करा दिया गया था।
२	श्री राम स्वरूप वर्मा एम० एल० ए० दिनांक २४-३-६०	सहायक प्रधान प्रबन्धक, इटावा (नाम नहीं दिया गया।)	शिकायत कर्ता ने लिखा है कि राजपुर बस स्टेशन पर एक सज्जन को शिकायती पुस्तक नहीं दी गई। इस सम्बन्ध में छानबीन के हेतु उन सज्जन को लिखा गया कि वह २६-२-६० को स्टेशन पर उपस्थित हों और यदि वह उक्त दिनांक को न आ पाएं तो शिकायत पर कार्यवाही नहीं की जायगी, इस प्रकार की धांधली शिकायत कर्त्ता ने लिखा है कि सहायक प्रधान प्रबन्धक, इटावा के प्रशासन में हो रही है।	छानबीन के फलस्वरूप सहायक प्रधान प्रबन्धक इटावा इस सम्बन्ध में दोषी नहीं पाये गये। सीनियर स्टेशन इंचार्ज औरय्या तथा इटावा इस शिकायत की जांच में अनुचित रीति बर्तने के दोषी पाये गये उस के लिये इन दोनों अधिकारियों को चेतावनी दी जा रही है। शिकायत कर्ता के पास उचित उत्तर भेज दिया गया है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६६ पर)

हाई कोर्ट ने अवशिष्ट (arrears) वादों को कम करने के लिये, सरकार के अनुरोध पर सन् १९५९ से अपने कार्य दिवस २०० से बढ़ाकर २१० कर दिये हैं। गम्भीर मुकदमों को छोड़कर शेष मुकदमों में पेपर बुकों की छपाई तथा दस्तावेजों (documents) का अनुवाद कराना समाप्त कर दिया गया है। अभी सन् १९६० में हाई कोर्ट में तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। माननीय न्यायधीशों के समय की बचत करने के लिये हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को अपीलें स्वीकृत (admit) करने का अधिकार दे दिया गया है। सन् १९५४ के सिविल लाज (रिफार्म्स और अमेंडमेंट्स) ऐक्ट द्वारा जिला जजों का आर्थिक क्षेत्राधिकार (Pecuniary jurisdiction) ५००० रुपये से बढ़ाकर १०,००० रुपये कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने यह भी निश्चित कर लिया है कि उक्त अधिनियम के लागू होने के पहले की हाई कोर्ट में दायर की हुई अपीलें जिला जजों को स्थानान्तरित की जा सकती हैं। इस प्रकार की अपीलों के निर्णय के लिये इलाहाबाद में एक अतिरिक्त जिला जज के न्यायालय की स्थापना कर दी गई है और लखनऊ में इस प्रकार के एक न्यायालय के स्थापन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

पी० एस० यू० पी० ए० बी०—७६ एल० ए०—१९६२—८४५।